खण्ड-147, अंक-1
सोमवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(20 दिसम्बर, 1954 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 147 में 1 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरंभ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३४८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन , श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल , श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य , श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री

व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी सेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिस्वरूप शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुक्लचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री

सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

# प्रश्नोत्तर

## अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

### गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखाबाद में इन्टरमीडियट के दर्जे खोलने की प्रार्थना

**१--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार के पास फर्रुखाबाद से विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की गई है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखाबाद में इन्टर मीडियेट के दर्जे (साहित्यिक एवं रचनात्मक ग्रूप) खोले जायं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)-- जी हां।

**२--श्री सुल्तान आलम खां--यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---इन मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस पर फैसला जुलाई में शुरू हो जायगा या नहीं ?

डाक्टर सीताराम-- यह तो प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि विचार किया जा रहा है और आर्थिक समस्या पर विचार करने के लिये सरकार ने एक आख्या शिक्षा संचालक से मांगी है, जब उनकी आख्या आ जायगी तो उन पर विचार किया जायगा कि क्या हो सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार को यह मालूम है कि पब्लिक को इस मामले में बड़ी बेचैनी है और वह यह चाहती है कि यह मांग जल्द से जल्द पूरी कर दी जाय ?

डाक्टर सीताराम-- जहां तक मांग का प्रश्न है इस पर तो विचार किया ही जा रहा है लेकिन जहां तक बेचैनी का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि वहां पर बहुत से इंटरमीडिएट कालेज हैं जहां कि विद्यार्थी जाकर पढ़ते हैं। साथ ही साथ वहां विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ ३१४ थी जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिये बहुत ही कम है लेकिन फिर भी सरकार इस पर विचार कर रही है।

### ऋषिकेश नगरपालिका के सभापति का निलम्बन

**३--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या यह सही है कि ऋषिकेश नगरपालिका का सभापति सस्पेंड किया गया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---जी हां।

**४--श्री गंगाधर मैठाणी---यदि हां, तो क्यों और कब ?

श्री मोहन लाल गौतम---उनके विरुद्ध प्रत्यक्षतः ऐसे गम्भीर आरोप थे जिनके कारण उनके पृथक कर दिये जाने की सम्भावना थी। अतएव जब तक उन आरोपों की जांच पूरी न हो जाय, उन्हें मुअत्तल करना आवश्यक समझा गया।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वे गम्भीर आरोप क्या-क्या थे ?

श्री मोहन लाल गौतम---यह लम्बी फेहरिस्त है।

श्री अध्यक्ष---जो मुख्य-मुख्य आरोप हैं उनको आप पढ़ दीजिये।

श्री मोहन लाल गौतम---आप आज्ञा दें तो मैं मुख्य-मुख्य आरोपों की ओर इशारा कर देता हूं। ७० रु० किसी ठेकेदार से ले लेना, अपने मकान में खुद बग़ैर इजाज़त के बिजली लगा लेना, अपने काम में गड़बड़ी करना और रिश्वत आदि लेने के चार्ज हैं, बग़ैर इजाजत म्युनिसिपल दफ्तर को बन्द कर देना, किसी बिजली के खम्भे को दूसरी जगह लगाने में म्युनिसिपैलिटी को गलत तरीके पर खर्च करने का बिल देना, झूठा टी० ए० का बिल देना, एक क्लर्क को गलत तरीके पर एप्वाइंट करना, सेक्रेटरी को गलत तरीके पर एप्वाइंट करना, इसके अलावा दफा ३२३, ३२४, ३२५ और १०७ में सजा भी पा चुके हैं ?

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आरोपों की जांच किस अफसर के द्वारा की गयी और ये आरोप कहां-कहां से आये थे ?

श्री मोहन लाल गौतम---आरोप तो कई जगह से आये हैं। उन सबके निचोड़ ये ही आरोप हैं और जांच कराने का तरीका यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं, वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहीं स्वयं या कहीं एस० डी० ओ० की मार्फत जांच कराते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि ऋषिकेश के चेयरमैन साहब सुविधानुसार अपने स्टाफ में मारपीट भी कर लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष---आप यह पूछ सकते हैं कि ये चार्ज थे या नहीं। लेकिन मारपीट कर लेते हैं, इसको प्रश्न के साथ एसर्ट करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ये आरोप उनके खिलाफ लगाये गये हैं, क्या कभी वहां की म्युनिसिपैलिटी में इन पर विचार भी हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---किस-किस आरोप पर म्युनिसिपैलिटी में विचार हुआ यह मेरे लिए कहना मुश्किल है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार को यह सूचना है कि इन चैयरमैन साहब के सस्पेंशन होने पर वहां के लोगों ने ५ दिन तक बराबर हड़ताल जारी रखी और अपनी सारी दूकानें बन्द रखीं ?

श्री मोहन लाल गौतम---मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वहां के विधान सभा के माननीय सदस्य ने भी इस सिलसिले में अपनी कोई राय सरकार के पास भेजी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जिन पत्रों पर विचार हो रहा है उनमें कुछ तो ऋषिकेश के रहने वालों के हैं और एक कर्मचारी संघ है उसकी तरफ से है।

श्री अध्यक्ष---वे तो यह जानना चाहते हैं कि वहां के एम० एल० ए० ने कुछ लिखा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उस स्थान के एम० एल० ए० महोदय और जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं उनके बीच आपस में सिविल और क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इससे मेरे मुहकमे का कोई ताल्लुक नहीं है।

## गोरखपुर ज़िले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क खोलने की आवश्यकता

**५---श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर के बाढ़ क्षेत्रों से उसके पास टेस्ट वर्क के लिये जनता से मांग आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---गोरखपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वर्षा समाप्त होने पर जनता के प्रतिनिधियों की मांग पर टेस्ट वर्क खोला गया था, परन्तु टेस्ट वर्क की मजदूरी पर कोई श्रमिक काम करने न आया। यदि टेस्ट वर्क की मजदूरी की दर पर काम करने वालों का मिलना संभव हुआ तो टेस्ट वर्क फिर से चलाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क किस-किस जगह पर खोले गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो टेस्ट वर्क की दर रखी गयी है उसमें और अन्य प्रान्तों के टेस्ट वर्क की दर में कोई अन्तर है ? और यदि है, तो ऐसा क्यों है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी नहीं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार टेस्ट वर्क की मजदूरी निश्चित करते हुये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे ज्यादा मजदूर मिल सकें ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---पहली बात तो यह है कि जितने अंग्रेजों के बनाये हुए नियम हैं वे सब मंसूख करने के योग्य नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जो दर हमने रखी है वह अंग्रेजों के जमाने की है भी नहीं। उस जमाने में १८ छटांक मजदूरी थी लेकिन हमने १८ छटांक के बजाय २४ छटांक कर दिया है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां पर टेस्ट वर्क काम करने वाले क्यों नहीं आये ?

श्री चरण सिंह---जरूरत महसूस नहीं करते, और मैं क्या बतलाऊं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में जो टेस्ट वर्क की मजदूरी दी जाती है उसके मुकाबले में गोंडा जिले में लगभग दूनी दी जाती है ?

श्री चरण सिंह--यह बात गलत है क्योंकि सब जगह के लिये एक ही हुक्म है कि डेढ़ सेर गल्ला सस्ता से सस्ता, निकट से निकट के बाजार में जिस भाव पर मिलता हो उतना दाम दिया जाय।

## तारांकित प्रश्न

### घाघरा तथा राप्ती से आजमगढ़ जिले में जमीन का कटाव

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि घोसी और सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के क्रमशः देवारा, दुवारी, बरोहा, मौलनापुर और मूसाडोही तथा राजा देवरा और हाजीपुर देवारे की हजारों एकड़ भूमि घाघरा नदी के कटाव के कारण उसके पेटे में चली गई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ भूमि कटी है तथा प्रदेशीय सरकार की ओर से कटाव रोकने के लिये कौन-कौन उपाय किये गये हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--तहसील सगड़ी के ग्राम देवरा राजा चक्की हाजीपुर, तथा घोसी तहसील के ग्राम मूसा डोही, चक्की मूसा डोही, मोलनापुर, बरोहा, धर्मपुर विशुनपुर तथा दुवारी की कुल लगभग ५,५७४ एकड़ भूमि कट गई है। कटाव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से लिखा-पढ़ी की जा रही है, और उनसे उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि घाघरा और राप्ती की संयुक्त धार घोसी तहसील के मोलनापुर देवारे से दक्षिण की ओर हो रही है जिससे ऊपर बसे हुये गांवों को भी खतरा हो गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह सही है कि घाघरा तथा राप्ती की संयुक्त धार कुछ दक्षिण दिशा की ओर मोलनापुर देवारे के समीप हो गई है और उसके लिये खतरा बढ़ गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कटे हुये ग्रामों के ग्रामीणों को बसाने के लिये अब तक जमीन नहीं दी जा सकी?

श्री चरण सिंह--इनमें से २,३ गांवों के सिलसिले में पहले माननीय मित्र ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था और जिलाधीश को लिख दिया गया था। लेकिन जो जमीन वह देने को तैयार थे वहां वे लोग बसने को तैयार नहीं थे फिर राम सुन्दर पांडेय जी ने आग्रह किया तो वहां एक नये जिलाधीश पहुंच गये हैं उनसे फिर कहा है कि इस प्रश्न पर पुनः विचार कर लो।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन नदी में कट करके चली गई है उसके कटने के बाद भी लगान वसूल किया जाता है?

श्री चरण सिंह--जी हां। कानून पढ़ने की तकलीफ गवारा फरमायेंगे तो उसमें यह दिया हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ग्रामों की जमीन कट गई है वहां किसानों को तात्कालिक सहायता क्या पहुंचाई गई?

श्री चरण सिंह--मेरी समझ में नहीं आता कि क्या तात्कालिक सहायता पहुंचायी जाती। वह तो डूब नहीं गयी हैं धीरे-धीरे जमीन कट गई है, वह सब हट गये हैं।

## भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण

*४--श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूदान यज्ञ में अब तक कितनी भूमि इस राज्य में मिली है तथा उसमें से कितनी का वितरण हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उत्तर प्रदेशीय भूदान समिति द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनके अनुसार ३१ अगस्त, १९५४ तक ५,१६,८१९ एकड़ भूमि भूदान यज्ञ में प्राप्त हुई, जिनमें से उक्त दिनांक तक ४१,६८२.५७ एकड़ भूमि का वितरण हुआ। भूमि व्यवस्था कमिश्नर द्वारा उक्त दिनांक तक प्राप्त हुई भूमि १,७६,७३४.७०२ एकड़ है जिसमें से २९,३९३.१३० एकड़ भूमि का वितरण उक्त दिनांक तक हुआ।

*५--श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसके पास भूमि वितरण संबंधी शिकायतें भी कहीं से आई हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले से ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं।

श्री रणंजय सिंह--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि भूमि वितरण के समय कोई सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहता है। यदि हां, तो कौन ?

श्री चरण सिंह--सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश है कि भूदान समिति के कार्यकर्ताओं की इमदाद करें। लेकिन अगर वे किसी और जरूरी काम में फंसे हुये हों तो वे उस काम को छोड़ कर नहीं आ सकते।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि बहुत सी जंगल की जमीन और चरागाह की जमीन भी लोगों ने भूदान में दे दी है ?

श्री चरण सिंह--जी हां। और इसी के लिये भूदान यज्ञ ऐक्ट की धारा ११ है जिसके मातहत इस तरह का भूदान नाजायज है और जमीन दी हुई नहीं समझी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेशीय भूदान यज्ञ समिति और भूमि व्यवस्था कमिश्नर के द्वारा दी गई सूचनाओं में इतनी अधिक डिस्पैरिटी क्यों है ?

श्री चरण सिंह--अब इसका जवाब तो हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास तो जो अपने अफसरान से इत्तिला मिली है उसको हम ज्यादा सही मानते हैं। एक कारण हो सकता है, मैं अनुमानतः कह रहा हूं, और वह यह कि उन्होंने मौके पर ही जमीन की तकसीम कर दी हो और कागजात में दर्ज न कराया हो। इस वजह से यह ३९ हजार और ४१ हजार का अन्तर हो सकता है।

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह कौन सा पदाधिकारी है जिसके लिये उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है ?

श्री चरण सिंह--लेखपाल।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार इस तरफ कोई कार्यवाही करेगी कि जिन लोगों ने चरागाह की जमीन भूदान में दे दी है, उनसे वह फिर वापस ले ली जाय ?

श्री चरण सिंह--इसमें वापस लेने का सवाल ही नहीं है। वह तो गयी हुई ही नहीं समझी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी के पास विभिन्न जिलों की भूदान कमेटियों की सिफ़ारिसी आयी है कि जिले के अफसर भूदान में मिली हुई जमीन भूदान ऐक्ट के अनुसार सर्टिफिकेट इश्यू करने में देरी करते हैं ?

श्री चरण सिंह---सर्टिफिकेट देने के सिलसिले में मेरे पास किसी भी जिले से कोई शिकायत भूदान समिति की नहीं आयी है। श्री कर्णभाई ने जरूर एक बार मुझ से यह कहा कि मुहकमे माल के कर्मचारी मदद नहीं देते, इस लिये उनसे फिर कह दिया जाय कि ज्यादा समय दें। लेकिन मने उनको यह समझाने की कोशिश की कि लेखपाल को तहसील में बहुत से काम में लगा रहना पड़ा है, ड्राइव्स में बहुत सा काम करना पड़ा है और फिर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ी है, जिसकी वजह से वह ज्यादा समय नहीं दे पाये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भूदान समिति द्वारा जब जमीन बांटी जाती है तो खेती के अन्य उपकरण भी उस समय दिये जाते हैं?

श्री चरण सिंह---यह तो भूदान समिति से मालूम करें। भूदान समिति कोई आफिशियल बाडी नहीं है। यह मैं माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं।

*६---श्री नारायण दत्त तिवारी---[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*७---८---श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

## गढ़वाल जिले में अति वृष्टि से हानि

*९---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार को मालूम है कि जिला गढ़वाल में गत दो माह में बहुत से स्थानों में पहाड़ों के टूट जाने और छोटी-बड़ी नदियों में पानी के बढ़ जाने से बहुत से मनुष्य, जानवर और खेती का नुकसान हुआ है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जिला गढ़वाल में गत अगस्त तथा सितम्बर में वर्षा अधिक हुई जिससे छोटी-बड़ी नदियों में बाढ़ आई और नदियों के किनारे कुछ हानि हुई। पहाड़ टूटने की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।

*१०---श्री गंगाधर मैठाणी---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन स्थानों पर कितना नुकसान हुआ है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हानि का विवरण इस प्रकार है :---

| नाम तहसील | हानि |
|---|---|
| चमोली | गधेरो की बाढ़ से ९ आदमी बह गये। |
| | गधेरो के किनारे की कुछ भूमि कट गई। |
| लैंसडाउन | एक मनुष्य गधेरो की बाढ़ से बह गया। |
| | २८ मकानों को कुछ हानि पहुंची। २ गौशालायें गिरीं तथा २ जानवर मरे? |

*११---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी क्षति पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बाढ़ से हानि इतनी नहीं थी कि विशेष सहायता की आवश्यकता होती, तथापि पीड़ितों को तकावी देने की व्यवस्था थी, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने तकावी का ऋण लेना स्वीकार न किया। लैंसडाउन तहसील में दो व्यक्तियों को घर बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी दी गई।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो यह नौ आदमी बहे हैं वह किस स्थान पर बहे हैं?

श्री चरण सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जहां पर दुर्घटना होती है उसकी सूचना जिला अधिकारियों को होती है, तो क्या उस स्थान का वह निरीक्षण करते हैं ?

श्री चरण सिंह---अगर बड़ी दुर्घटना हो जाय। एक आदमी के मरने को कोई दुर्घटना नहीं माना जाता। रोज मरते रहते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बतलायेगी कि तकावी कहां बांटी गयी थी ?

श्री चरण सिंह---तकावी ली ही नहीं। बांटने का सवाल नहीं उठता। आप उसको दुर्घटना समझ लें, लेकिन वह दुर्घटना थी कहां।

## तराई भावर खाम स्टेट में काश्तकारों को हक-हकूक की लकड़ी न मिलना

*१२---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि तराई भावर खाम स्टेट में नियमों के अनुसार काश्तकारों को हक-हकूक की लकड़ी नहीं मिल पाती ? अगर हां, तो क्यों और इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां। पिछले कुछ वर्षों में तराई में काश्तकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिये यह सम्भव नहीं रहा कि उनको तराई भावर मैनुअल में दिये हुये नियमानुसार लकड़ी दी जा सके। इस कमी को दूर करने के लिये उक्त क्षेत्र में अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जा रहा है और यह आशा है कि जब वह वृक्ष तैयार हो जायेंगे, तो काश्तकारों को अधिक मात्रा में लकड़ी दी जा सकेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या तराई भावर के खाम सुपरिंटेंडेंट महोदय ने इस संबंध में विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया था ? अगर हां, तो सम्मेलन ने कोई सुझाव गवर्नमेंट को दिये हैं ?

श्री चरणसिंह---इस सम्मेलन की तो कोई सूचना गवर्नमेंट को नहीं है। अजखुद वहां बुलाया होगा, लेकिन यह कि लकड़ी की कमी हो गयी है और उस कमी को पूरा करने के लिये कोई तजवीज की जाय, ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है और उस डिपार्टमेंट की तरफ से एक वर्किंग प्लान तैयार हुआ है और वह जेरे गौर है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो वृक्षारोपण हुआ है, ये पेड़ कब लकड़ी देने के काबिल हो जायेंगे ?

श्री चरणसिंह---पेड़ों से पूछ कर बताऊंगा। यह तो हर एक पेड़ को देख कर बताया जा सकेगा कि किस तरह का दरख्त है और वह जमीन कैसी है। कितने दिनों में वह पक जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब तक ये पेड़ फ्युअल देने के लायक नहीं हो जायेंगे, वहां के रहने वाले लोगों के लिये किसी तरह से फ्युअल का इन्तजाम सरकार करेगी ?

श्री चरणसिंह---जब तक वहां जमीन काश्त के लिये कम थी और जंगलात ज्यादा थे तब तक उनको सहूलियतें थीं, लेकिन सारे सूबे में किसानों को यह सहूलियत नहीं है कि जिनके पास खेती करने के लिये जमीन काफी है उनको लकड़ी भी मिल जाय। खेती काफी होगी तो लकड़ी अपने आप कम हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास यह सुझाव आया है कि तराई भावर के किसानों को लकड़ी देने के लिये तराई फारेस्ट डिवीजन में हलद्वानी और दूसरे फारेस्ट डिवीजनों के दूसरे हिस्से मिल जायं ?

श्री चरण सिंह---यह सुझाव मैंने तो देखा नहीं ।

## अल्मोड़ा जिले के भूमिहीनों को तराई में भूमि मिलना

*१३-श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा यह करेगी कि अल्मोड़ा जिले के कितने भूमिहीनों ने खेती करने के लिये तराई में भूमि लेने की प्रार्थना सरकार से की है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जनवरी सन् १९५१ ई० से पहली जनवरी, १९५४ तक अल्मोड़ा जिले के ५४० भूमिहीन व्यक्तियों ने तराई में भूमि देने की प्रार्थना की है ।

*१४-श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कितने प्रार्थियों को तराई में, कितनी एकड़ भूमि, किस स्थान में अब तक प्रदान की गई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---५४० व्यक्तियों में से केवल ३५० व्यक्तियों को अभी तक २,४४६ एकड़ भूमि विभिन्न स्थानों में दी गई है जिनका विवरण निम्न प्रकार है---

| | | |
|---|---|---|
| खटीमा ब्लाक में | १०७ व्यक्तियों को | ८३५ एकड़ |
| किच्छा ब्लाक में | २ व्यक्तियों को | ३४ एकड़ |
| बाजपुर ब्लाक में | २४१ व्यक्तियों को | १५७७ एकड़ |
| योग | ३५० | २४४६ एकड़ |

श्री मदनमोहन उपाध्याय---सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ५४० अर्जियों में से जो २०० अर्जियां बाकी हैं उन्हें कब तक सरकार तराई में जमीन दे देगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---खटीमा भूखन्ड में और हैमदपुर ब्लाक में जमीन खाली देने लायक, साफ जब हो जायगी तो दे दी जायगी लेकिन पहले लोगों ने वहां जाना स्वीकार नहीं किया था ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन उन भूमिहीन लोगों को दी जा रही है वह खुदवा कर और पेड़ वगैरह कटवा कर दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह---हैमदपुर ब्लाक वगैरह की जो बात है इसमें जमीन डिफारेस्ट करके दी जा रही है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति मनुष्य कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

श्री चरण सिंह---साढ़े सात एकड़ ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार के पास यह सूचना आई है कि जिन लोगों को ये जमीनें दी जा रही हैं सरकार वहां उन पेड़ों को कटवाकर जंगल साफ नहीं कर रही है ?

श्री चरण सिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं है । अप्रैल में कुछ जमीन तैयार हो गई थी मगर लोगों ने नहीं लिया और बरसात में उसमें घास उग आई थी । लोगों ने कहा था कि बरसात के बाद लेंगे ।

## बहराइच-आजमगढ़ तथा खीरी जिलों का बाढ़-पीड़ित क्षेत्र

*१५-श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि बहराइच तथा खीरी जिलों में कितना बाढ़-पीड़ित एरिया है और उसकी आबादी क्या है ?

---

नोट-तारांकित प्रश्न १३-१४ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :--

| जिला | बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल | जनसंख्या |
|---|---|---|
| बहराइच .. | ४,००,१३८ एकड़ | ३,९४,०६६ |
| खेरी .. | ४,९५,१३७ एकड़ | ३,३४,७४४ |

*१६--श्री उमाशंकर--क्या सरकार आजमगढ़ जिले के उन ग्रामों की तहसीलवार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जो बाढ़-पीड़ित हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आजमगढ़ जिले में बाढ से पीड़ित ग्रामों की तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है:--

| तहसील | ग्रामों की संख्या |
|---|---|
| घोसी .. .. .. | ८५ |
| सगड़ी .. .. .. | २७३ |
| फूलपुर .. .. .. | १२१ |
| मुहम्मदाबाद .. .. | १२१ |
| सदर .. .. .. | १५२ |
| योग .. | ७५२ |

ग्रामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार बतला सकती है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में अंदाजन कितना रकबा आजमगढ़ जिले का होगा ?

श्री चरण सिंह--सवाल बाढ़-पीडित ग्रामों की संख्या के सम्बन्ध में था उसके आंकड़े मौजूद हैं और रकबा कितना होगा इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*१७-१९--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

## बलिया जिले में मालगुजारी वसूल करने के लिये नियुक्त कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या

*२०--श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बलिया में मालगुजारी वसूली के लिये कितने नायब तहसीलदार, कुर्क अमीन तथा चपरासी रखे गये हैं ?

*२१--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनमें से कितने कर्मचारी सीजनल और कितने वर्ष भर (year round) के लिये रखे गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला बलिया में रबी १३६१ फसली में मालगुजारी वसूल करने के लिये ५ नायब तहसीलदार, ६१ अमीन और ६१ चपरासी साल भर के लिये तथा १०० अमीन , ८ नायब तहसीलदार और २२७ चपरासी १५ दिवस से लेकर ३ मास तक की अवधि के लिये रखे गये थे।

*२२--श्री रामरतन प्रसाद--क्या सरकार को पता है कि इनमें से कुल कितने हरिजन नायब तहसीलदार, कुर्क अमीन व चपरासी रखे गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इन कर्मचारियों में तीन हरिजन चपरासी वर्ष भर के लिये और २ हरिजन चपरासी फसल के लिये थे।

श्री रामरतन प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने आवेदन-पत्र नायब तहसीलदार, कुर्क अमीन और चपरासियों के लिये आये थे और उनमें कितने हरिजनों के थे?

श्री चरणसिंह---वह तो दूसरे सवाल के जवाब में दिया हुआ है कि तीन हरिजन चपरासी मुस्तकिल और दो हरिजन चपरासी फसली के लिये उनमें से रखे गये हैं।

श्री रामरतन प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने आवेदन-पत्र सीजनल नायब तहसीलदारों के स्थान के लिये हरिजनों के आये थे?

श्री चरण सिंह---जहां तक नायब तहसीलदारों का सम्बन्ध है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये उनका सिलेक्शन हो रहा है और पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है कि १८ प्रतिशत हरिजनों के सुरक्षित स्थान हैं उनको पूरा भरा जाय। लिहाजा अगर उनमें कमी हो तो वह पूरी हो जायगी। जहां तक अमीनों और चपरासियों का ताल्लुक है उनकी नियुक्ति जिलाधीश करेंगे। यह मैं जरूर मानता हूं कि बलिया में जितनी इनकी तादाद होनी चाहिये थी वह नहीं है इसके लिये वहां के जिलाधीश को लिखा जायगा।

## मुजफ्फरनगर ज़िले में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि क वितरण में हरिजनों का भाग

*२३---श्री रामदास आर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन्त बिनोवा भावे जी को जिला मुजफ्फरनगर से भूदान-यज्ञ में कितनी भूमि प्राप्त हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सन्त बिनोवा भावे को जिला मुजफ्फरनगर से ३१ अगस्त, १९५४ तक भूदान-यज्ञ में २३० एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस २३० एकड़ में से कितनी भूमि कृषि योग्य है और कितनी बंजर है?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस २३० एकड़ भूमि में से कितनी भूमि खेतिहार मजदूरों को दी गयी है और कितनी हरिजनों को दी गयी है?

श्री चरण सिंह---अभी वह जमीन बांटी ही नहीं गयी है। इसके अलावा पूछा सिर्फ यह कि जमीन कितनी प्राप्त हुई है और उसको लेकर इस सवाल आप दरियाफ्त कर रहे हैं, तो उन सब के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष---वह शायद समझते हैं कि प्रश्न में स्टार लगा दिया गया है तो शायद वे इस पूरक प्रश्न को पछ सकते हैं। वह यह भी समझते होंगे कि आपने शायद पता लगा लिया हो।

श्री चरणसिंह---लेकिन कितनी हरिजन और कितनी नान-हरिजन्स को दी गई यह तो बहुत फ़ारफ़ेच्ड हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---इस कल्पना से उद्देश्य मालूम कर लेना उचित होगा कि सवाल कौन पूछ रहा है।

*२४–२६––श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)––[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७–२८––श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)––[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९–३०––श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)––[११ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३३–३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३१–३३––श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)––[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४––श्री बाबूनन्दन––[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

## सुल्तानपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति

*३५––श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)––क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी की बाढ़ से उसके किनारे के कितने ग्रामों को विशेष क्षति पहुंची है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––सुल्तानपर जिले में इस बर्ष गोमती नदी की बाढ़ से उसके किनारे के किसी ग्राम को विशेष क्षति नहीं पहुंची है।

*३६––श्री रामबली मिश्र (अनुपस्थित)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सुल्तानपुर जिले में उक्त गांवों के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––यह प्रश्न नहीं उठता।

## रामपुर स्टेट सहकारी कम्पनी को बसें चलाने के लिए मांग

*३७––श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)––क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर स्टेट सहकारी कम्पनी ने किन-किन मार्गों पर अपनी लारियां चलाने की स्वीकृति सरकार से मांगी है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)––रामपुर स्टेट सहकारी कम्पनी ने सरकार से जिला रामपुर के समस्त मार्गों पर अपनी लारियां चलाने की स्वीकृति मांगी थी। चूंकि मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार की स्वीकृति देने का अधिकार केवल रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी को है। अतएव सरकार इस सम्बन्ध में कुछ न कर सकी। उक्त सहकारी कम्पनी को स्थिति से सूचित कर दिया गया था और कह दिया गया था कि वे सीधे आर० टी० ओ० बरेली को अपना प्रार्थना-पत्र भेजें।

श्री कृष्ण शरण आर्य––क्या सरकार ने आर० टी० ओ०, बरेली को इस सम्बन्ध में अपनी कोई सम्मति भी दी है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा––बहुत सी सम्मतियां दी गयी हैं, किससे उनका मतलब है?

श्री कृष्ण शरण आर्य––क्या सरकार ने आर० टी० ओ०, बरेली को इस कम्पनी को मार्ग दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सम्मति दी है?

---

नोट––तारांकित प्रश्न ३५–३६ श्री रणंजय सिंह ने पूछे।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---साधारणतया आर० टी० ओज० को हमारी तरफ से यह सिफारिश रहती है कि जो सहकारी कम्पनियां हैं उनको तरजीह दी जाय।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या सरकार ने आर० टी० ओ०, बरेली को रामपुर सहकारी समिति को वे मार्ग भी दिये जाने के लिये आदेश दिया है जिनके रोडवेज के अन्तर्गत आ जाने पर जनता को पहले से ज्यादा सुविधा मिल रही थी?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैं प्रश्न ठीक से नहीं समझा लेकिन जो नोटिफाइड रूट्स हैं उन पर आर० टी० ओज० परमिट्स नहीं दे सकते हैं बाकी और उनको इजाजत है और उनको इसकी अनुमति है कि वे जहां ठीक समझें वहां दें।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे मार्ग जो पहले कम्पनियों से निकलकर रोडवेज के अन्तर्गत आ गये थे उन पर भी परमिट्स दिये जा सकते हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इस समय स्थिति थोड़ी बीच में संदिग्ध है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऐक्ट था वह रद्द कर दिया गया है। चूंकि वहां पर पर्याप्त साधन हैं इसलिये नहीं दी जा सकेगी लेकिन हम उसमें कोई रोक नहीं लगा सकते हैं काननी तौर से।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रामपुर में जो कम्पनी चल रही है वह कोआपरेटिव बेसिस पर चल रही है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मुझे उसमें कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, रामपुर के भाई ज्यादा जानते होंगे।

श्री महमूद अली खां (रामपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस कम्पनी में रामपुर के गरीबों का रुपया लगा हुआ है?

श्री अध्यक्ष---उन्हें इस सम्बन्ध में कोई मालूमात ही नहीं तो कैसे बतायेंगे?

*३८---श्री रामदास आर्य---[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४२---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---[स्थगित किये गये।]

*४३-४५---श्री व्रजविहारी मिश्र---[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३५-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## भरारी फार्म, झांसी में दूध से आय

*४६---श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि भरारी फार्म, झांसी, में पशुओं के दूध से सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है? क्या सरकार इसी प्रकार के डेरी फार्म जिला झांसी की प्रत्येक तहसील में खोलने का विचार कर रही है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---भरारी फार्म के दूध से सरकार को पिछले ३ वर्षों में आय निम्न प्रकार से हुई है:

| वर्ष | आय रुपया |
|---|---|
| १९५१-५२ .. .. | ४५,७४३ |
| १९५२-५३ .. .. | ६५,०६७ |
| १९५३-५४ .. .. | ७२,६९९ |

सरकार का इस प्रकार के फार्म झांसी की तहसीलों में खोलने का अभी कोई विचार नहीं है।

*४७—श्री रामसहाय शर्मा—[३ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

## फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन के फल-संरक्षण विशेषज्ञ पर व्यय

*४८—श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि एफ० ए० ओ० (Food and Agriculture Organization) के फलसंरक्षण का कोई विशेषज्ञ इस प्रदेश में आया हुआ है? यदि हां, तो कितने साल से और कब तक के लिये?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, वह यहां अक्टूबर सन् १९५२ में आये और सम्भवतः वह यहां सन् १९५५ के अन्त तक रहेंगे।

*४९—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विशेषज्ञ पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना रुपया और खर्च होगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस विशेषज्ञ पर अब तक २२,७०६ रु० १२ आ० व्यय हो चुका है और अनुमानतः लगभग १९,५४० रु० और खर्च होगा।

*५०—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो सालों में इस विशेषज्ञ ने कौन-कौन सी नई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रीतियां, जो अब तक यहां प्रचलित नहीं थीं या नहीं मालूम थीं, वहां के कर्मचारियों या कारखाने वालों को बताई हैं जिनसे यहां के फल-संरक्षण व्यवसाय की उचित उन्नति हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस विशेषज्ञ द्वारा अब तक जो कार्य किया गया है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१ पर।)

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सज्जन आये हैं वे कौन हैं और कहां से आये हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—मिस्टर वेवर हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन महानुभाव का कोई सम्बन्ध फूट यूटीलाइजेशन डाइरेक्टोरेट से भी है?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह उसको बराबर सलाह देते रहते हैं और उसके काम को भी देखते रहते हैं। फलों की नस्ल सुधारने और उनके संरक्षण का काम करते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछली बार उनको तिब्बत की सोमा के दौरे पर भेजा गया था?

श्री जगनप्रसाद रावत—जो फल सुरक्षा का कार्य है तथा फलों की फसलों को सुधारने का सवाल है, वह अधिकतर पहाड़ी जिलों में होता है और तिब्बत की सीमा भी पहाड़ी इलाके में है इसलिये क्योंकि वे फलों की सुरक्षा का काम करते हैं, वे वहां भी जाते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनके दौरे पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---व्यय के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं ।

## रोडवेज वर्कर्स आगरा रीजन की शिकायतें और मांगें

*५१---श्री झारखंडे राय---क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज वर्कर्स, आगरा रीजन की ओर से सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र शिकायतों और मांगों का आया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---रोडवेज वर्कर्स, आगरा डिवीजन की ओर से सरकार के पास कई एक आवेदन-पत्र शिकायतों और मांगों के आये हैं ।

*५२---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि उन शिकायतों और मांगों में मुख्य-मुख्य क्या हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उनकी मुख्य शिकायतें साधारणतः इस प्रकार हैं :

(१) रोडवेज के कर्मचारी जो एक साल की नौकरी कर चुके हों मुस्तकिल किये जायं ।

(२) Factory Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, Workmen Compensation Act, रोडवेज में लागू किये जायं ।

(३) स्टेट (third party risk) का जिम्मा ले ।

(४) Accidents या जो बसों में नुकसान होते हैं उनके लिये ड्राइवरों को जिम्मेदार न किया जाय ।

(५) ड्राइवर और कन्डक्टर की (Joint responsibility) हटा दी जाय ।

*५३---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार यह बतायेगी कि उस आवेदनपत्र की बाबत सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---आवेदन-पत्रों में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिस पर नये सिरे से कार्यवाही करना जरूरी था । लेबर लाज लागू हों, रोडवेज के कर्मचारी मुस्तकिल किये जायं इत्यादि मसलों पर सरकार खुद ही विचार कर रही है । बहुत सी बातों के बारे में, जैसे ड्राइवर और कन्डक्टर की संयुक्त जिम्मेदारी वगैरा, यूनियन को कई बार लिखा जा चुका है Motor Vehicles Act के अन्तर्गत ड्राइवर और कंडेक्टर बिना टिकट के यात्री ले जाने के लिये दोनों जिम्मेदार हैं । विशेष परिस्थिति में जिसके साथ रियायत की जा सकती है इसका ध्यान रखा जाता है । Third Party risk के विषय में (position) यह है कि सरकार कोई जिम्मेदारी ड्राइवरों के गैर-कानूनी कामों के लिये नहीं लेती है मगर Compassionate Ground) पर सरकार सदैव ऐसे लोगों को जो accidents में घायल इत्यादि हो जाते हैं उन्हें मुनासिब compensation देती है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जैसा कि जवाब दिया गया है कि सरकार विचार कर रही है तो विचार कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री त्रिचित्र नारायण शर्मा---साल, दो साल, चार साल, दस साल, क्योंकि रोज नये-नये प्रश्न भी उठते-रहते हैं ।

श्री झारखंडे राय---जैसा कि मांगों से मालूम होता है कि ऐसी मांगें और जगह से भी उठायी जा रही हैं क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मांगों की जांच के लिये सरकार कोई हाई पावर कमेटी को नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने केंद्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा है कि कुछ मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में इस बात का संशोधन हो सके कि ड्राइवरों की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाय ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास यह भी शिकायत आयी है आगरा से कि क्लीनर्स को कोई इन्क्रीमेंट नहीं मिलता है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--ऐसी शिकायतें और जगह से भी आयी हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रोडवेज के निम्न कर्मचारियों के परमानेंट करने के संबंध में सरकार ने क्या प्रस्ताव किया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--समय-समय पर मुख्तलिफ प्रस्ताव किये जाते हैं। पहले जो गजटेड आफिसर्स थे उनको परमानेंट किया गया, उसके बाद दूसरे आदमियों को ५० फीसदी या २५ फीसदी परमानेंट किया जाय, इस तरह से विचार होता रहता है।

*५४--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

## बस्ती जिले की बांसी तहसील के बाढ़-पीड़ितों के लिए सरकारी नावें

*५५--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला की बांसी तहसील में बाढ-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये कितनी सरकारी नावें हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिला बस्ती की बांसी तहसील में बाढ-पीड़ितों के सहायतार्थ २ सरकारी नावें हैं और दोनों बांसी घाट पर हैं।

*५६--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त तहसील में कितने गांव इस साल बाढ-ग्रस्त थे और उनका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बांसी तहसील में इस वर्ष ३१० ग्राम बाढ-ग्रस्त थे और उनका क्षेत्रफल ६४,१९५ एकड़ है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत बाढ़ के संबंध में इस बांसी तहसील में इन दो नावों का उपयोग कितने गांवों में हुआ था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१२९ गांवों में बाढ़ आई थी उन्हीं में हुआ होगा। दो सरकारी नावों के अलावा दो किराये की नावें और रख ली गई थीं।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या यह सत्य है कि नावों की कमी के कारण बाढ़ के टाइम में पर्याप्त सहायता नहीं पहुंच पाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस जिले में सरकार ने नावों के लिये रुपया मंजूर किया है लेकिन उसका कायदा यह है कि ५० फीसदी रुपया गांव सभायें अगर दें तो उस गांव के लिये अलग से नाव बना दी जाय लेकिन किसी गांव सभा ने अपना रुपया दे कर सरकारी रुपये का उपयोग नहीं किया। लेकिन किराये की नावों से काम चल जाता है और सरकार ने भी नावों का प्रबन्ध कर दिया है।

**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**—क्या बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में बार-बार बाढ़ आने के कारण वहां की जनता बहुत आर्थिक कठिनाई में है जिसके कारण वह आधा रुपया न दे सकी ?

**श्री चरण सिंह**—काफी गांवों में है इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

**श्री धनुधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले में अधिकतर गांवों में बाढ़ आने के कारण वहां जो नावें दी गई हैं वे पर्याप्त मात्रा में नहीं है ?

**श्री चरण सिंह**—जितने गांवों में बाढ़ आती हैं उन सबमें नाव की जरूरत नहीं और अगर दो गांव के पीछे एक-एक नाव रख दी जाय तो एक तहसील में १५० नावें रखनी पड़ेंगी। मैं नहीं समझता कि वहां इतनी बाढ़ आती है कि इतनी नावों की जरूरत है। फिर अगर ५० फीसदी रुपया दे दें तो उन्हीं की नाव हो जाती है, गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं रहता। गवर्नमेंट तो इतनी इमदाद करने के लिये तैयार है। दो स्टीम बोट भी हम उस जिले में देने के लिये तैयार हैं लेकिन बनाने वाली फर्म मिल रही है। बातचीत चल रही है उसका बनाना आसान नहीं है और हमारे सूबे में ऐसी कोई फर्म भी नहीं है जो इस तरह की बोट बना सके।

*५७—**श्री कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्ननगुरू** (जिला इलाहाबाद)—[५ जनवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५८—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—[३० दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५९-६०—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[१७ जनवरी, १९५५ के लये स्थगित किये गये।]

*६१-६२—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)—[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३-६४—**श्री धनुषधारी पांडेय**—[१७ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

## ट्रांसपोर्ट नीति निर्धारणार्थ प्लानिंग कमीशन का परिपत्र

*६५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास ट्रांसपोर्ट नीति के निर्धारण के संबंध में प्लानिंग कमीशन ने कोई परिपत्र भेजा है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**—जी हां, प्लानिंग कमीशन के पत्र सं० पी० सी०-३-१३—६१-५४, दिनांक १८ सितम्बर, १९५४ की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२ पर।)

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उक्त प्लानिंग कमीशन के परिपत्र में जो सुझाव बतलाये गये हैं उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की या निश्चय किया ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**—प्लानिंग कमीशन की जो सिफारिशें हैं वे बदकिस्मती से बहुत कुछ इस प्रांत पर लागू नहीं होती हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी बातें लागू नहीं होतीं ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**—प्रायः सभी लागू नहीं होती हैं।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय**---क्या सरकार यह बतलायेगी कि प्लानिंग कमीशन की ट्रांसपोर्ट की जो पालिसी है उस पर सरकार कुछ विचार करेगी ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**---सरकार और प्लानिंग कमीशन के व्यू प्वाइन्ट में कोई मतभेद नहीं है। जो सिफारिशें हैं वे दूसरी स्टेट पर ही लागू होती हैं। हमारे यहां पहले से ही उनके मुताबिक काम हो रहा है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी प्लानिंग कमीशन के परिपत्र के पैरा ४ के अनुसार इस राज्य में भी ट्रिपार्टाइट बाडी को बनायेंगे ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**---इसके लिये प्रस्ताव गया है केन्द्रीय सरकार के पास और अगर केंद्रीय सरकार उसको मान लेगी तो बनाया जायगा। जहां तक प्राइवेट आपरेटर्स का ताल्लुक है उनको हम साथ लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी इस आर्गनाइजेशन के बारे में कोई ज्यादा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**---इसको कृपया जरा स्पष्ट कर दें।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---प्लानिंग कमीशन ने जो अपने परिपत्र में इस बात का सुझाव दिया है कि जिन राज्यों में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नेशनलाइज हो गयी हैं उनमें ट्रिपार्टाइट के तरीके पर कार्पोरेशन बनाया जाय तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उसको वह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**---हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय**---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस ट्रिपार्टाइट आर्गनाइजेशन को कायम करने में प्राइवेट आपरेटर्स को साथ न लेने का क्या कारण है ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**---उन लोगों की असहयोग की भावना।

*६६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

## बस्ती जिले में सरकारी नावों की कमी

*६७---**श्री राम कुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बाढ पीड़ितों की रक्षा के लिये बस्ती जिले में तहसीलवार पृथक-पृथक कितनी सरकारी किश्तियां हैं और इस वर्ष बाढ में कितनी प्रयोग में लाई गई ?

**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**---बस्ती जिले में कुल १० सरकारी नावें हैं जिनमें प्रत्येक तहसील में २, २ नावें हैं और इस वर्ष बाढ में तहसील डुमरियागंज को छोड़कर सभी तहसीलों की नावें प्रयोग में लाई गई थीं।

**श्री रामकुमार शास्त्री**---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बस्ती जिले के जितने क्षेत्र में बाढ आती है उसका मुकाबला करते हुये जो सरकारी नावों की संख्या दी गयी है वह बहुत कम है ?

**श्री चरणसिंह**---यह बात ठीक है कि नावों की संख्या, जो सरकार की तरफ से दी गयी है, वह कम है लेकिन प्राइवेट नावें हैं उनको रिक्वीजीशन कर लिया गया था। इन १० नावों के अलावा ५८ नावें जिलाधीश ने रिक्वीजिशन्ड की थी, उनसे काम लिया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बांसी तहसील में नावों के अभाव में काफी संख्या में मवेशी बाढ़ के जमाने में दरिया में डूब गये ?

श्री चरण सिंह--वहां पर १० नावें हैं और प्राइवेट नावों को वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिक्वीजिशन्ड किया और उनसे काम लिया। उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि उनको और नावों की आवश्यकता थी और उनको नहीं मिली, इसलिये लोगों को तकलीफ पहुंची। अगर ऐसी बात हो तो मैं माननीय मित्र को सुझाव दूंगा कि वह ५० फीसदी रुपया गांव सभाओं से इकट्ठा करायें फिर चाहे जितनी नावें बनालें।

## पुराने पटवारियों की पुर्नानियुक्ति के लिए आदेश

*६८--श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार द्वारा जिलाधीशों के पास ऐसा कोई आदेश हाल में जारी किया गया है कि पुराने पटवारी जिनका काम अच्छा रहा है, रख लिये जायं ?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जी हां।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पटवारी रक्खे जायेंगे उनके लिये कुछ उम्र की कैद भी रक्खी गयी है?

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जी हां, ४५ वर्ष।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पटवारियों की कुल संख्या कितनी है और ये किन-किन कामों के लिये रखे गये हैं ?

श्री चरण सिंह--४५ वर्ष के पटवारियों की संख्या कितनी है, इसकी कोई सेंसस नहीं ली गयी है। रखे जायेंगे लेखपालों के काम के लिये। सिर्फ उन्हीं जगहों पर रक्खे जायेंगे जो वेकेंसीज भविष्य में होंगी। एक जगह अगर खाली होती है तो उस पर आउट साइडर, दूसरी जगह खाली होती है तो पुराना पटवारी और तीसरी जगह खाली होती है तो फिर आउट साइडर, इसी क्रम से रक्खे जायेंगे। इन स्थानों पर वही रखें जायेंगे जिनका रिकार्ड अच्छा हो और ४५ से ज्यादा उम्र का न हो। कोई लेखपाल इसलिये नहीं निकाला जायगा कि इनमें से किसी को रखना है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनका रिकार्ड से क्या मतलब है, उसकी शोहरत से मतलब है जहां वह काम करता था या उसकी कैरेक्टर रोल से मतलब है ?

श्री चरण सिंह--रिकार्ड से मतलब उनकी कैरेक्टर रोल से भी है और शोहरत से भी है। मैं सदन को इत्मीनान दिलाता हूं कि उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं आयगी क्योंकि उनको अब काफी तजुरबा हो गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकारी आदेशानुसार प्रांत में कितने पटवारी रक्खे गये ?

श्री चरण सिंह--ऐसे कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है। २-४ रखे गये होंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये जो पुराने पटवारी रक्खे जायेंगे क्या उनकी पुरानी सर्विस भी काउन्ट की जायगी ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो इन स्थानों पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको हटाया तो नहीं जायगा ?

श्री चरण सिंह--बिलकुल नहीं, हरगिज नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो पटवारी रिंग लीडर्स रह चुके हैं क्या सरकार उनको भी रखने पर विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह--मैं दो बातें तो पहले बता चुका, तीसरी बात रह गयी थी। ऐसे ही लोग इन स्थानों पर रक्खे जायेंगे--(१) जो नेक चलन रहे हों, (२) ४५ वर्ष से कम उम्र के हों तथा (३) जिन्हें लीडरशिप का शौक न लग गया हो।

## बरेली तहसील में दस गुना लगान में गबन तथा भूमिधरी की सनदें

*६९--श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील बरेली, जिला बरेली में कुल कितना रुपया दस गुना लगान में जमा किया गया और कितनी भूमिधरी की सनदें जारी की गई ?

श्री चरण सिंह--तहसील बरेली, जिला बरेली में कुल रु० १३,२८,६०८-३-३ जमा हुआ तथा १६,५७७ सनदें जारी की गईं ।

*७०--श्री रामचरन लाल गंगवार (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि तहसील बरेली में दस गुने लगान के रुपये का गबन किया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चरण सिंह--जी हां, कुल ३९०१ रु० १५ आ० ३ पाई का गबन किया गया।

*७१--श्री रामचरन लाल गंगवार (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि तहसील बरेली के कुछ काश्तकारों की सनदें जो उनको मिल चुकी थीं मंसूख कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चरण सिंह--जी हां, १५६ सनदें मंसूख की गईं ।

*७२-७३--श्री महमूद अली खां (रामपुर)--[१० जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

## अतारांकित प्रश्न

---

## गढ़वाल जिले की भूमि-वितरण समिति

१--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि खाम भावर कोटद्वार में भूमि वितरण के लिये कोई कमेटी बनाई गई है ?

२--क्या सरकार कमेटी के सदस्यों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--इस कार्य के लिये कोई विशेष समिति तो नहीं बनाई गई है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल को इस क्षेत्र में भूमि बांटने का पूर्ण अधिकार है, परन्तु सन् १९४९ में केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका एक काम यह भी था कि वह बंजर जमीन की तलाश करे और जिलाधीशों को इस विषय में सम्मति दे कि वह भूमि को किस तरह बांटे । ऐसी एक कमेटी गढ़वाल में भी है जिसके सदस्य निम्नांकित है :--

१--श्री जगमोहन सिंह नेगी ।
२--श्री बुद्ध सिंह ।

३--श्री प्रताप सिंह नेगी।
४--श्री ललित प्रसाद नैथानी।
५--श्री योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी।
६--श्री अमर दत्त पोखरियाल।
७--श्री धनी राम जोशी।
८--कैप्टेन चन्द्र सिंह।
९--खाम भावर के सभी ग्राम सभाओं के प्रधान।

## मत्स्य विभाग के अन्तर्गत जौनपुर जिले में नर्सरियां

३--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछली संबंधी नर्सरियां जौनपुर जिले में कितनी हैं ?

श्री चरण सिंह--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत जौनपुर जिले में ४५ नर्सरियां हैं।

---

## सदन के विशेषाधिकार की अवहलना के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा की भर्त्सना

श्री अध्यक्ष--अब श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा को भर्त्सना के लिये प्रस्तुत किया जाय।

(श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा, ए० पी० पी०, कसिया को सदन में प्रस्तुत किया गया।)

श्री अध्यक्ष--श्री लक्ष्मीनारायण मेहरोत्रा ! सदन ने आपको विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी पाया है। आपने विशेषाधिकार समिति के समक्ष कृत्रिम अभिलेख प्रस्तुत कराकर और समिति के साक्ष्य को कपटपूर्वक वशीकृत करने के समक्ष चेष्टा करके तथा समिति के समक्ष असत्य साक्ष्य देकर एवं सत्य छिपाने की चेष्टा करके सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की। एक सरकारी कर्मचारी होते हुए आपसे आशा की जाती थी कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप अपने कर्तव्य का पालन करते परन्तु आपने उसके विपरीत कार्य किया। अतएव मैं सदन के नाम पर आपको इस घोर अपराध के लिये भर्त्सना देता हूं जो आपने इस सदन के विरुद्ध किया है।

अब आप सदन के बाहर जा सकते हैं।

## श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ तिथि के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के प्रश्न पर सदन में विचार करने के लिये तिथि नियुक्त करने के बारे में क्या निश्चय हुआ है।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि माननीय हाफिज जी के साथ विरोधी दल के नेता की बातचीत होगी और वह जब समय बतायेंगे, तब कोई समय निर्धारित होगा। अब विरोधी दल के नेता ने और माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि २१ तारीख को बातचीत होगी और तभी निश्चय होगा कि कौन सी तारीख इसके लिये निश्चय की जाय। वह लोग तय करके बतायेंगे, तभी मैं बता सकता हूं।

# †लखनऊ युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय, तथा श्री जोरावर वर्मा के संशोधन पर, कि यह सदन निश्चय करता है कि यह विधेयक इस सदन द्वारा नियत पुनः एक प्रवर समिति के समक्ष जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी, विचारार्थ भेजा जाय जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दें, विचार जारी रहेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बता चुका हूं कि जो बिल हमारे सदन में उपस्थित है वह इतना नाकाफी है कि वह हमारे इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने में असमर्थ है। मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत जल्द शिक्षा की हालत को सुधारने के लिये यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था उपस्थित करे, जिससे हमारे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं पूरा-पूरा लाभ उठा सकें और वह हमारे राष्ट्र को शिक्षा-दीक्षा से ऊंचा उठा सकें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स जो काम अपने क्लासेज में आ कर करते हैं वह केवल एक मैकेनिकल मशीन की तरह या तो किताबों को क्लासेज में आकर रिप्रोडयूस करते हैं या नोट्स तैयार करके साल ब साल उन्हीं नोटों को क्लासेज में आकर डिक्टेट कराया करते हैं, जिससे विद्यार्थियों का समय नष्ट होता है और उससे उनकी इन्टेलिजेंस को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसके लिये मैं सुझाव देता हूं कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था को दूर करना है तो इन प्रोफेसरों से प्रार्थना की जाय कि वह अपने नोट्स को बुक फार्म में छपा कर विद्यार्थियों के लिये चार आना आठ आना में बेंच कर उपलब्ध करावें। दसरे मैं समझता हूं कि हमारी यनिवर्सिटी शिक्षा का हर्गिज यह ध्येय नहीं है कि वहां यह प्रोफेसर किताबों के पेजेज अफटर पेपेज और पेरेग्राफ्ज आफटर पैराग्राफ्स रिपीट करें और रिप्रोडयूस करें, इससे हमारे विद्यार्थियों के दिमांगों का कोई विकास सम्भव नहीं है। उनको हमें इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिये जिससे उनके दिमाग़ की ट्रेनिंग हो, रिपीट करने की नहीं, केवल रिप्रोडयूस करने की नहीं, मन्की ट्रिक्स की नहीं, बल्कि उनके इनटेलेक्ट को बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये। मैं अपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज से बड़े-बड़े जीनियस निकले हैं और बड़े-बड़े मेन्टल प्रोजिडीज हुये हैं। परन्तु किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, की मेंटल प्रोजिडीज को, उसकी जिनियस को, उसकी नैतिकता को विकसित नहीं किया गया तो वह नालेज और ज्ञान जो किसी राष्ट्र के लिये बरदान साबित हो सकता है वही ज्ञान, वही शिक्षा, वही जीनियस और वही साइंटिफिक इन्वेन्शन्स न केवल भारतवर्ष के लिये बल्कि दुनिया के लिये और सारी मानव जाति के लिये अभिशाप साबित हो सकता है। जैसा अपने देखा, आपके जमाने में ऐटम बम, हाइड्रोजन बम, और दूसरे डिस्ट्रक्टिव वैपन्स इन्वेन्ट किये जा रहे हैं। तो यही साइंस की नियामत, साइंस की देन, दुनियां को विकास के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है लेकिन आज हो क्या रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी युनिवर्सिटीज के प्रोडेक्ट की लाइफ्ज की मोरल साइड (नैतिकता) डेवलप नहीं की गई तो हमारे संसार के पालिटिशियन्स, जो कि राष्ट्रों के अधिष्ठाता हैं, हजारों लाखों मानवों का संहार करा डालेंगे।

---

†प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४, को कार्यवाही में छपा है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यहां युनिवर्सिटी विधेयक पर बहस हो रही है लेकिन उस पर यह कहा जाय कि शिक्षा कैसी हो, इस पर कहने से सदन का समय व्यर्थ जाता है।

श्री अध्यक्ष—आप समझते हैं यह बातें असंगत है। (श्री चन्द्रसिंह रावत से) तो आप इस विधेयक की संगत बातों पर स्वय आइये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि सदन में लखनऊ युनिवर्सिटी पर जेनरल डिबेट हो रही है और बिल के अन्दर युनिवर्सिटी स्टेडीज में जिन विषयों को मैं इम्पार्टेन्ट समझता हूं, नहीं रखा गया है। मैं चाहता हूं कि एक विधेयक उन बातों को ध्यान में रखते हुये युनिवर्सिटी विधेयक के रूप में सदन में उपस्थित किया जाय इसलिये कि अगर आप इस बिल के अन्दर नहीं रखना चाहते हैं तो आप मेंटल प्रोजिडीज को डेवलप नहीं कर सकते। आप ऐसा मेंटल वायस इससे पैदा करना चाहते हैं जो संसार के लिये अभिशाप हो और राष्ट्र के लिये अभिशाप पैदा करना चाहते हैं। जब तक आप रेलीजस टीचिंग इन युनिवर्सिटीज के अन्दर नहीं देते तब तक किसी के भी दिमाग में फितूर आ सकता है, वह अपने पेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और वह दुनिया को चन्द घंटों के अन्दर खत्म कर सकता है और इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हमारे राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—आप असंगत जा रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं, अपना स्थान ग्रहण कर लें, और सुन लें। यह आम बहस है लेकिन उसमें वही शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त विचारणीय रह सकते हैं जो विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं। अगर उन सिद्धान्तों के बाहर यदि आप जायं तब तो शिक्षा एक बड़ा भारी विषय है, उसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। लेकिन शिक्षा की नीति का सपूर्ण विषय इस विधेयक का नहीं है तो उसके ऊपर अधिक चर्चा न करें, थोड़ा सा आप जिक्र कर देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन आप उसी पर जोर दे रहे हैं। जब आप अपना नान आफिशियल बिल लायेंगे उस पर बाद में विचार हो सकता है लेकिन इस विधेयक में यह चीज नहीं आ सकती।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बता रहा था कि यह एन्टीसिपेट करता था कि यह प्राविजन इस बिल के अन्दर होता है। मैं अभी भी सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस प्राविजन को इस बिल के अन्दर अगर स्थान दिया जा सकता है तो अभी भी उसको स्थान दिया जाना चाहिये कि जो विद्यार्थी साइन्स में युनिवर्सिटी में शिक्षा पाते हैं उनको साइन्स के ही द्वारा समाज के विकास के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये। और जब तक कि यह व्यवस्था आप अपनी युनिवर्सिटीज के किसी ऐक्ट के अन्दर नहीं पैदा करेंगे, मैं समझता हूं कि उस समय तक आप जितना रुपया भी युनिवर्सिटी में व्यय कर रहे हैं समाज के लिये उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जितने भी प्राविजन्स इस बिल के अन्दर रखे गये हैं वह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ज्यादा रिश्ता रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें युनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी डेवलप करनी है और जितने भी दोष उसके अन्दर हैं जिनके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है, हमें उनको दूर करना है। हमने देखा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर मेम्बर्स जिस प्रकार से चुन कर आयेंगे, उसका जो प्रासेस है वह आपके बिल में दिया

हुआ है, परन्तु मैं एक बात इम्फेसाइज करना चाहता हूं। वह यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में ज्यादातर जो मेम्बर चुन कर आयेंगे उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही स्टाफ में से एलेक्ट होना चाहिये। बाहर के लोगों को प्रोवाइड नहीं करना चाहिये, उनकी तादाद अधिक नहीं होनी चाहिये और उनको इस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में डामिनेट नहीं करना चाहिये। मैं बाहर के लोगों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रखना बेसिकली एक रांग प्रिंसिपुल समझता हूं। जहां यूनिवर्सिटी के मसले डिसाइड होते हैं वहां जो लोग प्रेक्टिकली उससे एफेक्ट होते हैं और जो लोग यूनिवर्सिटी की कमियों को पहचानते हैं और उसके शिकार बनते हैं, वही उसकी अच्छी व्यवस्था करने में ज्यादा सहायक हो सकते हैं बजाय उनके कि जो देहरादून से ट्रेविल करके या बनारस से ट्रेविल करके आते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को बिलांग करते हैं। इनसे युनिवर्सिटी की व्यवस्था को उत्तम बनाने में कोई डाइरेक्ट सहायता नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उनका जो ध्यान है वह दूसरे मसलों पर केन्द्रित रहता है और सिर्फ यह समझने से कि मैं एक बड़ी कमेटी में चुन लिया गया हूं या एक्जीक्यूटिव कौंसिल में तशरीफ ले आया हूं, मैं समझता हूं राष्ट्र का या यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन बाहर के लोगों की तादाद को और बढ़ा कर यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को अव्यवस्थित करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा सीटें उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिये जिनका कि यूनिवर्सिटी लाइफ से ज्यादा कांटैक्ट है।

अब मैं बताना चाहता हूं कि जो प्राविजन वाइस चांसलर के एप्वाइंटमेंट के लिये इस ऐक्ट के अन्दर रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि उस प्रोविजन में एक अपारचुनिटी दी गई है कि केवल वही व्यक्ति नहीं जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मेजारिटी कमांड करता हो एलेक्ट हो सकेगा जैसी कि आज तक व्यवस्था रही कि कोर्ट में जिसके ज्यादा वोट हुआ करते थे वही वाइस चांसलर चुना जाता था, परन्तु जब कि डिसीजन यूनानिमस न हो कौंसिल तीन नामों को रेकमेंड करेगी। इसमें मैं एक फरदर प्रोविजन की व्यवस्था चाहता हूं। जो व्यवस्था है आलरेडी, वह इस प्रकार है कि जो कि माइनारिटी का केन्डीडेट होता है अगर एक्जीक्यूटिव उसको चाहे तो उसका नाम उन तीन में से हो जायगा जिन तीन नामों को आपके चांसलर को रेकमेंड किया जाता है। अगर सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट और प्रपोरशनल रेप्रेजेंटेशन न होता और उसकी बात आप इस ऐक्ट के अन्दर न रखते तो मैं समझता कि इससे हमारी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं इस पौइंट को ऐम्फ़साइज करना चाहता हूं। अगर आप दरअस्ल इस बात के इच्छुक हैं कि यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था में सुधार हो और थर्ड रेट के आदमियों को यूनिवर्सिटी के अन्दर वाइस चांसलर का स्थान न मिले केवल इसलिये कि वहां पार्टी पौलिटिक्स खड़ी हो, केवल इसलिये कि वह हमारा रिश्तेदार है, केवल इसलिये कि वह बहुत बड़े आदमी का जान पहिचानी है, तो हमें पार्टी पौलिटिक्स से ऊपर उठ कर इस विधेयक पर और इसके प्राविजन्स पर विचार करना चाहिये। किसी प्रकार की तरफ़दारी यूनीवर्सिटी में नहीं करनी चाहिये। ऐसी तरफदारी कहीं और हो तो इतना बुरा नहीं है, मुझे उससे उतनी उज्रदारी न होती, जितनी की यूनिवर्सिटी के मामले में है। यह बहुत अनुचित बात है। ऐसी बातों को हमें चरितार्थ नहीं करना चाहिये। हम इस सदन के माननीय सदस्य हैं, इसलिये इस सदन के अन्दर एकत्रित हुए हैं और इसलिये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपनी यूनीवर्सिटीज की शिक्षा दीक्षा के लिये, उसके विकास के लिये, अपने राष्ट्र के भाग्य निर्माताओं के कल्याण के लिये, जनता का रुपया जाया करके, यहां बैठे हैं। हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिये और ईमानदारी के साथ। अगर हम लोग सीरियसली इस मामले पर थिंक नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अविश्वासी साबित

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

होते हैं। इसलिये हमें बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बिल के प्रावीजन्स पर सोचना है और उसी व्यवस्था को सपोर्ट करना है, उसी व्यवस्था पर आवाज उठानी है जो कि हमारे इस प्रदेश की शिक्षा-दीक्षा के लिये एक वरदान साबित हो सके। इसलिये निहायत अदब के साथ कहूंगा कि इसमें कोई पार्टी पोलिटिक्स का प्रश्न नहीं है। सब माननीय सदस्यों को इस व्यवस्था को सपोर्ट करना है कि अगर माइनोरिटी का भी कोई आदमी है और काबिल है तो वही वाइस चांसलर चुना जाय। इसी में इस सदन की शान है। इसलिये अधिक न कह कर मैं दरख्वास्त करूंगा कि युनिवर्सिटी बिल को पास कराने में, उसके ऊपर पूरा-पूरा डिस्कशन करने में हम लोगों को केवल एक दृष्टि-कोण रखना चाहिये कि हमें किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिये, किसी के वशीभूत नहीं होना है, बल्कि तजुर्बे ने जो सिखाया है उसी पर इस बिल को और प्रोवीजन्स को सपोर्ट करना है। और अगर इसके विपरीत हम करते हैं तो हम अपने राष्ट्र का अनहित करते हैं, और अपनी मेम्बरी पर एक बड़ा धब्बा डालते हैं।

†श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन्हीं दो महीनों के अन्दर उसे उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धान्त पर दो बार वाद-विवाद करने का मौका मिला। अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि हमने पांच दिन तक लगातार इलाहाबाद युनीवर्सिटी बिल पर विवाद के अवसर पर युनीवर्सिटी की शिक्षा के सिद्धान्त पर बहस की थी। मैं आज उन सभी बातों को दोहराना ठीक नहीं समझता जिनको इलाहाबाद युनीवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से सदन में कह चुका हूं। लेकिन फिर भी इस लखनऊ युनीवर्सिटी बिल की प्रस्तावना को लेकर जिन बातों को कहना आवश्यक है उनको मैं संक्षेप में आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि आज जब कि दो दिन से लखनऊ युनिवर्सिटी बिल पर बहस चल रही है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक क्षण के लिए भी इस सदन में नहीं आये।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—कौंसिल में हैं, मैं बैठा हूं।

श्री नारायणदत तिवारी—और आदरणीय चन्द्रभानु गुप्ता जी एकाध क्षण भर के लिए यहां आते रहें, जिन्होंने कि इस बिल को पायलट किया। मैं आशा करता था कि कौंसिल में इलाहाबाद यूनीवर्सिटी बिल के चलते हुए भी अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ क्षण के लिये, एक घंटे या दो घंटे के लिए इस सदन में भी आने की कृपा करते तो अच्छा होता। इसमें कोई लखनऊ यूनिसवर्सिटी बिल की इज्जत घटाने या बढ़ाने का सवाल तो है नहीं, लेकिन यह भी एक यूनीवर्सिटी बिल है...

डाक्टर सीताराम—आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए न। मैं यहां बैठा हूं।

श्री नारायणदत तिवारी—मैं जानता हूं कि आप उनके प्रतिनिधि हैं यहां पर, लेकिन यह उनका दायित्व था, उन्हें अवश्य आना चाहिए था।

श्रीमन्, माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त ने बड़े ओजस्वी शब्दों में इस बिल की प्रस्तावना का समर्थन किया। उन्होंने यह कहा कि आटोनामी के जितने वह समर्थक हैं, जितने वह हामी हैं, बहुत कम व्यक्ति इस सदन में होंगे, जो उतने इसके समर्थक हों और उन्होंने इस आटोनामी की दलील को यह बतलाया कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वह या तो वह लोग हैं जो कि छोटे अध्यापक हैं या जिन्होंने कि विधेयक को

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पढ़ा नहीं या जो विधेयक के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। श्रीमन्, मैं तो यह दावा नहीं करता कि मुझे २४ वर्ष का अनुभव माननीय गुप्ता जी की तरह युनिवर्सिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन का है लेकिन यूनिवर्सिटी शिक्षा के एक विद्यार्थी के नाते मैं अवश्य यह कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने एक अन्याय जरूर हम लोगों के ऊपर किया जब कि उन्होंने यह कहा कि आटोनामी के सिद्धान्त को तो केवल इस विधेयक के बनाने वाले ही जानते हैं और इसकी आलोचना करने वाले कोई नहीं जानते या कुछ नहीं जानते। इतना कह कर उन्होंने सिद्धान्ततः अपने विरोधियों के प्रति अन्याय जरूर किया।

मैं आपका ध्यान सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड की दो सिफारिशों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनको कि अगर हमारी सरकार को याद हो तो हाल ही में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के यहां पारित होने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से हमारी राज्य सरकारों के पास भेजा है। अगर मैं गलती नहीं करता तो ठीक परसों या नरसों लोक सभा में डाक्टर मनमोहन दास के एक प्रश्न के उत्तर में, यही बतलाया गया था कि राज्य सरकारों को हिदायत या सलाह कहिए, केन्द्रीय सरकार ने भेजा है। उसमें पहली सलाह क्या है? श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि वह पहली सलाह ठीक वही है वाइस-चांसलर के चुनाव की पद्धति के सम्बन्ध में, जिसको कि हम लोगों की तरफ से संशोधन के रूप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में पेश किया गया था कि वाइस-चांसलर के चुनाव की दिल्ली और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स में जो पद्धति बतलायी गई है, उसी पद्धति के अनुसार वाइस चांसलर का चुनाव होना चाहिए और यही कमीशनों की सिफारिशों का निचोड़ है। तो यह केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के पास भेजा है। दूसरी सलाह जो और भी महत्वपूर्ण है मैं समझता हूं, वह यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के गठन में इंटर्नल साइड की तरफ बैलेंस होना चाहिए, यानी मेजारिटी इंटर्नल मेम्बर्स की होनी चाहिये, टीचर्स की होनी चाहिये। अब माननीय गुप्ता जी यहां अगर होते तो मैं उनसे पूछता कि वह केन्द्रीय सरकार में बैठे हुए बुजुर्गों को तो नहीं कह सकते कि उनको कोई शिक्षा का अनुभव नहीं है। मैं तो यह कहूंगा, श्रीमन्, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटी बिल जो पारित हुआ था, वह और शायद पंजाब में कोई बिल था, यही दो ऐसे प्रदेश थे जहां यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में विधेयक बन रहा था, तो केन्द्रीय सरकार की सलाह भी इन्हीं के लिए थी। मैं यह सोचता था कि माननीय गुप्ता जी यह बतावें कि क्या वह इन सिफारिशों को मानने जा रहे थे या नहीं। आखिर टीचर्स की मेजारिटी हो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में, इस सिफारिश का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आज केन्द्रीय सरकार समझती है कि हमारी प्रदेशीय सरकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर इंटरनल साइड को मेजारिटी न देकर, टीचर्स को, एकेडेमिक साइड को, मेजारिटी न देकर अन्याय कर रही है।

यह केन्द्रीय सरकार की राय है। यह कोई छोटे अध्यापक की राय नहीं है, किसी विद्यार्थी की राय नहीं है, किसी माननीय सदस्य की राय नहीं है; बल्कि सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन की राय है।

डाक्टर सीताराम—इसलिए जायज है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप के लिए जायज है, क्योंकि आपकी केन्द्रीय सरकार है। हमारे लिए जायज हो या न हो, वह बात अलग है।

जहां तक आटोनोमी का प्रश्न है, डा० अमरनाथ झा, श्रीमती हंसा मेहता, डा० रामसाद त्रिपाठी और श्री सी० पी० रामास्वामी अय्यर, जितने वाइस चांसलर इस प्रदेश में हैं या इस प्रदेश के बाहर हैं, उनमें से अधिकांश के बयान मेरे पास रखे हुए हैं, मगर मैं सारा समय इसमें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सदन का नहीं लेना चाहता अगर माननीय गुप्ता जी या सरकार यह समझती है कि यह वाइस-चांसलर कोई छोटे अध्यापक हैं या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इन्हें तजुर्बा नहीं है तो वह कह सकते हैं कि हमने आटोनोमी नहीं छीनी, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अधिकांश शिक्षा विशारदों की राय यह है कि इनके द्वारा यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में हस्तक्षेप किया गया। आपने आंशिक रूप से उसमें हस्तक्षेप किया है, यह तमाम शिक्षा विशारदों की राय है। हमारे उप-राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को रोम जाकर इशारा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी की हर हालत में रक्षा होनी चाहिए। यह भी एक महीने की बात है अगर वह अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र होते तो कोई उनके भाषण को सुनने वाला यह समझ सकता है कि उनका इशारा हमारे देश की यूनिवर्सिटी की विधान प्रणाली की तरफ है।

और, श्रीमन्, मैं तो आज ऐसी एक किताब यहां पर लाया हूं, जिसमें कि हमारी सरकार के एक मात्र प्रतिनिधि की राय दी हुई है। युट्रैक्ट कान्फ्रेंस एक इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कान्फ्रेंस थी। उसमें हमारी भारतीय सरकार की तरफ से एक मात्र यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि गये थे, सर चन्देश्वर प्रसाद नारायण सिंह जो कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने सन् १९४९ में जब कि यह विधेयक नहीं था, चूंकि अब तो विधेयकों के विकृत रूप आ रहे हैं, उस समय अपनी राय दी थी। उससे मालूम हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में क्या राय उनकी है, जो कि सारी यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में थीं, उनकी तरफ से युट्रैक्ट गये थे :—

"State aid generally implies some measure of State control. The amount of State control varies from Province to Province and from University to University. In actual practice this control has been reduced to the minimum, but the retention of the State's right is almost universally resented."

अर्थात्, राज्य की सहायता पर आम तौर पर कुछ राज्य के नियंत्रण की बात भी लगती है, उसके अन्दर समाहित है। राज्य का नियंत्रण अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग है, और विश्वविद्यालयों में भी अलग है। व्यवहार में तो यह कम से कम प्रयुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी राज्य के अधिकारों का रखा जाना, इसको सभी ओर से निन्दा की दृष्टि से देखा गया है।

क्या यह विद्यार्थियों की राय कही जायगी ? मैं आपका ध्यान तीन दृष्टिकोण से इस आटोनोमी के प्रश्न की ओर दिलाना चाहूंगा। हम पर जो आरोप लगाया गया है, हम उसका स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, इस आटोनोमी के सम्बन्ध में। तीन प्रकार की आटोनामी कही गयी है। एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आटोनोमी, एक ऐकेडेमक आटोनोमी, और तीसरी फ़ाइनेंश्यल आटोनोमी। मैं संक्षेप में साबित करूंगा कि किस प्रकार इस बिल में इन तीनों प्रकार की आटोनोमियों को छीना गया है, किसी को कम किसी को ज्यादा। पहले मैं फाइनेंश्यल आटोनोमी पर आता हूं। इस सम्बन्ध में सन् १९२० की ऐक्जिक्युटिव कौंसिल की प्रोसीडिंग्ज की रिपोर्ट भी है, और उस कान्फ्रेंस की मिनिट्स भी हैं जिनके द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इस मिनिट्स में जब सन् १९१९ में एक कान्फ्रेंस पहली बार बनाये जाने का निश्चय किया गया तो उसमें फाइनेंश्यल आटोनोमी के बारे में एक खास रूप में एक और क्लाज रख दिया गया।

यह पृष्ठ ७१५ है। इसमें चौथा निश्चय यह है कि :—

"The University should be financially autonomous, but Government should be entitled to earmark grants for definite objects. A treasurer should be appointed by the Chancellor to supervise the finances and the accounts should be audited by Government only."

विदेशी सरकार के समय में जब यूनिवर्सिटी बनी तो इस कान्फ्रेंस में जिसमें बड़े-बड़े एजूकेशनिस्ट्स थे, यही सर्व सम्मति से निश्चय हुआ था और उसमें केवल दो बातें ही रक्खी गयीं। एक तो यह कि गवर्नमेंट स्पेसिफ़िक अब्जेक्ट्स के लिए ग्रान्ट दे, और उसका अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया। ब्लाक ग्रांट के अलावा नान रिकरिंग ग्रांट का अधिकार दिया गया। दूसरे यह कि गवर्नमेंट को आडिट करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा और कोई अधिकार गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। यह सन् १९१९ की बात है।

अब हमें यह देखना है कि इस आडिट रिपोर्ट से सरकार का काम चलता है या नहीं। मेरे पास लखनऊ युनिवर्सिटी की आडिट की लेटेस्ट रिपोर्ट है, और उसमें बहुत डिटेल्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी की गड़बड़ी पर रिपोर्ट दी है। मैं यह कह सकता हूं कि युनिवर्सिटी की गड़बड़ी में कोई चेक नहीं हुआ। मैं यह मानता हूं कि लखनऊ युनिवर्सिटी में गड़बड़ी हो रही है, मेडिकल कालेज के इन्तजाम में गड़बड़ी हो रही है और स्टोर में हो रही है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या आडिट रिपोर्ट के जरिये इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ सकता? लेकिन इस पर सरकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। क्या आप इससे यह नहीं समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के आर्थिक मामलों में गड़बड़ी है और उस पर कन्ट्रोल रख सकें। इस सम्बन्ध में हमें सरकार की ओर से कोई बयान नहीं हुआ है।

आडीटर्स ने जो रिपोर्ट लखनऊ युनिवर्सिटी के बारे में दी है, उस सम्बन्ध में उतना कार्य नहीं किया गया है, जितना कि किया जाना चाहिए था। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारी आडिट रिपोर्ट्स पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना आडिट रिपोर्ट की आलोचना किये हुए आज सरकार इस बात की ताकत अपने हाथ में ले रही है, कि कमेटी आफ रिफ्रेंस की ताकत को बढ़ाये और उसमें अपने दो प्रतिनिधियों को रखे, जब कि कहीं भी, इस प्रकार की लिमिट को तय करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। इस प्रकार युनिवर्सिटी की फाइनेंश्यल आटोनोमी को नियंत्रित कर रही है। इस प्रकार से वह यूनिवर्सिटी पर दबाव डाल रही है कि अपने आर्थिक मामलों को सरकार के सुपुर्द करे। यह तो यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल का काम था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो सरकार ने बनायी है, उसका काम था कि वह अपनी जगह पर इस बात का निश्चय करे कि इस युनिवर्सिटी को कितना रेकरिंग और नान रिकरिंग एक्सपेंडीचर दिया जाय।

माननीय गुप्ता जी ने ब्लाक ग्रांट सिस्टम की बड़ी तारीफ की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन क्या हमारी सरकार इस पर चलने को तैयार है? उन्होंने कहा कि हम ब्लाक ग्रांट सिस्टम करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या उनको कामयाबी हुई है? अगर आप ब्लाक ग्रांट सिस्टम में विश्वास रखते हैं तो फिर आपको कमेटी आफ रिफ्रेंस को बदलना होगा। यह यूनिवर्सिटी के रेकरिंग और नान रेकरिंग एक्सपेंडीचर को तय नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा कि इससे भी आगे सरकार एक और ताकत ले रही है। वह यह कि जो व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खर्च कर लेगा, उसको गवर्नमेंट को रिएम्बर्स करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को जब कोई ग्रांट दे दी गयी तो फिर गवर्नमेंट का इस से क्या ताल्लुक है? अगर कोई आदमी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है, तो यूनिवर्सिटी को अधिकार है कि उस व्यक्ति से रिएम्बर्समेंट प्राप्त करे। एक्जीक्युटिव कौंसिल रिइम्बर्समेंट मांग सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं मांग सकती है और इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल ने एक मत से इस बात की मांग की थी कि यह बहुत जरूरी है, इस अधिकार को सरकार को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज भी वह लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक का एक अंग है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि कमेटी आफ रेफ्रेंस की ताकत को बढ़ा कर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की ताकत को लिमिट करके रिइम्बर्समेंट की बात को सरकार अपने हाथ में लेकर यूनिवर्सिटी की फिनैन्श्यल आटोनोमी को समाप्त कर रही है। एक बात मैं अवश्य मानता हूं कि अगर सरकार एक बात का विश्वास दिला देती है कि हम कमेटी आफ रेफ्रेंस में अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं, हमें रिइम्बर्समेंट का भी हक

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होगा, लेकिन हम इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के उचित खर्चों के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी के जरिये, जो सिफ़ारिशें आयेंगी, उन सबको हम मंजूर करेंगे। बिला इन्कम को प्रोवाइड करने की पूरी-पूरी जिम्मेदारी लिये हुए आप एक्सपेंडीचर को रेगुलेट करने लगें, यह कहां की महत्ता है ? मैं तो आज भी माननीय मन्त्री जी से इस बात को जानना चाहूंगा कि वह इस बात का आश्वासन दे दें कि जो आमदनी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की नहीं है, जिसको वह प्राप्त करना चाहती है, जिसकी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी समय समय पर सिफ़ारिश करती है, अगर उस आमदनी के जरियों को माननीय मन्त्री जी की सरकार मोहय्या कर दे, तो हमारी शिकायत बहुत हद तक कम हो जायगी। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यह कहा गया था कि वहां पर कोई १८–१९ लाख रुपये का कर्जा उस यूनिवर्सिटी पर है, लेकिन उतना ही बड़ा कर्जा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी पर भी है। यहां पर कोई मूथम इन्क्वायरी कमेटी नहीं बिठायी गयी और न बिठाने की जरूरत समझी गयी। कुछ लोगों का कहना यह है कि माननीय गुप्ता जी ने इस हद तक इस यूनिवर्सिटी की आटोनोमी की रक्षा की कि उन्होंने स्टेट की इन्क्वायरी इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होने दी, मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है, मुझे कोई इस बात की मांग नहीं करनी है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई इन्क्वायरी कमेटी क्यों नहीं बिठायी गयी। मैं तो यह कहूंगा कि अच्छा ही हुआ कि इस प्रकार की कमेटी नहीं बैठी। लेकिन जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्क्वायरी कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी, तो उन्हीं बातों को जो मूथम इन्क्वायरी कमेटी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलसिले में कहीं, यहां लागू करने की क्या आवश्यकता है ? इस सम्बन्ध में, मैं आपकी सेवा में, श्रीमन्, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल ने जो नियम निश्चय किया था, उसकी दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं :

"The Committee was cognizant of the fact that amendments to the Allahabad University Act and Statutes had been necessitated by certain steps which Government had to take in view of the special circumstances prevailing in that University. This background luckily does not exist in this University and it should, therefore, be of immense advantage if the question of the amendment of the Lucknow University Act and Statutes could be taken up separately. Full advantage would, of course, be taken of the latest suggestions for improvement of University administration as contained in different reports of the Central and State Governments but, on the whole, the present Act and Statutes had worked satisfactorily, and with the minimum of changes it would be possible to adjust the provisions of the present Act and Statutes so as to incorporate suggestions for improvement."

लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव कौंसिल ने जो सिफारिश की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुराने ऐक्ट में संशोधन करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। केवल स्टैटचूट्स में, आर्डिनेंसेज में चेंज करने से ही काम बन जायगा। वह तो इस ऐक्ट के लाने से ही एक प्रकार से खिलाफ थे और माननीय चन्द्रभानु जी ने यहां पर दावा किया कि हमने एक्जीक्युटिव काउन्सिल के ७५ फी सदी सिफारिशों को मान लिया। मेरे पास एक एक सिफ़ारिश एक्जीक्युटिव कौन्सिल की रखी हुई है। पहले तो एक्जीक्युटिव कौन्सिल चाहती ही नहीं थी, कि यह बिल आये। खैर, अगर बिल आ गया, उनकी राय देने की मजबूरी हुई, तो उन्होंने क्या राय दी है ?

श्रीमन्, पहली चीज तो एकैडेमिक इन्टरफ्रियरेंस है—पहले मैंने फाइनेंशयल अटोनामी की बात बतायी। अब ऐकेडेमिक इन्टरफियरेंस की बात बता रहा हूं, कि एकैडेमिक अटोनामी किस प्रकार इस बिल से छीनी जा रही है। उस तरफ एक्जीक्युटिव कौंसिल ने इशारा

किया था जब कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एक्जीक्युटिव कौंसिल ने मांग की थी कि एसोशिएटेड और कांस्टिटुएंट कालेजेज बिलकुल नहीं होने चाहिए। श्रीमन्, हमको इस बात का क्या अधिकार है कि हम एक बार ऐकेडेमिक तौर पर टीचिंग, रेजिडेंशल, युनिटरी यूनिवर्सिटी को बना दें, और उसके बाद अब उसका वह स्टैन्डर्ड गिरायें, तो क्या यह एकैडेमिक इन्टरफियरेंस नहीं हैं? श्रीमन्, आप ही बतायें कि जो एक स्टैन्डर्ड बन गया है, एक बौद्धिक, शैक्षिक, नैतिक स्तर बन गया, और टीचिंग रेजिडेंशल युनिटरी यूनिवर्सिटी सफल हो गयी, अब उसको बदल कर एफिलिएटेड शक्ल देना क्या एकैडेमिक अटोनामी का हनन नहीं है? दूसरी बात श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि इस ऐक्ट में आगे चल कर राज्य सरकार ने इस बात का अधिकार लिया है कि एकैडेमिक बाडीज के प्रतिनिधियों की भी नामजदगी सरकार करेगी कोर्ट में। अब माननीय मन्त्री जी जरा बतायें। कोर्ट में एकैडेमिक बाडीज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को नामिनेट करने का अधिकार यह एकैडेमिक फंक्शन है, इसको राज्य सरकार ने किस प्रकार ले लिया। आगे चलकर चांसलर को, जिसका अर्थ यहां पर स्पष्टतया 'गवर्नमेंट' लगाया जायगा, उनको यह अधिकार दिया गया है कि जो डिग्रीज युनिवर्सिटी रेकग्नाइज करेगी, जो कि इन्टरमीडियेट और हाई स्कूल के बराबर होंगी, उन डिग्रीज को चांसलर महोदय रिकग्नाइज करेंगे। यह भी एकैडेमिक फंक्शन है। यह तीन ऐसी मिसाले हैं—पहले तो यूनिवर्सिटी कैरेक्टर का छीनना, दूसरे एकैडेमिक बाडीज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी सरकार द्वारा नामजद किया जाना, तीसरे रिकाग्नीशन आफ डिग्रीज जो बिलकुल एकैडेमिक फंक्शन है, उसे सरकारी हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाना—यह तीन बातें ऐसी हैं, जो कि इस बात को साबित करती हैं कि एकैडेमिक अटोनोमी जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, उसका भी हनन किया जा रहा है।

अब तीसरा जो फंक्शन है, वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव अटोनोमी कहा जाता है। श्रीमन्, मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि बताऊं कि इसका किस प्रकार वाइलेशन हो रहा है। पहली बात जो हमें इस सम्बन्ध में देखने योग्य है, वह गवर्नर चांसलर की बढ़ती हुई ताकतें हैं। मैं तो निश्चित हूं कि अगर आज कोई राधाकृष्णन कमीशन की जगह कोई कमीशन बैठता तो, इस नये सेटअप में और नयी कठिनाइयों को देखते हुए पहली सिफारिश यह करता कि गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिए। और इस बीच में बहुत से विद्वानों की जो राय बदली है, और जो चीफ जस्टिस को चांसलर बनाने की बात कही गयी थी, वह इस बात का एक प्रमाण है। इस विधेयक में आप देखेंगे श्रीमन्, कि गवर्नर चांसलर को हर प्रकार से अधिकार दिये गये हैं। क्या कन्सल्टेटिव कमेटी के सम्बन्ध में, क्या सेलेक्शन कमेटी के सम्बन्ध में, क्या रेकग्नीशन आफ डिग्रीज के सम्बन्ध में, क्या नामजदगी के सम्बन्ध में, गवर्नर चांसलर के अधिकार कम होने के स्थान पर बढ़े हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के जिस प्रकार स्टैटचूट्स बनाये गये, एक नयी बात की ओर, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी के स्टैटचूट्स हमारे सदन के सामने पेश नहीं हुए और हमको अधिकार नहीं दिया गया है कि हम उस पर बहस भी कर सकें। लेकिन उसमें भी बहुत से सुधार स्टैटचूट्स के द्वारा किये गये। आगरा यूनिवर्सिटी स्टैटचूट्स की एक कापी मुझे देखने को मिली। देखने के बाद यह पता लगा कि स्टैटचूट्स के अनुसार जो अधिकार चांसलर को हैं, वे और बढ़ाये जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज के स्टैटचूट्स क्या होंगे, लेकिन अगर वैसे ही होंगे जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी के हैं, तो मुझे इस बात का पूरा भय है कि गवर्नर चांसलर के अधिकार स्टैटचूट्स द्वारा बढ़ाये जाने वाले हैं। मिसाल के लिए जैसे मेनटिनेंस आफ जनरल रिकार्डस आफ टीचर्स इसमें लिखा है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि टीचर्स के रेकार्डस रखने की क्या जरूरत है। अगर इस प्रकार टीचर्स के रेकार्डस् रक्खे गये होते, कि उनका एकेडेमिक कैरियर क्या रहा है, कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं तब तो रेकार्ड माना जाता लेकिन अगर जनरल रेकार्ड की बात होती है तो सभी बातों का रेकार्ड आ सकता है। पोलिटिकल एक्टिविटीज, लिट्रेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज इतना बड़ा परिवर्तन आप करने जा रहे हैं इसकी क्या जरूरत सरकार को महसूस हुई? क्या यह सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस नहीं है? क्या जरूरत है कि हम अपनी ओर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से यह लिख दें कि टीचर्स का आमतौर पर एक रेकार्ड रक्खा जायगा? अगर यूनिवर्सिटी को इस बात की जरूरत महसूस हो रही है तो यूनिवर्सिटी खुद रेगुलेशंस बना सकती है कि हम अपने टीचर्स का रेकार्ड रक्खेंगे। लखनऊ यूनीवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल को, श्रीमन्, अगर आज भी आप देखें तो इसमें एक तिहाई सदस्यों में से ११ सदस्य ऐसे मिलेंगे जो सरकार से सम्बन्धित हैं। तो अगर आज अध्यापकों के मस्तिष्क में यह ख़तरा पैदा होता है, कि हमें रेकार्डेड एक्टिविटीज से डर लगता है, उसका वे विरोध करते हैं कि इस प्राविजन के रखने की क्या जरूरत है तो इसमें एतराज की क्या बात है? डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी कमेटी की बात माननीय गुप्त जी ने कही और हाईकोर्ट जज की आड़ में वह बचना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर जब एक्जिक्यूटिव कौंसिल है और उसमें हाईकोर्ट का जज आ सकता है तो मैं नहीं समझता कि इस डिसिप्लिनरी कमेटी की क्या आवश्यकता है? एक मत से अध्यापक जगत ने इसका विरोध किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने इसका विरोध किया है कि कंसलटेटिव कमेटी नहीं होनी चाहिये। जिस बात को अध्यापक जगत ने, चाहे उसमें डाक्टर चटर्जी हों, या डाक्टर अय्यर हों सर्वसम्मति से विरोध किया हो, उसका जबरदस्ती इस विधेयक में रखना किस बात को साबित करता है, किस बात की ओर यह इशारा है? वह यह कि आप का यूनिवर्सिटीज पर विश्वास नहीं रह गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि माननीय गुप्त जी व्यक्तिगतरूप से इसके लिए दोषी हैं। यह हो सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की उन्होंने बड़ी सेवा की हो, जितना रुपया इकट्ठा किया हो उसे अपने जीवन की सेवा का अंग समझा हो, इस संबके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत तब है जब हम यह देखते हैं कि आज एक तरफ तो यह कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में अनुशासन नहीं है यूनीवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती हड़ताल करा रहे हैं और वहां चरित्र का निर्माण नहीं होता, वहां दूसरी तरफ इसके नाम पर यूनिवर्सिटीज की जो शैक्षिक स्वतंत्रता है उस पर आघात किया जा रहा है यह मेरी बड़ी जबरदस्त शिकायत है और मैं यह समझता हूं कि आज वह अवसर आ गया है जब हेड आफ दी स्टेट यह खुद इंकार कर दे कि वह चांसलर बनाया जाय। मुझे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी आप के द्वारा खुली प्रार्थना करूंगा और यह उचित समझूंगा कि यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी के हित में और जो आक्षेप लगाये जा रहे हैं उनको निर्मूल साबित करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि अब हमारे देश का गवर्नर खुद इस बात से इन्कार कर दे कि वे किसी भी युनिवर्सिटी के चांसलर हों। क्योंकि हेड आफ दि स्टेट ही यूनिवर्सिटी का हेड होता है जिसको चान्सलर बनाया जाता है। तो स्टेट का इन्डाइरेक्ट उसमें इन्टरफियेरेन्स हो जाता है। इंग्लैन्ड में यह बात नहीं है और युरोप के महाद्वीप में भी ऐसा नहीं होता है। जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जहां पर हेड आफ दि स्टेट की तरफ से नामिनेशन होता था वहां पर अब यह परम्परा खत्म हो गयी है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में अब अटोनामी वहां पर दे दी गयी है। अब सरकार के नामजद व्यक्ति वहां पर वायस चांसलर नहीं होते हैं। इस प्रकार से मैं गुप्ता जी से इस बात की अपील करूंगा कि वह यूनिवर्सिटी की सेवा बाहर रह कर भी कर सकते हैं। मैं स्वयं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई हमला करूं या उनकी नियत पर हमला करूं। चूंकि वह मिनिस्टर हैं इसलिये उनका ट्रेजरार होना आज कोई बहुत ज्यादा सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं मालूम होता है। कम से कम और दूसरे मिनिस्टर के लिये या दूसरे राज्यमंत्री के लिये जो ज्यादा योग्य साबित न हों उनके लिय वह अच्छी मिसाल कायम नहीं करते। इसलिये मैं तो उनसे अपील करूंगा कि यूनिवर्सिटी की अटोनामी के जितने वह हामी हैं, मैं भी उनसे ज्यादा हूं, लेकिन वह एक मिसाल कायम करेंगे अगर वह ट्रेजरार के पद से इस्तीफा दे देंगे।

लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि इन्टरनल साइड में इस तरह से उसका बैलेन्स नहीं रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि

वह स्वयं अपनी ओर से संशोधन लायें जैसा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने संशोधन किया था कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल में टीचरों का बहुमत रखें। अगर वह ऐसा संशोधन लायेंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी ओर से एक अच्छी प्रक्रिया होगी और तब हम समझ पायेंगे कि अटानामी के वह बहुत हामी हैं।

मैं यहां पर एक और शिकायत करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को नाराज कर दिया है क्योंकि हमारी केन्द्रीय सरकार, आप यह देखेंगे कि हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को नाममात्र की ग्रान्ट देती है। उसके बारे में मेरे पास एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन की तरफ से छपी हुई है। उससे यह साफ साबित होता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के लिये पिछले ५ सालों में नाममात्र की सहायता दी। सन् १९५१-५२ में १ लाख २५ हजार रुपया आगरा यूनिवर्सिटी को मिला है। लखनऊ यूर्विसिटी को जीरो मिला है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी जीरो मिला है। इंग्लैंड में क्या करते हैं? वहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ८० फीसदी देते हैं जो कि सारे वर्ष के खर्चे का ७१.२ खर्च होता है। उसके मुकाबले में हमारे यहां की सेन्ट्रल गवर्नमेंट ४.१ परसेन्ट खर्चा देती है और वह भी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिये ही देती है। राज्य सरकार उसकी बातों को नहीं मानती है, यही वजह है उसकी नाराजगी की। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि राधाकृष्णन् कमीशन यह कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी को एक कर दो, तो यह उसको नहीं मानती है। अगर केन्द्रीय सरकार कोई सिफारिश करती है तो यह उसको नहीं मानती है। इस केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़े के कारण हमारी यूनिसिटीज को ग्रान्ट मिलना बन्द हो गई है और केन्द्रीय सरकार से तो कम से कम बन्द हो ही गई है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार अपनी नीति को बदले और केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये मजबूर करे कि वह हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिये ग्रान्ट बढ़ाये। सन् १९३८-३९ में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी के ऊपर ५४६ रुपया औसतन् खर्चा राज्य सरकार का वहां पर होता था। १९४६-४७ में यह घटा कर औसतन् खर्चा सरकार का ४२५ रुपये हो गया और आज यह खर्चा घट कर और भी कम हो गया है, ३२५ रुपये हो गया है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी अवश्य है। लेकिन यूनिवर्सिटी की ग्रान्ट घटी है। तो केन्द्रीय सरकार को मजबूर किया जाय कि वह हमारी यूनिवर्सिटी को बढ़ी हुई ग्रान्ट दें और कम से कम यह आवश्यक है कि हम उस सिफारिश को तो मंजूर कर सकें, जोकि यूनेस्को में हमने मंजूर की थी कि प्रत्येक सरकार को अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चे का ६० परसेन्ट स्वयं देना चाहिये। आज हमारी राज्य सरकार ४८ और ४६ परसेंट से ज्यादा नहीं देती। मैं यह नहीं कहता कि सारा खर्च हमारी सरकार बर्दाश्त करे, लेकिन जिस प्रस्ताब को आप स्वयं मंजूर कर आये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, कि हम पूरे खर्च का ६० परसेंट देंगे, उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिये।

अब इस बिल में जो कंस्टीट्यूएंट कालिज की परिभाषा है उस पर मुझे सख्त एतराज है। मुझे मालूम हुआ है कि इस सरकार का आयुर्वेदिक कालिज यूनिवर्सिटी का कन्स्टीट्यूएंट कालिज होने जा रहा है यानी वह यूनिवर्सिटी का अंग बनाया जा रहा है। यह भी आटोनामी पर आघात है चूंकि या तो सरकार उसे स्वयं चलावे या उसके प्रोफेसरों इत्यादि को कोर्ट और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में लिया जायगा और वह आवेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और होंगे सरकारी नौकर। तो वहां वह गवर्नमेंट के डाइरेक्ट नामनी होकर आवेंगे। तनख्वाह उनको स्टेट बजट से मिलेगी, यूनिवर्सिटी से नहीं और नाम उसका होगा कन्स्टीट्यूएंट कालिज यूनिवर्सिटी का। इस प्रकार की परिभाषा किसी कमीशन की

[श्री नारायणदत तिवारी]

रिपोर्ट में नहीं है। राधाकृष्णनन् कमीशन ने कहा है कि "The Durham Plan on constituent Colleges is more appropriate for Indian conditions in general, i.e., the presumption should be that constituent Colleges should be those for whose finances, appointments and administration the University itself is responsible."

तो न तो फाइनेंसेज के मामले में, न एप्वायंटमेन्ट्स के मामले में और न ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी। ऐसे एक या दो कालेज हमारे इस बिल के अंग बनाये जा रहे हैं। यही बात लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी कही है। क्या मैं जान सकता हूं कि किसी कमीशन की सिफारिश पर सरकार ने कन्स्टीट्यूऐंट कालेज रखे हैं? कोई जवाब, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी के पास इस तर्क का नहीं होगा। फ़र्स्ट स्टेट्यूट्स और ट्रांजिटरी प्रावीजन्स के बारे में जो ताक़त माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ में ली है उसके सम्बन्ध में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कितनी शिकायत की है। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में कही हैं, लेकिन मैं अतिरिक्त विषयों की ओर ध्यान दिलाते हुये यह जरूर कहना चाहूंगा कि वह विश्वविद्यालय की इज्जत तो नहीं करते, लेकिन दया अश्वय करें। सर हारकोर्ट बटलर ने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था तो कहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पावर हाउस आफ फ्रीडम होगा, स्वतंत्रता का विद्युत्तालय। मैं नहीं समझता कि हमारे इस पावर हाउस की क्या हालत होने जा रही है।

अगर इसी प्रकार से इंटरवेंशन होता रहा, अगर इसी प्रकार से दिक्कतें बढ़ती गयीं और इसी प्रकार से एक्जीक्यूटिव कौंसिल में इंटरनल साइड की अपेक्षा एक्सटर्नल साइड की मजारिटी होती रही, इसी प्रकार से टीचर्स के ऐक्टस और अध्यापकों के कृत्यों को सस-पिशन की निगाह से देखा जाता रहा तो भगवान ही मालिक है। इससे न तो अच्छे विद्यार्थी ही निकल सकते हैं, न अच्छी रिसर्चेज ही हो सकती हैं और न शिक्षा का स्तर ही बढ़ सकता है। इसलिये अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच सके माननीय सीताराम जी द्वारा, और अवश्य कहूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल जो वह बना रहे हैं, उस पर वे पुनः विचार करें। अगर सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की आवश्यकता हो, अगर बिना सेलेक्ट कमेटी में ले जायं इस सम्बन्ध में संशोधन हो सकता हो, तो ऐसा वे अवश्य करें। इससे देश और यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा का तथा सदन की परम्परा का भी भला होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी का जो प्रस्ताव है कि यह विधेयक पुनः सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, विरोध करता हूं। विरोध करने का एक मात्र कारण यह है कि इस विधेयक पर इसी सदन की सेलेक्ट कमेटी द्वारा विचार किया जा चुका है और विचार होने के बाद उसको प्रस्तुत करते हुये माननीय गुप्ता जी ने जो सदन में भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर कोई भी आवश्यक उचित सुझाव या संशोधन उनके पास हो तो उसे अवश्य ही उसको माननीय वर्मा जी सदन में प्रस्तुत करें, उस पर अवश्य विचार किया जा सकता है और स्वीकार भी किया जा सकता है। इसलिये इस बिल को दुबारा प्रवर समिति में भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने माननीय तिवारी जी के भाषण को सुना तथा उन्होंने जो बातें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बिल के समय कहीं थीं उनको ही लगभग दुहराया गया है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि इस बिल के द्वारा यूनिवर्सिटी की आटोनामी और फाइनेंशियल आटोनामी पर सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। जहां तक फाइनेंशियल एटोनोमी का सवाल है वह ब्लाक ग्रान्ट्स द्वारा पूरी कर दी जायगी। दूसरी बात यह कही गयी कि एसोशियेटेड कालेजेज बनाये जा रहे हैं और उस प्रकार से यूनिवर्सिटी के यूनीटरी करेक्टर को खत्म किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,, लखनऊ विश्वविद्यालय अपना एक निजी स्थान रखता है और

उसमें जितने स्थानीय कालेजेज यानी आई० टी० कालेज , महिला कालेज, क्रिश्चियन कालेज, आदि लखनऊ यनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे तथा पिछले वर्ष भी कुछ और कालेजेज को भी मान्- ता प्रदान की गयी है उसके पीछे एक इतिहास है । लखनऊ यूनिवर्सिटी १९२० में स्टार्ट की गयी थी उस समय लगभग ६३० विद्यार्थियों की संख्या थी, लेकिन अब इन विद्यार्थियों की संख्या ६ हजार से ऊपर है। जबकि हमारे विद्यार्थियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा की तरक्की के कारण हमे कोई न कोई प्रबन्ध इन विद्यार्थियों की बढ़ती हुइ संख्या के लिये करना ही होगा , जहां वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब प्रश्न यह है कि तमाम विद्यार्थी चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत शिक्षा मिले या यूनिवर्सिटी में ही दाखिल किये जायें और हर विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी में या होस्टल में रह कर शिक्षा मिले। लेकिन कठिनता यह है कि हमारे पास वहां न तो इतने कमरे हैं और न इतने होस्टल हैं कि सब को वहां रख कर शिक्षा दी जा सके। तो फिर सवाल यह है कि किस प्रकार से इस समस्या को सुलझाया जाय। एक सुझाव यह दिया गया कि इस तरह क जितने भी कालेज हों वे सब आगरा यूनिवर्सिटी में मिला दिये जायं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा किया जाय तो जितना बोझ आज आगरा यूनिवर्सिटी पर है उसको देखते हुये और बोझ डालना मुनासिब न होगा। इस बिल में जितने इस तरह के कालेज हैं उनको मान्यता दी गयी है और लीगेलिटी दी गयी है कि उनको एसोशियेटेड कालेज माना गया है। मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की इस बात से सहमत हूं। ऐसे एसोशियेटेड कालेजेज का स्टैंटर्ड यूनिवर्सिटी से असमान रहेगा, मैं भी उसी राय का हूं कि शिक्षा स्तर जरूर डाउन होगा और उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरार और प्रोफेसर्स हैं वही रिसर्च वगैरह का काम करते हैं । वहां लेबोरेटरीज और पुस्तकालय आदि की जो सुविधायें हैं वह इन एसोशियेटेड कालेज में नहीं हैं, वहां वहीं अध्यापक जो इंटर को पढ़ाते हैं वही कुछ अधिक एलाउन्स पाकर बी० ए० कलासेज को भी पढ़ाते हैं, नतीजा यह होता है कि वहां उस स्टैंडर्ड के विद्यार्थी नहीं निकल पाते हैं जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। यहीं पर विद्यान्त कालेज का अभी वह स्टैंडर्ड नहीं पहुंचा है और उसको परमिशन दे दी गई ...

**श्री अध्यक्ष**--किसी कालेज विशेष का नाम ले कर आप कृपया भाषण न दें, आम तौर पर आप कह सकते हैं।

**श्री नेकराम शर्मा**--जिन कालेजेज के पास अच्छा स्टाफ नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, यथोचित स्थान पढ़ाने के लिये नहीं ह, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, अच्छी लेबोरेटरीज नहीं हैं तो उसका नतीजा यही होगा कि इन एसोशिएटेड कालेजेज का स्टैन्डर्ड डाउन रहेगा, जितनी अच्छी लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, प्रोफेसर्स, रिसर्च आदि की सुविधा, होस्टल्स आदि की युनिवर्सिटी में हो सकती हैं वह वहां नहीं हो सकती। इसलिये यह जरूरी है कि जब भी इन एसोशियेटेड कालेजेज को मान्यता दी जाय तो मान्यता देने के रूल्स हैं उनकी सख्ती के साथ पाबन्दी की जाय और मान्यता देने के पहले देख लिया जाय कि वह उस स्टैन्डर्ड को मेनटेन करते हैं या नहीं। यहां का आई० टी० कालेज इस प्रदेश में नहीं बल्कि समस्त भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है और उसका अपना एक स्टैंडर्ड चला आता है। इस प्रकार के कालेज को जहाँ अच्छे प्रोफेसर्स तथा अन्य सुविधा हों, मान्यता देने में कोई एतराज नहीं हो सकता। बिल में रखा गया है कि जितने कालेज १० मील के अन्दर हैं उनको मान्यता दी जा सकती है, मूल ऐक्ट में भी व्यवस्था थी कि कनवोकेशन हाल से ५ मील के रेडियस में जो कालेज हैं उनको मान्यता दी जा सकती है। यह तो मानी हुई बात है कि ऐसे एसोशियेटेड कालेज अपने स्टैंटर्ड को यूनिवर्सिटी के स्टेंडर्ड पर मुश्किल से ही ला सकते हैं। इसलिये यह भी हो सकता है, जैसा कि मूथम कमेटी ने सिफारिश की है कि वहां एक्सटर्नल और इन्टर्नल डिग्रीज की व्यवस्था की जाय। शायद श्री नारायणदत्त जी मुझसे सहमत होंगे अगर मैं यह कहूं कि यूनिवर्सिटी की डिग्री आनर्स डिग्री कहलाये और एसोसियेटेड कालेज की बी० ए० पास की डिग्री कहलाये। इस तरह से दोनों समस्यायें आसानी से हल हो सकती हैं और

[श्री नेकराम शर्मा]

बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या की बात और स्टडर्ड का सवाल दोनों ही बातें हल हो सकती हैं और हम मूथम कमेटी की सिफारिश को आधार मान लें।

अब सवाल यह है कि अभी श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश आई है कि टीचर्स का बहुमत एग्जिक्यूटिव कौंसिल में होना चाहिये। उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सर राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट से थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि आज टीचर्स की हालत क्या है और उनके कारण आज हमारी यूनिवर्सिटीज किस दशा में पहुंच गई हैं। पृष्ठ ७० पर वह लिखते हैं:—

"With the introduction of democratic control and of elections in our Universities there has grown a tendency among teachers to interest themselves more in the administrative affairs of the University than in their legitimate duties."

बजाय पठन-पाठन के वे लोग ग्रुपबन्दी में लगे रहते हैं और जिसके कारण वहां का कार्य शिथिल सा हो रहा है। इसके आगे वे कहते हैं :—

"We were told that in several cases teacher politicians have succeeded better in their careers than teachers who have devoted themselves to teaching and scholarship."

ऐसा देखने में आया है कि ऐसे लोग जो पठन-पाठन में और रिसर्च वगैरह में लगे रहते हैं, वे सफल नहीं हो पाते और ऐसे टीचर्स जो ग्रुपबन्दी में लगे रहते हैं वे तरक्की पा जाते हैं। वे आगे क्या कहते हैं :—

"The success of teacher politicians who manipulate elections and get for themselves and their friends influential and lucrative positions in their own or sister Universities is largely responsible for the deterioration of the morals of teachers and of the academic standards of the Universities."

वे अपनी यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में अपने रिश्तेदारों अपने सम्बन्धियों और अपने दोस्तों को इलेक्शनों में और दूसरे स्थानों में भर लेते हैं। यह हमारे टीचर्स की हालत है और यदि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के कहने के मुताबिक इनको एग्जिक्यूटिव कौंसिल में बहुमत दे दिया जाय तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में तो क्या दशा होगी, उसके लिये राधाकृष्णन् कमीशन ने खुद बहुत साफ-साफ कह दिया है। मूथम कमेटी ने भी एक जगह नहीं कई जगह टीचर्स पालिटिशियंस के लिये काफी कहा है। अब यदि इन टीचर्स का बहुमत एक्जीक्यूटिव कौंसिल में हो तो जिसको चाहेंगे भर लेंगे, गुटबन्दी बढ़ेगी। आज कल लखनऊ विश्वविद्यालय भी अध्यक्ष महोदय, इस बुराई से गिरफ्त है। लड़का भी वहीं है तो पिता भी वहीं मौजूद है और करीब के रिश्तेदारों को भी वहां किसी न किसी तरीके से भरने के प्रयत्न जारी रहते हैं जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भरे हुये हैं। इस लिये यह आवश्यक है कि टीचर्स और एलेक्टेड मेम्बर्स की पेरिटी रहनी चाहिये जिससे अच्छे रूप से काम चल सके।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अभी थोड़ा सा और समय लेंगे ?

श्री नेकराम शर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण जारी रखिये।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन आरम्भ हुई।)

**श्री नेकराम शर्मा**—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज टीचर्स के कारण जो हमारे विश्वविद्यालयों की हालत हो गई है और स्टूडेंट्स की जो एक ट्रेड यूनियन मेंटैलिटी हो गई है उसके कारण और बहुत सी और भी वजह हैं. उनके कारण हमको इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिनियम में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, टीचर्स की वजह से आज जो यूनिवर्सिटी में हालत है उसके सम्बन्ध में सर राधाकृष्णन् कमीशन ने कुछ विचार किया है और उसे मैं आपकी आज्ञा से यहां पढ़ देना चाहता हूं। वह कहते हैं :—

"Unfortunately some political cliques and even anarchical elements are continuing to exploit college students for their purposes. During the visit of the Commission to Calcutta, a riot was started in which students were apparently used as pawns and which issued in blood-shed and lawlessness that continued two or three days."

श्रीमन्, यही हालत जब हमारे यहां लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ, थी। जब मैं यह कहता हूं कि उसमें कुछ टीचर्स का हाथ था, उस एजीटेशन में तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ अध्यापकों का हाथ था, इस बात का मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि कुछ अध्यापकों ने उस आन्दोलन में विद्यार्थियों को भड़काया। आज हमारे विद्यार्थियों और हमारे विद्यार्थियों के टीचर्स जो हैं उनमें एक प्रथकता, सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है, एक ट्रेड यूनियन मेंटेलिटी बन गयी है, जिसका कि जिक्र सर राधाकृष्णन् ने अपनी रिपोर्ट में किया है। वह कहते हैं :—

"We hear a great deal today of indiscipline among students. The University has split into two groups. The world of teachers is separate from that of the students. The students adopted a trade union attitude to the authorities. They have little respect for their students and little concern for academic standards."

जहां यह हालत है वहां जरूरत इस बात की पड़ जाती है कि इस बिल के द्वारा हम उन पर कंट्रोल करें। हमारे जो अध्यापक हैं उनका कर्त्तव्य है कि हमारे कालिजों में जो पढ़ाया जाय उसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जायं यह नहीं कि वे अपने स्वार्थ के लिये पार्टी पालिटिक्स में विद्यार्थियों को एक्सप्लायट करें और जिस मकसद के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है— अच्छे नागरिक पैदा करने के लिये, उनका अच्छा नैतिक स्तर बनाने के लिये और हिन्दुस्तान के अच्छे नागरिक बनाने के लिये—उसमें बाधा पड़े। मान्यवर, माननीय मदन मोहन जी ने जो उस दिन भाषण में कहा था कि यह यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस जिसे स्पान्सर करती है वे ही यूनिवर्सिटी में पालिटिक्स फैलाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी को याद होगा कि सदन में प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में या किसी भी विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट फेडरेशन या समाजवादी युवक सभा इनसे संबंधित कार्यकर्ता यदि आज भी अपना काम और अपना हाथ विश्वविद्यालयों से हटा लें तो माननीय नेता सदन पंत जी ने घोषणा की थी कि वह सब से पहले व्यक्ति होंगे कि यूथ कांग्रेस का कार्य वहां से हटा लेंगे, उनको वहां से अलग कर लेंगे। लेकिन वे मिसाल रक्खें और आगे आयं। वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यूनिवर्सिटी में एक ट्रेड यूनियन मेंटैलिटी कायम हो गयी है और इसका जीता जागता नमूना उस समय दिखलाई पड़ा कि जिस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बिल कौंसिल में पेश होने वाला था, कुछ विद्यार्थियों ने एलान किया कि स्ट्राइक होना चाहिये। कुछ विद्यार्थी क्लास में जाना चाहते थे और कुछ नहीं। तो वहां एक संघर्ष खड़ा हो गया। मेरे कई विद्यार्थियों से मुलाकात हुई, इम्तहान के दिन नजदीक थे और वे पढ़ने जाना चाहते थे, कुछ उनको रोक रहे थे, यहां तक कि उनमें मारपीट भी हुई। तो इन परिस्थितियों को रोकने के लिये और अपना नैतिक स्तर ऊंचा कर अच्छे नागरिक पैदा करने की हमें आज जरूरत है और इसी के लिये यह बिल यहां आया है। उसका मैं समर्थन करता हूं।

[श्री नेकराम शर्मा]

माननीय तिवारी जी ने अनुशासन कमेटी की आलोचना करते हुए कहा कि डिसिप्लिनरी ऐक्शन कमेटी जो बनायी गयी है, जिसमें पूर्ण वाइस-चांसलर को अधिकार होगा कि वह एक आदमी को अपनी सलाह से नियुक्त करेगा और फिर वह दोनों मिल करके एक तीसरे को चुनेंगे। यह कमेटी एक घातक जरिया होगी अध्यापकों को निकालने के लिये। किसी भी अध्यापक को सिक्योरिटी न रहेगी, जब चाहे उसे निकाला जा सकेगा। इस सम्बन्ध में बाहर भी और सदन में भी बड़ी चर्चा हुयी और अध्यापकगण और कुछ एजूकेशनिस्ट हैं वह सभी इसके खिलाफ हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मूल ऐक्ट है उसमें इस बात का प्राविजन है कि अगर चाहे तो वाइस-चांसलर और इक्जीक्यूटिव काउन्सिल किसी भी टीचर को तीन महीने का नोटिस दे करके अलग कर सकती है। लेकिन आवश्यकता इस प्राविजन के लाने की इसलिये पड़ी, जैसा मैंने अभी कहा कि जो विश्वविद्यालयों की आज हालत है, स्टूडेन्ट्स की जो हालत है, उसको रोकने के लिये कोई तो उपाय होना चाहिये। सरकार एक अधिकार ले रही है और समय और आवश्यकता पड़ने पर उसको उपयोग करेगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है और करना भी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को स्वयं मालूम होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की हालत क्या है कि वहां पर कुछ लेटर्स पकड़े गये टीचर्स के, तो ऐसे अध्यापकों की अगर सर्विस का रिकार्ड, उनकी ऐक्टीविटीज का रिकार्ड न रखा जाय तो कैसे काम चलेगा? ऐसे अध्यापकों के लिये यह अधिकार लेना बहुत ही आवश्यक है। अध्यापकों की हालत है कि आज १०, १० साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई भी पेपर, कोई भी रिसर्च वर्क प्रोड्यूस नहीं करते। सर राधाकृष्णन ने कहा है कि हम ऐसा कुछ ऐफिशियेंसी बार रखें कि जब तक टीचर्स इतना काम न कर ले, रिसर्च वर्क न कर लें, किताबें न लिखें, तब तक उनको कन्फर्म नहीं करना चाहिये। काम पर ही तरक्की मिले लेकिन इस बिल में भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका होना बहुत आवश्यक था। सर राधाकृष्णन ने कहा है कि--

"For University appointments there should be no criterian other than that of merit, remembering that merit includes academic distinction, teaching ability, leadership in student activities.

Transfer from one grade to another ought not to be automatic or on the basis of mere seniority of service; that promotions from one category to another be solely on grounds of merit ;"

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज में यही दशा है कि ये टीचर्स जिनका रिसर्च वर्क अच्छा है उनको तो कोई प्रोमोशन नहीं मिलता है लेकिन जो पालिटिक्स में व्यस्त रहते हैं, उनको तरक्की मिलती है, रीडर बन जाते हैं। रिकार्ड रखने में लाभ यह होगा कि उसमें टीचर्स ने कितना काम किया, क्या ऐक्टीविटीज रहीं, सब चीजों का रिकार्ड रहेगा और मैं समझता हूं कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनको डरना नहीं चाहिये, वह तो उनके लिये है जो पार्टी पालिटिक्स में रत रहते हैं और एक प्रकार से अच्छे टीचर नहीं कहे जा सकते, उनको डर होना चाहिये कि ऐसे ऐक्ट के बन जाने से उनको नुकसान हो सकता है।

श्रीमन्, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब हम इस विधेयक को लाए हैं स्तर ऊंचा करने के ख्याल से तो यह आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों का जो विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेंगे और अध्यापकों का सेलेक्शन एक अच्छे ढंग से करना चाहिये। जो विश्वविद्यालयों की हालत हो रही है उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि अगर किसी टीचर को आई० ए० एस० या पी० सी० एस० की नौकरी मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाता है और साथ ही यह भी कि पार्टी पालिटिक्स से कुछ लोग जमने नहीं पाते। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि फेवरटिज्म नेपोटिज्म सब बन्द हो तो टीचर्स का सेलेक्शन एक यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होना चाहिये। इससे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं अगर हम इस

सिद्धांत को मान लें तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायंगी। मंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि एक ऐसा महत्वपूर्ण सुझाव है अगर इसको अपना लेंगे तो जो झंझटें हैं, जो खराबियां ह, जिनका मूथम कमेटी ने जिक्र किया है कि सेलेक्शन के विषय में टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट के विषय में जो धांधलियां चलती हैं, वह इस कमीशन से करीब-करीब सब दूर हो जायंगी। साथ में जरूरत इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर ऐसे विद्यार्थियों का दाखिला हो जो कि अच्छे विद्यार्थी हों और उसके लिये सर राधाकृष्णन कमीशन ने दो तरह के टेस्ट्स बतलाये हैं एचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी दाखिल होना चाहता है उसके बारे में रिपोर्ट आनी चाहिये कि क्या उसकी एक्सट्रा करीक्यूलर ऐक्टीविटीज रही हैं, क्या उसका रिकार्ड रहा है, इन तमाम बातों पर गौर करके उसका इंटेलिजेंस टेस्ट भी होना चाहिये, उसके बाद दाखिला होना चाहिये। विश्वविद्यालय में उसका प्रवेश हो जाने के बाद स्टेट का या यूनिवर्सिटी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको ऐसी शिक्षा दी जाय कि जिससे उसका ऊंचे से ऊंचा विकास हो और उसके लिये जरूरी है कि उसके रहने, पढ़ने और खेलने वगैरह का वहां अच्छा इन्तजाम हो। आज विश्वविद्यालयों की यह हालत है कि न वहां कमरे हैं, न कामन रूम हैं, न सभी को खेलने के लिये काफी प्ले ग्राउन्ड हैं, न लड़कों के रहने की व्यवस्था है और न टीचर्स के लिये मकान हैं। इन सब चीजों का प्रबन्ध होना आवश्यक है और यह स्टेट तथा यूनिवर्सिटी की पूरी जिम्मेदारी है कि उन विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिले। आजकल कुछ थोड़े से वजीफे दिये जाते हैं या कुछ फ्रीशिप मिलती हैं। लेकिन उससे कुछ विशेष फायदा नहीं है। वह उन्हीं को मिलती है जिनकी सिफारिश होती है। इसके लिये भी राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि वजीफे के लिये टेस्ट होना चाहिये और जो उस टेस्ट में पास होते हैं उनको ही वह वजीफा मिलना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है कि कोई धनवान लड़का टाप पर आ जाय तो वैसी हालत में उसको छोड़कर दूसरे को वजीफा दिया जा सकता है। इस तरह से डिजर्विंग छात्र का सेलेक्शन हो जायगा और फिर यूनिवर्सिटी में इस ढंग से शिक्षा दी जायगी तो हमारे स्टेट की जनता को जैसे नागरिकों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सकेगी वैसे नागरिक यूनिवर्सिटीज से निकल सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी आलोचना माननीय नारायण दत्त जी ने की वह यह कि इस विधेयक में यूनिवर्सिटी की आटोनामी खत्म की जा रही है। आटोनामी शब्द के माने डिक्शनरी में अगर देखे जायं तो कोई पूर्ण स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के इसके माने नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी ने बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है कि स्टेट और यूनिवर्सिटी का क्या सम्बन्ध होना चाहिये। मूथम कमेटी ने कहा है कि स्टेट और यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट पार्टनरशिप का सम्बन्ध होना चाहिये। उसने यह भी कहा है कि कोई ऐबसोल्यूट आटोनामी जैसी चीज नहीं है। कोई विश्वविद्यालय अगर यह तय कर ले कि साइंस में सब लड़के जितने फेल हो गये हैं, उनका सिर काट डाला जाय, तो कोई भी स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। माननीय नारायण दत्त जी ने कुछ फारेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज के बारे में उदाहरण दिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि कैंब्रिज और आक्सफोर्ड का भी जो उद्धार हुआ और इस हालत पर पहुंची तो वह भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा ही हुआ। मूथम साहब के ही शब्दों में, मैं उसे पढ़ देना चहता हू —

"In the case of Oxford and Cambridge that has happened on no less than three occassions. The Uniformed Universities were notoriousl, illiberal and Government intervention resulted in this emancipation."

तो जहां यह हाल हो, वहां भी लेजिस्लेशन से उनका उद्धार हो तो सरकार कोई विधेयक अगर विश्वविद्यालय के सुधार के लिये लाते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। माननीय उपाध्याय जी ने अपने भाषण में कहा कि लखनऊ व ं तो आर्टिफिशल आटोनामी है, सच्ची आटोनामी तो वहां है ही नहीं। दलबन्दी है, गुटबन्दी है। तो इस बिल को लाने का उद्देश्य तो उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि एलेक्शन जितने कम से कम किये जा सकें, उतने कम किये जायं, जिनके बारे में कि सभी कमीशंस ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में कम से कम एलेक्शंस होने चाहिये। तो इस विधेयक में एलेक्शन को कम से कम करने की कोशिश की गयी है और दलबन्दी गुटबंदी, को दूर

[श्री नेकराम शर्मा]

करने का भी इस विधेयक से प्रयास किया गया ह । डा० बी० एम० शर्मा भी लखनऊ विश्व-विद्यालय के अध्यापक हैं । उन्होंने भी आटोनामी के बारे में लिखा है । माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं । वे भी अनरेस्ट्रिक्टेड अटानामी के विरोधी हैं । दूसरा तरफ जो फाइनेन्शियल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात की आलोचना की गई उसमें यूनिवर्सिटी की हालत यह है कि लाखों रु० के कर्ज में चल रही है। जैसा अभी माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि रेफ्रेंस कमेटी आटोनामी का अपहरण करती है, तो जब ग्रांट्स ब्लाक ग्रांट के रूप में दे दी जायंगी तो यह दिक्कत हल हो जायगी । गवर्नमेंट के नामीनीज कम करके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के नामिनीज रेफ्रेंस कमेटी में रख दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा । एक महत्वपूर्ण चीज और है जिसकी तरफ मैं अभी मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जहां पर ट्रेजरर को अधिकार दिये हैं वह बहुत विवाद का विषय है । क्लाज ११ में है --

"to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

अगर यह डिसएलाऊ कर दिया तो इस कनफ्लिक्ट को तय कौन करेगा ? क्या एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार होगा, वह तो एक कनफिलक्ट की चीज होगी । तो ज्यादा अच्छा हो अगर माननीय मंत्री जी इसको डिलीट कर दें ।

एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा जहां पर कि कोई ६ आदमियों को एग्जिक्युटिव कौंसल के लिये चुनेगी, तो वहां पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि जो टीचर्स हैं वह वोट नहीं कर पायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब कोर्ट की मीटिंग हो रही है और उसमें टीचर्स भी बैठे हुए हैं उनसे कह दिया जाय कि हम जो ६ उम्मीदवारों को चुन रहे हैं उसमें तुम वोट नहीं दे सकते, तो यह कहां तक मुनासिब होगा । कोर्ट के चुनाव न होकर अगर बैलेट पेपर्स बंट जायं और कलेक्ट हो कर आ जायं तो दूसरी बात है, लेकिन कोर्ट की मीटिंग हो रही है उसमें एक क्लास को वोट का अधिकार न हो, तो यह तो बुरा लगता है । तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है कि कोर्ट में वोट देने का सब को पूरा अधिकार हो ।

मैं कह रहा था कि जहां पर टीचर्स का सवाल है, उनके लिये दो ग्रेड होना आवश्यक है । एक प्रोफेसर्स और दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर्स । आज अध्यापकों की यह राय है उनकी मांग है कि प्रोफेसर्स को एक हजार से १५ सौ तक और असिस्टेंट प्रोफेसर को ३०० से ६०० रुपये तक मिलने चाहिये । अगर सरकार इस ग्रेड को मान ले तो इसमें सरकार को ज्यादा आर्थिक घाटा नहीं पड़ेगा । कुछ ऐसा सुनने में आया है कि ४० परसेंट शायद सरकार ज्यादा रीडर्स की पोस्ट् भी क्रियेट कर रही है । अगर १० साल में इसका खर्चा देखें तो मुश्किल से १०-१५ हजार का फर्क पड़ेगा । लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि जो लेक्चरार हैं, जिनका काम बहुत अच्छा है जिन्होंने पेपर्स पब्लिश किये हैं, बुक्स लिखी हैं, वे केवल अगर रीडर की पोस्ट यदा कदा खाली होती है तो लेक्चरार ही रह जाते हैं और वह भी पालिटीशियन टीचर्स को जाती है तो उसको कोई इम्पीटस नहीं होता कि वह आगे पढ़े लिखे क्योंकि उसके कोई मानी ही नहीं होते जहां है वहीं पड़ा रहता है । अगर दो ग्रेड मान लिये जायं, प्रोफेसर के और असिस्टेंट प्रोफेसर के तो काम करने वाले अध्यापकों को उत्साह मिलेगा । यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी ।

एक और महत्वपूर्ण चीज की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि अगर इंटेरिम पीरियड में कोई भी वाइस चांसलर हो जाय, मान लीजिये कि एक महीने के लिये हुआ और अगर इस बिल के प्राविजन मान लिये जायं तो उसका नतीजा यह होगा कि वह फिर होगा ही नहीं । तो यह रोक नहीं लगानी चाहिये । माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि इस बिल से चांसलर को भारी अधिकार दिया जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है और बड़े सुझाव भी आये । एक यह था कि हाई कोर्ट का जज जाय, स्पीकर महोदय का भी नाम आया

कई और सुझाव आये । इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखना चाहता हूं यदि चांसलर के स्थान पर एक कमेटी बना दी जाय तो यह सारी प्राब्लेम हल हो जायगी । जो कमेटी बने उसमें हाईकोर्ट का जज हो या उसका नामिनी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो या उसका एक नामिनी हो । और एक को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नामिनेट कर दें । इस प्रकार से यह तीन आदमियों की एक कमेटी होगी और यूनिवर्सिटी में जितने झगड़े होंगे उनको यह तय कर सकती है और मेरा खयाल है कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो यह चाहते हैं कि गवर्नर चांसलर न हो, उनको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । ऐसा करने से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और गवर्नमेंट पर जो आक्षेप होते हैं वह दूर हो सकेंगे । इसलिये इस सम्बन्ध में सरकार को यह सुझाव देता हूं और मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता था कि इस विधेयक में जो डिसिप्लीनरी ऐक्शन कमेटी की व्यवस्था की गयी जो तीन आदमियों की होगी उनको भी इस विधेयक में स्पष्ट प्रोवाइड कर दिया जाय । मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें एक तो वाइस चांसलर हो, दूसरा चीफ जस्टिस या उसका नामिनी और तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या उसका नामनी हो । इस प्रकार से यह कमेटी होगी । वह चांसलर के स्थान की पूर्ति कर देगी इस चीज को विधेयक में प्रोवाइड न करना ठीक नहीं मालूम होता और यह प्रजातन्त्र के सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं होगा । इसलिये तीनों व्यक्ति जो इस कमेटी में हों उनको इस विधेयक में प्रोवाइड कर दिया जाय ।

जहां तक वाइस चांसलर के सेलेक्शन की बात कही गयी और इसके सम्बन्ध में जो विधेयक में सुझाव रखा है उस पर काफी सोच विचार किया गया है । यहां भी, प्रवर समिति में भी और बाहर भी इस पर काफी विचार किया गया है । बहुत से लोगों का एक झुकाव तो यह है कि जितने नाम आयें वह सब चांसलर के पास भेज दिये जायं तो इसमें कई नाम आ सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा अच्छा तरीका था और भी सुझावों पर खूब अच्छी तरह से सोचा गया और सब से अच्छा तरीका यही मालूम पड़ा जो इस विधेयक में रखा गया है । लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित लोगों की भी राय मांगी गयी तो उनकी भी यही राय है । अधिकांश विधेयक में रक्खे गये संशोधन के पक्ष में हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है । मैं समझता हूं कि इसमें आटोनामी में हस्तक्षेप भी नहीं होता । एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अधिकार होगा कि वह एकमत से एक नाम चांसलर के पास वाइस-चांसलर की नियुक्ति के लिये भेज देगी । यदि इसमें कौंसिल एकमत नहीं होगी तो दस दिन के बाद दुबारा मीटिंग होगी और एकमत से कोई नाम भेज देगी और अगर इसमें भी कौंसिल एकमत नहीं होती है तो तीन नाम चांसलर के पास भेजेगी, अनुपाति क चुनाव द्वारा । मेरे ख्याल में यह सबसे अच्छा तरीका है । इसमें आटोनामी में कोई बाधा नहीं पड़ती है । कौंसिल जब एकमत से किसी नाम को भेज देगी तो चांसलर को उसी को रखना पड़ेगा । इसमें आटोनामी अपहरण की कोई बात नहीं है । यदि कोई ऐसा सुझाव आए जो विधेयक में रक्खे गये संशोधन से अच्छा हो तो सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार है ।

जहां तक रिफ्रेंस कमेटी का सवाल है मैं तिवारी जी से सहमत हूं । इसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स का कोई स्थान नहीं है, डीन्स को अपनी फैकल्टी के बारे में पूरी बातें मालूम होती हैं । इसलिये इसमें सब डीन्स होने चाहिये । सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकार यूनिवर्सिटी के विकास के लिये इतना रुपया खर्च कर रही है तो इसमें यदि यूनिवर्सिटी के हित के लिये यदि डीन्स को शामिल कर दिया जाय जो अपनी फैकल्टी के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनकी फैकल्टी के लिये क्या-क्या आवश्यकतायें हैं । बजट का तखमीना एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आयेगा । इसके बाद सिलेक्ट रिफ्रेंस कमेटी तय करेगी । अपनी-अपनी आवश्यकता है फैकल्टी के बारे में तो डीन्स ही बता सकते हैं । इसलिये उनको इसमें शामिल कर दिया जाय ।

[ श्री नेकराम शर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आटोनामी का सवाल है, न सरकार का मकसद है न शिक्षा मंत्री जी का, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा किसी हालत में भी ओटोनामी नहीं जानी चाहिये। मुख्य मंत्री जी का तो निश्चित मत है कि किसी भी तरह से इसकी ओटोनामी का अपहरण न किया जाय। लेकिन वह आटोनामी ऐसी तो नहीं हो सकती कि अनरेस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन सरकार को यह भी नहीं करना चाहिये कि रोज के शासन में हस्तक्षेप करे, लेकिन जहां पर महत्वपूर्ण विषय हों वहां सरकार का यही सम्बन्ध होना चाहिये जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। तो तीनों बातों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि जो विधेयक इस वक्त है अगर इसमें कुछ खराबियां हैं तो माननीय नारायण दत्त जी या जोरावर वर्मा जी सदन के समक्ष अपने संशोधन में रखें और मिनिस्टर साहब से मिलें और उनको कहें, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री या सरकार अगर ऐसा कोई भी उचित संशोधन आयेगा तो उसे मानने से हिचकेंगे नहीं। इन शब्दों के साथ जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बरती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मुझे आज इस लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पर बोलने का जो अवसर मिला इसके लिये श्रीमन् को धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही अहम बिल है। यह हमारे प्रांत की प्रमुख यूनिवर्सिटी है। लखनऊ हमारा केन्द्र है। कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। वही चरितार्थ होती है। गवर्नमेंट की नाक के नीचे यूनिवर्सिटी है। आज हमारी यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी होनी चाहिये कि जो आदर्श यूनिवर्सिटी हो। जो दुनिया के तमाम मुमालिक से लोग आते हैं वह हमारे इस प्रांत में आने पर वे लखनऊ को जरूर देख कर जाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाकई हमारे प्रांत और देश की आदर्श यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। लेकिन हमें ३१ अक्तूबर, १९५३ की बात याद है। मैं यहां मौजूद था जब यूनिवर्सिटी का आंदोलन चल रहा था, जब हमारी बसें फूंकी जा रही थीं और हमारी सड़कों पर लूट खसोट हो रही थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--आप क्या कर रहे थे?

श्री शिवनारायण--मैं भी यहीं मौजूद था और देख रहा था आपके कारनामे को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि विरोध विरोध के लिये होना चाहिये न कि बसों को फूंका जाय। मैंने यहीं बैठ बैठे सुना कि गुप्ताजी के लिये माननीय त्रिपाठीजी ने कहा कि चूंकि वह मिनिस्टर हैं इसलिये वह ट्रेजरर न रहें। त्रिपाठी जी को ट्रेजरर बना दिया जाय जो वहां बैठकर नाना प्रकार की बातें करें और हमारे बच्चों को पढ़ने न दें। मैं तो कहता हूं कि हमारे बच्चों से न कांग्रेस वाले इन्टरफियर करें और न से इलिस्ट करें। हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिये जो हमको रिप्लेस कर सकें, हमारी रेस्पांसिबिलिटी को अपने कंधों पर ले सकें क्योंकि भारतवर्ष सदैव आदर्श रहा है, आदर्श है और आदर्श रहेगा। मैं भगवान बुद्ध के जमाने से लेकर आजतक आपको बतलाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, भगवान बुद्ध ने अपने समय में पीस का मिशन संसार को दिया था और वही पीस मिशन को लेकर हमारे पंडित नेहरू जो आज हमारे प्रधान मंत्री हैं। दुनियां में गये। वही आदर्श हम चाहते हैं। आज मैं इन यूनिवर्सिटी के अध्यापक बन्धुओं से कहना चाहता हूं कि हम लोग सो नहीं रहे हैं। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक के समय कहा था और आज भी कहता हूं कि गवर्नमेंट अध्यापकों की दशा को सोचे। जिस दशा में वे रह रहे हैं इस पार्टी पालिटिक्स की वजह से बड़े-बड़े विद्वानों की कोई पूछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। मैं आज गवर्नमेंट को एश्योरेंस देता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक एजूकेशन डिपार्टमेंट का हर आदमी आज चाहता है कि सरकार पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ताकि उन टीचर्स को मुनासिब वेजेज मिल सकें, उनके रहन सहन का ढंग मुनासिब रखा जाय। आज यह जनरल डिमांड है, फ्राम टाप टु बाटम, कि यह तमाम

पार्टी पालिटिकस से अलग रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम बढ़ कर इस देश और इस समाज को सुन्दर बनायें। लेकिन आज मैं देखता हूं कि कहीं राजनारायण जी इस चौराहे पर खड़े होकर हमारे विद्यार्थियों को बरगलाते हैं, कहीं कोई हमारे विद्यार्थियों को बरगलाता है। लेकिन मैंने इलाहाबाद में यूथ कांग्रेस के विद्यार्थियों को देखा। मैं कल ही इलाहाबाद से आ रहा हूं। मैंने देखा कि यूथ कांग्रेस के विद्यार्थियों ने डेलों का जवाब किस सुन्दर ढंग से गांधी जी की सत्य और अहिंसा से दिया। उनको डेले मारे गये और उन्होंने बहादुरी के साथ उनको सहन किया यह यूथ कांग्रेस की डेकिरीशन है। वह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं कोई चौराहे के विद्यार्थी नहीं हैं। मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। त्रिपाठी जी कान खोल कर सुन लें। मैं इलाहाबाद के यूथ कांग्रेस के विद्यार्थियों का नमूना बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि भाई नेकराम शर्मा जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिये दो ग्रेड के टीचर्स रखे जायं प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स। उनके सेलेरीज अच्छे रखे जायं, उनकी मेडिकल एड हो, हाउसिंग फ्री हो ताकि वह ठिकाने से अपने परिवार को शिक्षित बना सकें और फिर समाज की जिम्मेदारी महसूस कर सकें। हमारे गुरुजनों की इस देश में बड़ी मर्यादा रही है। मेरे भाई हिन्दी कम जानते हैं इसलिये चौंक पड़ते हैं। हमारे गुरुजनों का स्थान समाज में बहुत उच्च रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को भुलाया नहीं जा सकता, गवर्नमेंट को गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को भूलना नहीं चाहिये, जिन्होंने चाणक्य जैसे उस्ताद पैदा किये। हम वही विद्यार्थी चाहते हैं। हमारे गुरुजन हमारी बच्चियों और बच्चों को इस तरह से सुयोग्य बनायें जो कि बाद में देश की जिम्मेदारी को ओढ़ सकें। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। इस बढ़ते हुए नाम को जो नेहरू जी ने पैदा किया उसको बनाये रखने के लिये और उनको रिप्लेस करने के लिये हमें योग्य विद्यार्थियों की आवश्यकता है। नैपोलियन ने कहा था कि हम अपने को रिप्लेस नहीं करेंगे। लेकिन हम दावा करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को रिप्लेस करेंगे। मान्यवर, मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि अभिमन्यु जो १६ वर्ष का बच्चा था अपनी मां के पेट से पढ़ कर आया था। हम ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं।

**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---अब जरा यूनिवर्सिटी बिल पर भी...

**श्री शिवनारायण**---यूनिवर्सिटी बिल पर ही बोल रहा हूं, घबराइये नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर को पावर गवर्नमेंट ने डेलीगेट की है, कि वह हर काम को देख सकें, सस्पेंड कर सकें, अगर किसी आदमी को कहीं बैठा दें और उसको पावर न दें तो माटी का धोंधा बनाकर बिठाने से क्या लाभ? जो हमारे दोस्तों को शिकायत रहती है, इस गवर्नमेंट ने जो पावर दी है, उससे हमारी यूनिवर्सिटी में जो इंडिसिप्लिन फैली हुयी है वह खत्म होगी। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च कार्य कम हो रहा है। इसमें सिर्फ प्रोफेसरों का दोष नहीं। उनको सामान नहीं मिलता। एक चीज घटती है तो इंगलैन्ड, अमेरिका से मंगानी पड़ती है। मैं वन साइडेड चीज नहीं कहना चाहता। मैं कहूंगा कि गवर्नमेण्ट की ड्यूटी भी है कि वह उनकी हर डिमांड पूरी करे। हम अपनी यूनिवर्सिटीज को आदर्श यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं। हम उनको उस दशा में देखना चाहते हैं जब भगवान बुद्ध के समय नालन्दा यूनिवर्सिटी थी, जहां पर जापान, फ्रांस और चीन से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारत उस समय दुनियां का गुरु रहा है। सिर्फ आज हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को जगाना है।

नारायण दत्त जी ने कहा कि सेंटर की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मैं कहता हूं 'दैट वी विल शोल्डर अवर रिस्पांसिबिलिटी' हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी खुद समझती है और किसी पर हम भरोसा नहीं करते। जो सेंटर से मिल जाय वह वेलकम है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि सेंटर से कुछ नहीं मिल रहा है। आप एक को तो क्रिटिसाइज कीजिये और जो कुछ मिलता है, वह चाहे .५ हो या .४ हो, हमें वेलकम है।

[श्री शिवनारायण]

उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाइस चांसलर का टर्म तीन साल था और तीन साल में वह कुछ कर नहीं पाता था, अपनी चलाचली में ही वह उलझा रहता था। सरकार ने जो ५ साल का टाइम रक्खा वह ठीक रक्खा और उस टाइम के बाद हम दूसरा ही आदमी रक्खेंगे, उसे नहीं रक्खेंगे। हर वाइस चांसलर अपना एक नया आदर्श छोड़ कर जायगा ताकि उसका नाम हो। आज गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जैसे महान् नेताओं का नाम इतिहास में अमर है और उन्हें हम जपते हैं। जो ५ साल के लिये वाइसचांसलर होगा वह कोशिश करेगा कि युनिवर्सिटी को चमकाये ताकि देश का भला हो। अगर ५ साल का टर्म वाइस चांसलर का कर दें तो इसमें क्या हानि होगी! लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स ने नारे लगाये इसलिये गवर्नमेंट ने कहा कि हम मौजूदा वाइस चांसलर को नहीं रक्खेंगे तो इसमें क्या गुनाह किया। आचार्य जुगुल किशोर जी को हम बदल रहे हैं, हम उन नारों को बन्द कर देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनडिसिप्लिन क्रियेट न हो, नया आदमी आये। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज के अधिकार छीने जा रहे हैं लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि एकता हो, सुसंगठन हो। चांसलर के पास वाइस चांसलर का नाम एक मत से जाय मजबूरन चांसलर को उसे ही सिलेक्ट करना होगा, वना चांसलर को नामिनेट करने का अख्तियार होगा। अगर ऐसा इस बिल में आयोजन है तो इसमें क्या गुनाह है। जो यूनिवर्सिटी के अपने को महान् प्रवर्तक कहते हैं इसमें गवर्नमेंट ने क्या गुनाह किया। यह मैं उनसे पूछता हूं—अगर गवर्नमेंट ने वाइस चांसलर का टर्म बजाय ३ साल के ५ साल कर दिया जिससे एक आदमी को एक ही चांस दिया जायगा। नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि फलां अंग्रेज ने यह कहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी फ्रीडम का पावर हाउस है। अंग्रेज के जमाने की बात आप कर रहे हैं जब उस पावर हाउस से क्लर्क पैदा किये जाते थे और कोई आजादी का नारा नहीं लगा सकता था। अगर किसी ने जंगे आजादी का नारा लगाया तो वह थी बनारस यूनिवर्सिटी। वहीं के विद्यार्थी आजादी के अग्रदूत थे। उन्हीं में कोई आज मंत्री है, कोई उपमंत्री है और कोई प्रधान मंत्री है। लेकिन जो पावर हाउस यहां की यूनिवर्सिटी को बतलाया उसका एक आदमी भी यहां पर दिखाई नहीं देता है। इलाहाबाद ने क्रियेट किये और बनारस ने भी क्रियेट किये लेकिन लखनऊ का मुझे कोई भी आदमी यहां पर नजर नहीं आता है जिसकी यहां पर बहुत प्रशंसा की गयी है। मैं नारायण दत्त जी तिवारी से निवेदन करूंगा कि वह ठंडे दिल से इसपर विचार करें और ताजे खून के जोश में न आयें, इस प्रकार की बातें यहां पर कहें जिनसे कुछ आगे वाली सन्तानों को लाभ हो और वह आपके इस असेम्बली के रिकार्ड को देख कर यह कह सकें कि किसी विद्वान् ने इस बात को कहा था। वह चीज किसी की समझ में आये। ऐसी बातें यहाँ पर नहीं कहना चाहिये जिनकी कुछ भी कीमत न हो।

एक बात कही गयी कि एसोसियेटेड कालेज को पावर दी जा रही है। हजारों विद्यार्थी आते हैं यहां पर जुलाई के महीने में। दारुलशफा के कमरे भर जाते हैं। तो उनको कहां पर पढ़ने के लिये जगह दी जाय? यूनिवर्सिटी की यह हालत है कि वहां पर बैठने की जगह नहीं मिलती है इसी वजह से हम चाहते हैं कि और डिग्री कालेज खोले जायं जिससे इन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये कहीं जगह मिले। आप उसका विरोध करते हैं कि साहब डिग्री कालेज खोले जा रहे हैं और उनको पावर दी जा रही है। बी० ए० की पढ़ाई तो कम से कम वह डिग्री कालेज में कर ही सकते हैं। लेकिन आप जातिवाद का जहर पैदा करना चाहते हैं जिससे देश का हित नहीं हो सकेगा और उससे हानि ही होगी। सरकार जो है उस पर सारे हिन्दोस्तान के पढ़ाने की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उपयुक्त शिक्षा मिले और सब को पढ़ने का अवसर मिले। अगर गोरखपुर में डिग्री कालेज है तो उससे वहां की जनता को बहुत लाभ हो सकता है। वह बच्चे अपने घर में ही मोटा अनाज खाकर बी०ए० कर सकते हैं और फिर यूनिवर्सिटी जाकर पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हासिल कर सकते हैं। अगर असोसियेटेड कालेज को पावर दी जा रही है तो उससे जनता का बहुत हित होगा। यह हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हम अपनी गवर्नमेंट को देख रहे हैं

कि वह धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रही है। यह फ्रांस की तरह से नहीं कर रही है कि १५ दिन के अन्दर ही उलट-पलट कर दिया जाय। मैं इस सरकार का समर्थक इसलिये हूं कि जो भी यह सरकार कार्य करती है वह सोच समझकर करती है, स्टेप बाई स्टेप चलती है। आपने देखा कि जब यहां पर डा० सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री थे तो उनके जमाने में गांव-गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये। जहां पर जिस जिले में १८ स्कूल थे वहां पर ८० स्कूल कर दिये गये। आज हम देखते हैं कि हमारे जिले बस्ती से ही बहुत जबर्दस्त डिमांड है कि वहां पर एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय। वहां पर इसकी आवश्यकता है और बच्चों के लिये शिक्षा देने की बहुत जबर्दस्त मांग है और उस मांग को हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिये इन कालेजों के लिये हमको प्रबन्ध करना है।

आई०टी०कालेज का जिक्र किया गया कि वहां पर ठीक तरह से शिक्षा दी जाती है और वहां पर बच्चियों के लिये ठीक तरह से पढ़ने का प्रबन्ध है। हम चाहते हैं और आज जरूरत इस बात की है कि हमारी बच्चियां और बच्चों को पढ़ने का सुन्दर प्रबन्ध हो ताकि वह अच्छे पंडित और विद्वान् बन सकें तभी वह अपने देश के रक्षक बन सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि फारेन कन्ट्रीज में हमारी बच्चियां और बच्चे साथ-साथ पढ़ रहे हैं वहां कोई अन्तर नहीं है। मैं आपको बतलाऊं कि पिछली वार में इंगलैन्ड और जर्मनी में उनकी स्त्रियों और बच्चों ने सारा शासन चलाया और फैक्ट्रियों और खेतों में काम किया। बम्ब बनाती थी औरतें। यह नहीं होना चाहिये कि हम लोग केवल गाल बजाते रहें और काम कुछ न करें। देश की सच्ची हमदर्दी कीजिये। यहां बैठकर हम दूसरों के बल पर भरोसा नहीं कर सकते। कौन सा गुनाह करते हैं अगर हम एसोसियेटेड कालेज खोलते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे वे फेल होंगे और जो जिन्दगी भर फेल होते हैं उनका क्या इलाज है?

कालेज के मैनेजमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाहरी लोगों की हाय-हाय में अगर प्रबंध रहा तो हमेशा पार्टी पालिटिक्स रहेगी और गंदगी पैदा होगी। सरकार को सारी शिक्षा अपने हाथ में लेनी चाहिये, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को सुयोग्य बनाना चाहती है। यूनिवर्सिटी की और सारी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिये चाहे दूसरे तरह हमको टैक्स लगाना पड़े। रिसर्च वर्क के बारे में मैं अपने अध्यापक वर्ग से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गौर करें। देश में आज हमें अच्छे साइंटिस्ट, इंजीनियर और डाक्टर चाहियें, अच्छे विद्वान् चाहियें। आज हमारे यहां प्रश्न किया जाता है कि फलां को अमरीका या रूस से क्यों बुलाया जाता है। आज हमारा विद्यार्थी समाज पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है।

"सुखार्थिनः कुतः विद्या,
विद्यार्थिनः कुतः सुखम्"

इस लाइन पर चलने से यानी देहात में कालेज खोलने से देश का भला होगा। अगर इस ढंग के विद्यालय हों जहां लोग सादे रहें तो हमारे देश का भला हो सकता है। लेकिन आज का विद्यार्थी समाज तो सिनेमाओं में टक्कर मारता फिरता है। मैंने देखा कि जब डाक्टर विद्यार्थी को गोली लगी तो शाम को यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सिनेमा देख रहे थे। इसलिये आज हम चाहते हैं कि लखनऊ से हटा कर गंगा की पवित्र धारा की बगल में ऋषिकेश में यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। वहां उनको सिनेमा नहीं मिल सकता। तभी राम, कृष्ण और देवता पैदा होंगे। यह नहीं हो सकता कि हम विवाह भी कर लें, ब्रह्मचर्य जीवन भी पालन कर लें साथ ही में सिनेमा और सिगरेट का मजा भी ले लें और साथ ही ग्रेजुएट भी हो जावें। त्रिपाठी जी आप इस सरकार को क्यों नहीं कहते हैं कि गांवों में कालेज खोले? इस गवर्नमेंट ने जो बिल हमारे सामने उपस्थित किया है मैं उसका बहुत वेलकम करता हूं और वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है वह सेलेक्ट कमेटी से लौट आया है। यह लखनऊ से उठकर नैनीताल गया था और नैनीताल में सेलेक्ट कमेटी ने उस पर विचार किया। अब न मालूम सेलेक्ट कमेटी मंसूरी जायगी या अन्डमन जायगी। अगर नैनीताल की ठंढी, काम एन्ड क्वाइट जलवायु में भी इसमें कुछ चीजें बाकी रह गयीं तो मैं क्या उनकी बुद्धि की प्रशंसा करूं। जब वहां काम एंड क्वाइट ऐटमोसफीअर में यह नहीं

[श्री शिव नारायण]

हो पाया तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब इसको और कहां भेजा जाय ? अब तो शायद जापान का क्यूरोसीवो का ऐटमासफीयर ही इसके लिये ठीक होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव है उसको वे वापस ले लें और इस बिल पर विचार करें ।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक का स्वागत करता हूं । इसके पहले कि मैं मुख्य-मुख्य संशोधनों पर आऊं आपके द्वारा इस सदन से एक बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी जगह पर यह सत्य है कि चाहे स्वतंत्र और उच्छृंखल सरिता सुन्दर मालूम पड़ती हो और प्रकृतिपूजक उसकी पूजा करता हो, उसके सौन्दर्य की पूजा करता हो, लेकिन बंधनों में सीमित नहर ही समाज के लिये उपयोगी साबित हो सकती है और वही देश का उपकार कर सकती है । मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को इसी दृष्टिकोण से देखना होगा । यह भी संभव है कि आजकल की दुनियां की जो आवाज है वह भी हमारे ऊपर कुछ असर करती हो । लेकिन उस आवाज को सुनने के पहले कुछ विचार भी करना चाहिये । इन पिछले दो चार महीनों में यूनिवर्सिटी आटोनामी का बड़ा शोर मचा है और संभव है इस बारे में मेरे बाद भी कुछ सज्जन बोलें लेकिन मैं उन सब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच आप यूनिवर्सिटी आटोनामी में विश्वास करते हैं । स्टुडेंट्स फैडरेशन जो आज यहां यूनिवर्सिटी में है, जिसके प्रतिनिधि आज दारुलशफा में घूमे और सरकार के पास भी पिछले दिनों आये आटोनामी के बहाने उन्होंने यूनिवर्सिटी की मालूम नहीं कितनी मखौल बनायी और उसके द्वारा अपना मतलब निकालने की कोशिश की । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे स्वयं भी आटोनामी में विश्वास करते हैं, जीवन के किसी क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जहां से सब प्रेरणायें मिलती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जिन यूनिवर्सिटीज ने शिक्षा देने का प्रयत्न किया है, या जहां से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की है उस जगह के विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार की आटोनामी है या नहीं ? उन देशों के विश्वविद्यालयों के बारे में उन्हें मालूम होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा कि वहां पर कला के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता नहीं है, तस्वीर बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं है । वहां केवल दो चार व्यक्तियों की तस्वीर ही बनायी जा सकती हैं । कविता लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, लेख लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, पढ़ने की भी स्वतंत्रता नहीं है । तो ये स्टुडेंट्स फैडरेशन वाले किनसे प्रेरणा लेते हैं, और इस प्रकार आंदोलन की बातें करते हैं और जलूस निकाल कर भी यहां लाने का प्रयत्न करते हैं । तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज यह सोचने की जरूरत है कि आया इन तमाम चीजों के पीछे उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है ? कोई आटोनामी का प्रेमी है, किसी को शिक्षा की प्रणाली को बढ़ाने की मुहब्बत पैदा हो गयी है, एक नया रास्ता अपने समझने और बनाने का बन गया है या इसके पीछे कोई मतलब सिद्ध करने के लिये या पार्टियों के प्रचार करने की भावनायें हैं । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ मैंने पिछले दिनों से इस बात का अनुभव किया और समझा कि जो लोग इन आंदोलनों को चला रहे हैं मुझे बहुत शुबहा है कि किसी प्रकार से वे आटोनामी से प्रेम भी करते हैं या शायद मौका ढूंढ़ा करते हैं कि कोई मौका निकल आये कि किसी प्रकार से सौ, दो सौ, हजार लड़के या जवान बुड्ढे या किसानों को टहला कर विधान सभा भवन के सम्मुख तक लाया जाये ताकि उनमें से दो चार कार्यकर्ता निकल आयें । यदि हम इन विचारों से और इस रास्ते से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे तो सही निर्णय पर पहुंचने में बड़ी कठिनाई हो जायगी । जहां तक मौजूदा लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक में वाइस चांसलर के चुनाव का सम्बन्ध है, लखनऊ यूनिवर्सिटी को जितना पहले अधिकार था उससे अब ज्यादा आटोनामी हो गयी है । पहले एक्जीक्यूटिव की सिफारिश से भेजे हुए वाइस चांसलर को अगर चांसलर चाहे तो उसे मंजूर करे चाहे न करे यह अधिकार था लेकिन आज सर्व सम्मति से भेजे हुए नाम को नामंजूर करना चांसलर की भी शक्ति से बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। तो आटोनामी में इतनी तो वृद्धि हुई। यह बात दूसरी है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विश्वास करते हैं कि वाइस-चांसलर का पूरे तौर पर नामिनेशन सरकार द्वारा होना चाहिये और कोई चुनाव सर्वसम्मति से या कुछ सम्मति से करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मौजूदा विधेयक के अन्दर तो इतना इम्प्रूवमेंट है कि सर्वसम्मति से भेजे हुए वाइस-चांसलर के नाम को चांसलर को स्वीकार करना ही होगा, उसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त इस संशोधन विधेयक में मैं एक और सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि हमें इन विश्वविद्यालय के दायरे को निश्चित कर देना चाहिये और जितने विश्वविद्यालय इस प्रांत के अन्दर रखने हों एक प्लान्ड तरीके पर हमको तय कर देना चाहिये कि कितने विश्वविद्यालय होंगे और उनका क्या क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र के अन्दर जितने कालेज हैं उनका एफिलिएशन इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिये और इसके द्वारा उनका संचालन होना चाहिये। मैं आपके द्वारा सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के जो कालेज हैं यानी मुफस्सिल या जिले में जो कालेज हैं उनको आर्ट्स कालेज कर दिया जाय और जो मुख्य यूनिवर्सिटी हो उसी में साइंस या और इस प्रकार की रचनात्मक चीजें पढ़ाई जायं। उपाध्यक्ष महोदय, देखा यह गया है कि जहां विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि वे किसी भी स्ट्राइक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो साधारण विद्यार्थी हैं, आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं, वे सोचते हैं महीना पन्द्रह दिन पढ़ कर ही इम्तहान पास कर लेंगे और इसलिये साल के १० महीने तक उनको घूम-घूम कर कुछ न कुछ खुराफात करने के लिये सोचना पड़ता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर विश्वविद्यालयों का दायरा इस प्रकार से निश्चित कर दिया जाय और ये जो सहज विषयों के विद्यार्थी हैं उनके लिये जिले के अन्दर सीमित कर दिया जाय तो जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अन्दर विज्ञान या इंजिनियरिंग का अध्ययन करेंगे उनके लिये कोई दिक्कत नहीं हो सकेगी। तो इसलिये इस लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल में इस चीज का सुझाव न पाकर, कोई संकेत न पाकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे आशा है कि सरकार इसमें या आइन्दा जो संशोधन यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लायेगी, तो इस विषय पर अवश्य ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त जहां तक नये प्रकार से डिसिप्लिन लाने का संबंध है, यह भी सत्य है कि यदि किसी भी संस्था के अध्यापक, चाहे वह स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, पूरी तरह से भरसक प्रयत्न करें तो यह संभव नहीं है कि इन संस्थाओं में अनुशासनहीनता आ सके। लेकिन मेरा कटु अनुभव है कि वहां के अध्यापक पार्टी पालिटिक्स में पड़ते हैं और यही नहीं कि वह कोई राजनैतिक विचार अपने पास रखते हैं बल्कि वह अपने उन राजनैनिक विचारों का प्रचार करने का भी प्रयत्न करते हैं और जिस प्रकार की इस देश में कई प्रकार के राजनैतिक विचार के लोग हैं, एक ऐसी राजनैतिक विचार के लोग हैं जो चाहते हैं कि गड़बड़ी पैदा की जाय, समाज में उथल-पुथल हो, अनुशासनहीनता बढ़े और समाज के संचालन की गतिविधि रुके, ताकि वह उसके द्वारा लाभ उठा सकें। इस प्रकार का विचार रखने वाले अध्यापक आज यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं और वह ऐसे मौकों पर विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता की ओर जाने के लिये प्रोत्साहन देते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि इस विधेयक में अनुशासन के लिये काफी स्थान दिया गया है और वह होना भी चाहिये था हालांकि वह इतना नहीं है जितनी की जरूरत उसकी थी। लेकिन जो कुछ भी उस तरफ ध्यान दिया गया है वह उस मार्ग का परिचायक है जो कभी भविष्य में अपनाया जाना चाहिये। इसमें वाइस-चांसलर को अधिकार दिया गया है कि वह किसी अध्यापक को सस्पेन्ड कर सकेगा और उसके बाद एक कमेटी नियुक्त होगी जिसमें हाई कोर्ट के जज भी होंगे और बाद में फैसला होगा। यह संशोधन बिल की शक्ति है और जैसा कि मैंने कहा आज समाज को और देश को अनुशासन की भारी आवश्यकता है और वह कमी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक पढ़ाने वाले लोग स्वयं अनुशासन की सीमा में न रहें और इस बिल में उस चीज को किसी हद तक पूरा होते देखकर मुझे प्रसन्नता होती है।

एक बात इस विधेयक में यह भी है कि इससे पहले अध्यापकों को सीनेट में मत देने का अधिकार था, लेकिन वह अधिकार मौजूदा विधेयक में नहीं रखा गया है, इस चीज से

[ श्री रामनरेश शुक्ल ]

भी मैं प्रसन्नता प्रकट करता हूं और वह इसलिये कि वोट देने वालों का ही कुछ दूर चलकर पार्टियों से सम्बन्ध हो जाता है और फिर आगे चलकर विश्वविद्यालयों में उनकी पार्टियां बन जाती हैं। इसलिये इस अधिकार को अलग करके सरकार ने इस संशोधन विधेयक के द्वारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का हित किया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दबाव में आकर या लोगों के कहने सुनने से इस संशोधन को छोड़ने को तैयार न हो। मैं आपके द्वारा इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और अपने मित्र श्री जोरावर वर्मा से प्रार्थना करूंगा कि अब इस पर बहुत विचार हो गया, काफी विचार हो गया है, जो थोड़ा बहुत विचार बाकी हो वह इस सदन के अन्दर हो जाय। इसलिये इसको अब प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले से ही सुन्दर चल रही है, उसमें कोई इस प्रकार की खराबियां नहीं हैं जैसी कि और विश्वविद्यालयों में हमारे प्रान्त में थीं, लेकिन इस बिल द्वारा उसमें और चार चांद लग जायेंगे। इसलिये इस शुभ अवसर में देर नहीं करनी चाहिये। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको पास कर दिया जाय जिसमें हमारे विश्वविद्यालय का कल्याण हो, प्रान्त का कल्याण हो और देश और समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

(श्री तेज प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं यहाँ यह बतला देना चाहता हूं कि अब समय प्रथमावृत्ति का समाप्त होने को है। कम से कम पौन घंटे माननीय मंत्री जी लेंगे। इसलिये माननीय तेज प्रताप सिंह जी २० मिनट में समाप्त कर देंगे।

**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं जरा एक जानकारी करना चाहता हूं कि आपने अभी कहा है कि जनरल डिस्कशन का समय समाप्तप्राय है तो क्या यह सेवक सब सेवायें करने से और अपनी रायें देने से वंचित रह जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह मजबूरी है। तीन दिन का समय दिया गया था।

**श्री राजनारायण**—मैं श्रीमन्, फिर रिक्वेस्ट करूंगा। माननीय गुप्ता जी इस बिल को पाइलट कर रहे हैं वह कदाचित सब बातें सुन लेंगे और यह जो समय दिया जायगा वह हम अमेंडमेंट्स में से कट कर लेंगे।

**अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—माननीय राजनारायण जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर काफी बोल चुके हैं और अपने विचार शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर प्रकट कर चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक के बारे में कोई ऐसी नवीन बात तो है नहीं और जो कुछ इसमें हुआ है वह बहुत कुछ उनकी मंशा के मुताबिक हुआ है, तो मैं अब नहीं समझता कि इसके जनरल डिस्कशन का समय बढ़ाया जाय।

**श्री राजनारायण**—आप भी हरगोविन्द सिंह जी की तरह ही डील करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**—(श्री तेज प्रताप सिंह जी से) मैं आशा करता हूं कि आप २० मिनटमें समाप्त कर देंगे।

**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)—मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं कि यह हमें पीछे ले जाने वाला है। मैं अपने काफी विचार यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर विचार होते वक्त व्यक्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जब यह हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें हमें अपने विचार रखना है। जैसी उम्मीद थी कि कुछ संशोधन हमारे विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस विधेयक में आयेंगे वह नहीं लाये गये हैं और करीब-करीब वही प्राविज़न हैं जो उस विधेयक के पारित होते समय थे, तो हमें खेद है कि जिन विचार धाराओं को हमने सदन के सामने रखा था उन पर कोई विचार नहीं किया गया। खैर, यह कहा गया कि यह आटोनामी की रक्षा क्यों करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि आटोनामी का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इस विधेयक को पेश

करते हुए माननीय अन्न मंत्री जी ने कहा था कि आटोनामी को जो रक्षा करने वाले हैं वे संशोधन लाते हैं कि फलां-फलां योग्यता वाले व्यक्ति किसी कमेटी पर न आ सकें या किसी पद पर न हो सकें विश्वविद्यालय में, मैं समझता हूं कि यह बंधन जो है वह ठीक है लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस सभा में बैठे हों वहां कोई ऐसी पर्सनाल्टी आती हो जिसके सामने हम अपने विचारों को प्रकट न करें। मनुष्य की कमजोरी होती है वह अपने विचारों को कभी-कभी प्रकट नहीं करना चाहता, मूलतः यह कमजोरी है, लेकिन साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को ऐसा मालूम हो कि उसके रहने से उस सभा में स्वतंत्र विचार नहीं हो सकेगा तो क्या हम समझ लें कि आटोनामी मिल जाती है। तब इस स्वतंत्र विचार को कायम रखने के लिये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति उस समय, उस मौके पर न रहें, और तभी तो उसकी आटोनामी रह सकती है और इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसका कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा पूज्य बापू के साथ, जब कांग्रेस में ऐसी बातें पैदा होती थीं तो उससे वह अलग हो जाते थे, प्रथक हो जाते थे, और जब भी कोई ऐसा डिलीबरेशन होता था तो वहां कभी मौजूद नहीं रहे। अब आप इस बात को समझें कि एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का सदस्य चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह उस ऐक्ट को परिवर्तित कराने के लिए अगर यहां उसका इंट्रोडक्शन कर सकता है तो जब वह कौंसिल की बैठक में बैठेगा तो उसका क्या असर होगा? क्या वहां कोई स्वतंत्र विचार रख सकता है? क्या उसके सदस्यों में इतनी आत्मिक शक्ति होगी जो कि हम साधारणतः नहीं पाते हैं कि वे अपने स्वतंत्र विचार वहां रख सकें यह सीधी सी बात है ऐसा होना संभव नहीं है। जो व्यक्ति आमूल परिवर्तन करा सकता है किसी ऐक्ट में तो उसके सामने कोई हिम्मत नहीं करेगा। जैसी कमजोरी है आज समाज में और लोगों में आत्मिक शक्ति नहीं है उसको देखते हुए कोई भी अपने स्वतंत्र विचार उसमें नहीं रख सकेगा। तो यहां सभी इस बात को मानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिये कि वे प्रकाश मंदिर बन सकें, उसमें से अच्छे से अच्छे व्यक्ति निकल सकें। इसमें किसी का मतभेद नहीं. लेकिन प्रश्न यह है कि वहां का वातावरण कैसा हो? किस वातावरण में वह प्रकाश-मंदिर बन सकते है? अगर वातावरण को हमने संकुचित कर दिया, उसमें वह स्वतंत्र विचार न रख सके अथवा यदि अपने भावों को रखने में किंचितमात्र भी झिझके तो वह प्रकाश-मन्दिर नहीं बन पायेंगे। हमें तो ऐसा वातावरण वहां पैदा करना है कि वह आसानी से फलें फूलें, स्वतंत्रतापूर्वक अपना विचार विनिमय वहां वे कर सकें और ऐसा करने पर ही हम अपने विश्व-विद्यालयों को प्रकाश-मन्दिर बना सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि यह घटना जो हुई है कि यह बिल जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, वह इस बात का सबूत है कि वह डिलीबरेशन्स इतने साफ व निष्पक्ष नहीं हो सकते और स्वतंत्र रीति से नहीं हो सकते और इसलिये जो बड़े-बड़े विचारक हैं उनका विचार है कि गवर्नमेंट से हमारी उच्चतर शिक्षा के केन्द्र अलग रहें और यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में हो तो उसे यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिये, एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं होना चाहिये, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो उसका परिणाम यह होगा कि वहां का वातावरण इतना अच्छा और स्वतंत्र नहीं रह सकेगा। इतना मैं आटोनामी के बारे में कहना चाहता हूं और जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं है और उसका कारण भी यही है।

इस बिल के अन्दर भी ऐसी बहुत सी धारायें हैं कि जिनसे आटोनामी रहना असंभव हो जायगा। जैसे चांसलर को आप देखें। हमारे राज्यपाल महोदय, चान्सलर होंगे। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है कि चांसलर किसको होना चाहिये, किसको नहीं, क्योंकि उसके बारे में मैं अपने काफ़ी विचार प्रकट कर चुका हूं। लेकिन अगर हम चांसलर गवर्नर को मान लें कि गवर्नर ही रहे तो आप देखेंगे कि इस बिल में हर जगह उसके नामिनीज हैं — एक्जीक्यूटिव कौंसिल में, कोर्ट में और तमाम जगह उसकी पावर्स हैं। इन सब से वह बड़ा पावरफुल हो गया है। पिछले समय में, अंग्रेजों के समय में, जब हमारे सामने विधेयक आया था तो उस समय चांसलर इतना पावरफुल नहीं था। अब वह हमारा कांस्टीट्यू-

[श्री तेजप्रताप सिंह]

शनल हेड है, स्टेट का टिटुलर हेड है और उसी को हमने चांसलर बना दिया है और उसका संबंध यहां के मिनिस्टरों से है, गवर्नमेंट से है तो यह हो नहीं सकता कि वह अपने व्यक्तित्व को चांसलर की हैसियत से अलग रख सके। वह स्वतंत्र विचार से इस संबंध में विचार कर सके, यह असंभव सा है। तब राज्य का हाथ फिर उसमें आ जाता है। जहां भी नामीनीज की बात आयी है यानी जो भी काम हैं, उसका वह जहां भी प्रयोग करेगा उतना निःपक्ष हो नहीं सकता, यह असम्भव सा हो जायगा। इस प्रकार वहां की आटोनामी कैसे सुरक्षित रह सकती है ?

दूसरे वाइस-चांसलर के चुनाव की बाबत मुझे कुछ कहना है। वाइस-चांसलर की जो विधि रखी गयी है उसको कहा गया कि राधाकृष्णन् कमीशन के मत के अनुसार रखी गयी है। उन्होंने जहाँ तक मुझे ख्याल है, इस पर जोर दिया है कि यूनानिमस डिसीजन होना चाहिये, एक्जीक्यूटिव काउन्सिल का। चुनाव बाजी के झंझट में न पड़ें। लेकिन इस विधेयक में जो प्रस्ताव है उसमें थोड़ा बहुत चुनाव तो हो ही सकता है, आंशिक ही क्यों न हो। जहां तक तीन नाम भेजने की बात आती है, उसमें से कौन हो ? और उसके बाद जो विचित्र बात मालूम होती है कि जब तीन नाम भेज दिये जायेंगे तो उसको फिर चांसलर एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के पास लौटा सकता है। यह समझ में नहीं आया कि आखिर वह क्यों लौटा देंगे ? कहा यह गया कि इसलिये लौटा देंगे कि एक बार और वह यूनानिमस डिसीजन कर सकें। लेकिन यूनानिमस डिसीजन अगर नहीं हुआ है तो फिर जो पुराने तीन नाम थे उनमें रद्दोबदल भी कर सकेंगे। तो क्या यह शंका नहीं हो सकती कि चांसलर किसी में इंटरेस्ट ले रहा है ? और पहली मर्तबा जो तीन नाम आये हुए हैं उसमें उसके मन का न हो और फिर दुबारा जब भेजे तो उसमें उनके एक आदमी का नाम आ सके। लेकिन वापस करने पर फिर तीन और भिन्न नाम मांग सकेंगे, तो इससे लोगों को अगर यह शंका पैदा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहां तो इतनी चीज चुनाव के बारे में कहनी थी।

तीसरे अधिकारों के बारे में, यह जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्ज के बारे में जो धारायें रखी गयी हैं, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और उसका कारण कि अब भी जो टीचर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन्स लिये जाते हैं, एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को इसकी पावर है और यदि कोई ऐसा कहे कि उसकी कोई पावर नहीं थी बल्कि अब प्राविजन ला रहे हैं, तो यह सर्वथा गलत है। तब प्रश्न उठता है कि क्या वह पर्याप्त नहीं था ? यह शंका होती है कि वह पर्याप्त नहीं था और अब जो पावर लाना चाहते हैं कि डिसिप्लिनरी ऐक्शन की प्रोसीडिंग्स वाइस-चांसलर स्टार्ट कर सकेगा और उसके लिये विधि उसकी बनाई कि एक जज होगा हाई कोर्ट का और एक आदमी को और एसोसियेट कर सकेगा, तीन आदमियों की सलाह पर वह कर सकेगा। उसके बाद एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को फिर वह राय भेजेगा और वहां भी तय न हुआ तो चांसलर को यह भेज दिया जायगा। चांसलर जो डिसीजन दे देगा वह फ़ाइनल होगा और उसके बाद फिर कुछ यह भी प्रबन्ध कर दिया गया है कि फिर धारा ४४ के अन्तर्गत वह अपील भी नहीं कर सकेगा जो कि प्रावीजन ऐक्ट में दिया गया था कि अगर टीचर में और यूनिवर्सिटी में कोई कनट्रैक्ट के सिलसिले में झगड़ा पैदा हो तो धारा ४४ के अन्तर्गत आर्बिट्रेशन के लिये पेटीशन कर सकता था। तो आर्बिटेशन की धारा ४४ को अगर देखा जाय तो इतनी अच्छी विधि दी हुई है कि टीचर का एक नौमिनी होगा और एक एक्जीक्यूटिव काउन्सिल की तरफ से होगा और उसका अम्पायर होगा एक चांसलर का नामिनी। जहां भी कोई जुडिशियल ऐक्शन लेना हो वहाँ तो जरूरी है कि दोनों पक्ष रिप्रेजेन्टेड हों और चांसलर का एक अम्पायर हो। उस विधि को मालूम होता है, मंत्री जी समझते हैं कि कमजोर है, उससे डिसिप्लिनरी ऐक्शन तत्काल नहीं ले सकते और डिसिप्लिन लाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो यह तो ऐसी भावना है कि टीचर क्या पनप सकेगा, क्या काम कर सकेगा, अच्छी तरह से, यह चीज

समझ में नहीं आती। चीज और इसका परिणाम भी उपाध्यक्ष जी ऐसा हुआ है कि जितने स्वतंत्र विचार के लोग हैं, वह रहने नहीं पा रहे हैं। कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी रह नहीं सकता है। जहां हम यह धारा लागू करेंगे, यह प्राविज़न रखते हैं तो इसका परिणाम आगे चल कर के बहुत ज्यादा ख़तरनाक होगा और फिर हम उसको प्रकाश-मन्दिर बनाना चाहते हैं। यह कैसे सम्भव है ?

तीसरे मैं सेलेक्ट कमेटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि टीचर्स के सेलेक्शन यूनिवर्सिटीज में जो हुए, लोगों का ऐसा ख्याल है कि बड़े ग़लत हुए। हो सकते है ग़लत हुए हों। हमें ऐसा प्राविज़न रखना चाहिये था इस बिल में कि कम से कम गुंजाइश रहती गड़-बड़ होने की और ग़लत कैंडीडेट्स के लिये जाने की, जैसा कि लोग कहते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे अप्वाइन्ट हुए हैं हाल में कि जो कम क्वलीफाइड हैं। डॉक्ट्रेट की डिग्री रखने वाले नहीं लिए गये और केवल एम० ए० पास सेलेक्ट कर लिये गये। तो ऐसी धारणायें जो हों तो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये था जिससे कि यह न हो सके। एक्सपर्ट स का एक प्राविज़न रखा गया है कि एक्सपर्ट्स होंगे जो कि बाहरी होंगे और निष्पक्ष राय दे सकेंगे तथा निष्पक्षता से सेलेक्शन कर सकेंगे। मुझे भय है कि जैसे कि अमेंडमेंट्स टेबुल्ड हैं, उनमें यह रखा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरह स्टेच्यूट्स में सेलेक्शन कमेटी कैसी हो, इसका प्राविज़न देंगे। मैं तो इस पक्ष में था कि सेलेक्शन कमेटी के कम्पोजीशन को इसी ऐक्ट में रहना चाहिये और जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन ने सिफारिश की है, उसी के मुताबिक एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक पेनेल बनाती एक्सपर्ट्स का, बाहर के एक्सपर्ट्स हों उनमें से दो या तीन एक्सपर्ट्स अप्वाइंट करती, वाइस-चांसलर उसमें होता और उसके बाद टीचर्स का सेलेक्शन होता। तो इसमें कम गुंजाइश रहती गलत आदमियों के सेलेक्ट होने की। इसमें भी जो गोल अमेंड-मेंट लाया गया है और जो शायद ज़रूर पास होगा कि इस्टेच्यूट्स में उसको लायेंगे, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यह टीचर्स का सेलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर पुनः विचार करें और इसका स्पष्ट प्राविज़न सेलेक्शन कमेटी के बारे में इसी विधेयक में रखें।

दूसरे रेफरेन्स कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जब हमने ग्रान्ट्स दे दी यूनिवर्सिटीज को तो उसके बाद हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हमने रुपया मंजूर कर दिया। अब वह किस मद में लगाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, किस को खोलना चाहते हैं, किस मद में कितना ख़र्च करना चाहते हैं, इसमें उनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिये। कमेटी आफ रेफरेंस में गवर्नमेंट के दो नामिनीज होंगे। क्यों होंगे, ख्वाम-ख्वाह उसमें इंटरफियरेंस हो जायगा और उनका काम चल नहीं सकेगा। रेफरेंस कमेटी, जो नये आइटम्स हों उनके बारे में ही अपनी राय दे सकती या जो एग्ज़ीक्यूटिव कौंसिल अपना बजट बनाती, उसको देख सकती, यही रखना चाहिए था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के नामीनीज उसमें रख करके, उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह अनुचित है। ट्रेजर के विटो पावर के बारे में भी मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि ट्रेज़रर को विटो पावर होना नहीं चाहिए। एक्जीक्यूटिव कौंसिल अब नये ढंग से कांस्टीच्यूट होगी, उसमें चांसलर के नामिनी भी होंगे, वह लोग अपना एक हिसाब बनाते हैं और खर्चा उसी के मुताबिक करते हैं। एक आदमी पर, एक व्यक्ति पर विश्वास करना यह ठीक नहीं है। एक कमेटी पर तो विश्वास न करें और एक आदमी पर विश्वास करें, यह अनुचित है। इस-लिये मैं चाहूंगा कि इस धारा में भी जो डिसएलाऊ करने वाला सेक्शन है वह हटा देना चाहिए।

तो मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि जो माननीय वर्मा जी ने यह संशोधन रखा था कि इसको फिर से रिफर कर दिया जाय सेलेक्ट कमेटी में, उसे मैं इसलिये उचित समझता हूं। आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट था। उसे कौंसिल ने सिलेक्ट कमेटी को रिफर ही किया। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि हम दो तीन बार किसी चीज़ पर अच्छी तरह से सोच सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई बात घटती नहीं है, बल्कि इसमें

[श्री तेजप्रताप सिंह]

विचार अच्छी तरह हो सकता है और फिर उच्चतर शिक्षा का विषय है। उसमें आटोनामी कहां होनी चाहिए और कहां किसको क्या पावर्स हों, इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये।

मैं अब यूनिवर्सिटीज में सभी पार्टी बन्दियों के विषय में कुछ और कहना चाहता हूं, क्यों कि बार बार यह कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज में पार्टी बन्दी नहीं होनी चाहिये। लेकिन डेमोक्रेसी के जमाने में सभी लोग उसमें कुछ न कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं। जो वैज्ञानिक या स्कालर्स या लीडर्स यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे, उनके लिये सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमारे हों। वह बड़े बड़े लीडर्स हो सकते हैं और भी स्फीयर्स में वह आगे चल कर नेता होंगे, तो सभी की दृष्टि लग रही है कि इंटेलिजेंशिया हमारे हाथ में हो, हमारे साथ हो। स्टूडेंट्स फेडरेशन, स्टूडेंट कांग्रेस और तमाम दूसरे जमाअतें इसी कारण से पनप रही हैं कि इंटेलिजेंशिया हमारे हाथ में आवे। तो इसकी फ्रीडम होनी चाहिये। हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारे यूनिवर्सिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन में सेंस आफ डीसेंसी रहे। हमारा पठन-पाठन बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से आगे चल सके, इतना ध्यान रखने की जरूरत है। बाक़ी डैमोक्रेसी में हम चाहे जितना एलान करें, लेकिन इंटरफियर पार्टीज जरूर करेंगी ही और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि सभी चाहते हैं कि इंटेलिजेंशिया और इंटेलिजेंट लोग जो आगे चल कर शासन संभालने वाले हैं वह हमारे साथ हों, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। तो हमें सेंस आफ प्रोपोर्शन रखना होगा जिससे हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन सही रूप से, निष्पक्ष रूप से चल सके, चाहे कोई किसी व्यू का हो वह टीचर्स में अप्वाइंट हो सके। जो टीचर्स क्लासेज अच्छी तरह से ले सकता है, जिसका कंडक्ट ठीक है इतना ही देखने की जरूरत है.....

**श्री उपाध्यक्ष**--अब माननीय सदस्य समाप्त कर सकें तो उचित होगा।

**श्री तेजप्रताप सिंह**--इस प्रकार मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

**श्री राजनारायण**--उपाध्यक्ष महोदय,.....

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं इस शर्त पर मान जाऊंगा कि आप १० मिनट से अधिक समय न लें, क्योंकि माननीय मंत्री का समय बहुत कम रह गया है।

**श्री राजनारायण**--तो मैं ४ बजे तक बोलूं ?

**श्री उपाध्यक्ष**--४ बजने में ५ मिनट पर आप समाप्त करें।

**श्री राजनारायण**--मैं यह समझता था कि जब माननीय गुप्ता जी विश्वविद्यालय का विधेयक प्रस्तुत करेंगे, तो अवश्य उसमें कुछ नवीनता होगी। श्रीमन्, चूंकि आप ने हमें १० मिनट के अन्दर बांध दिया है और इतना बड़ा विधेयक है इसलिये मैं माननीय गुप्ता जी की कुछ स्मृतियां, जो पुरानी हैं उनको ताजा कर देना चाहता हूं। सन् १८३३ में श्रीमन्, जब लार्ड मैकाले यहां ला मेंबर बन कर आया तो उसने इंडियन पीनल कोड आयरश ढंग के पेनल कोड के समान तैयार कराया। उस बारे में एक बात कही गयी है कि यदि कोई व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का हो, लेकिन हो परले नम्बर का बेईमान और सरकार की सत्ता को अधिक से अधिक बचाने वाला हो और वह जनता के अन्दर स्वतंत्र भावनाओं का कुण्ठन करने वाला हो तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा पीनल कोड बना नहीं सकता। यह उस समय की बात याद दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं एक कल डिबेट पार्लियामेंट की पढ़ रहा था, उसमें इस बात की चर्चा भी हुई कि १८५७ की जो क्रांति हुई--प्रथम क्रांति अपने देश में--उसका यह भी एक बड़ा जबरदस्त कारण था। जिस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत उस समय अपने खूनी पंजे को गड़ा कर के जनता की आकांक्षाओं को दबा देना चाहती थी, उसी प्रकार आज वर्तमान सरकार भी दबाना चाहती है। मैं आज निहायत अदब के साथ माननीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा और वह शासन के इतने दिनों के अनुभवी भी हैं और इसके अलावा जीवन की दूसरी समस्याओं से भी उनकी जानकारी है, मगर क्या जो वह यह कहते

हैं कि 'लोग कहते हैं कि ओटीनामी छीनी जा रही है,' वह बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं? मैं उनसे पूछूंगा कि इस विधेयक से बढ़ कर किसी शिक्षा संस्था की आटोनामी छीनने वाला और दूसरा विधेयक क्या हो सकता है? श्रीमन्, मेरी समझ में आटोनामी को पूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता के साथ छीनने की उनकी बात है। जब मैं बुद्धिमत्ता कहता हूं तो यह न मान लें कि यह जनतंत्रवादी बुद्धिमत्ता है बल्कि वह है तानाशाही की बुद्धिमत्ता जो अपने को जल्दी खत्म कर देती है। हिटलरवादी बुद्धिमत्ता है। वह बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाला था लेकिन उसका पतन हुआ और बहुत जल्दी ही हुआ। सन् १९५७ ई० आ रहा है। मैं माननीय गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि वह दुनियां के पुराने इतिहास को देखें। हिस्ट्री अपने को रिपीट ही नहीं करती बल्कि मार्च भी करती है। सन् १८५७ के लिये जो ज्यादा समय लगा वह इस विधेयक के पास होने के बाद दो साल का समय काफी होगा। कोई भी समझदार आदमी जिससे मैं बातचीत करता हूं, जो जरा भी इस क्षेत्र में दखल रखता है, वह इसका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं होता है।

हमें याद है जब प्राचीन शिक्षा प्रणाली को हमारे देश से खत्म करने के लिये अंग्रेजी शासक सचेष्ट हुए तो उन्होंने ग्राम पंचायतें जिनके द्वारा शिक्षा संस्थायें चलती थीं उन पर प्रहार किया। श्रीमन्, जब गुप्ता जी तथा माननीय सदस्य पार्लियामेंट की रिपोर्ट सन् १८३३ की पढ़ेंगे तो उनको मिलेगा कि हिन्दुस्तान दुनियां के सर्व श्रेष्ठ मुल्कों में था। हिन्दुस्तान की परसेंटेज सब से ज्यादा शिक्षित मानी गयी है। उस समय हमारी शिक्षा संस्थायें बिखरी हुई थीं और हमें खुशी हुई जब कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री हुए थे तो उन्होंने प्राचीन शिक्षा प्रणाली को कुछ दूर तक चलाने की कोशिश की थी। इसलिये कि उन्होंने शिक्षा संस्थाओं को बिखेरना शुरू किया था और एक स्कीम बना रखी थी कि इतने साल में गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार कर देंगे और सब आदमी शिक्षित हो जायेंगे। लेकिन अब क्या हालत है। सरकार बिल्कुल उल्टी चल रही है।

ओटोनोमी के क्या मानी गुप्ता जी समझते हैं? मैंने सुना नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वह बतलायें कि उनका क्या मतलब है। हमसे सत्ता छिन जाय और नियंत्रण करने वाली दूसरी सत्ता हो जाय, यह गुप्ता जी कह सकते हैं। हम उसको कैसे मान लेंगे। जैसे डाक्टर भगवानदास जी महात्मा गांधी जी से कहा करते थे और राम राज्य के बारे में बराबर उनका विरोध रहा करता था। वह कहते थे कि पहले राम पैदा होगा तभी तो राम-राज्य होगा या राम राज्य पहले ही बिना राम के पैदा हुये आ जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले न्याय बुद्धि हो जो हुकूमत को भी लात मार सके और वह राम हो जो दूसरे के दुःखों को निवारण करने के लिये जंगलों में जाय। लेकिन वह बुद्धि किस की है? गुप्त जी कह सकते हैं कि हमने दख़ल कब दिया? दूसरी पार्टी के आचार्य नरेन्द्र देव जी वायस चांसलर रहे। लेकिन हमने क्या उनके मार्ग में रोड़े अटकाये? हमारा सवाल इससे नहीं बल्कि प्रणाली से है। माननीय गुप्ता जी अपने ऊपर रख सकते हैं। हम इस पर जाना नहीं चाहते हैं यद्यपि ऐसे अवसर हैं, जिनके लिये मैं साहस के साथ कह सकता हूं और जानकारी के साथ कह सकता हूं कि गुप्ता जी डिगे हैं और उन्होंने बड़ी जबर्दस्त पार्टी पोलिटिक्स के रूप में हिस्सा लिया है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हो सकता है कि उन्होंने अपने को डेवलप (विकसित) कर लिया हो और वह युनिवर्सिटी में अपने को उससे ऊंचा रखना चाहते हों। मगर जो प्रणाली गुप्ता जी प्रतिपादित करना चाहते हैं वह तो बिल्कुल दोषपूर्ण प्रणाली है। यह कहना कि राज नारायण या नारायण दत्त जी ने यहां यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एड्रेस किया इसके क्या मानी हैं। मैं तो अपने को बहुत ही कम समय दे पाता हूं मगर मैं आप को बतलाऊंगा कि अगर मुझे समय मिलता और हममें शक्ति होती, अफ़सोस है कि अपनी भावनाओं को प्रफुल्लित करने के लिये, पल्लवित करने के लिये, विकसित करने के लिए, प्रसारित करने के लिये आज हमारे पास साधन की कमी है वरना घर घर जा कर अलख जगाता की जो सरकार इस विधेयक को पारित करती है उसे एक मिनट के लिये भी टालरेट न करो। यह हमारी भावना है

[श्री राजनारायण]

रामनरेश जी को मैं क्या जवाब दूं । स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन और स्टूडेंट्स कांग्रेस, सब की चर्चा कर गये। झारखंडेराय जी के बारे में भी बोले । अरे, ज़रा अपने नेता को तो देखिये। को-एग्ज़िस्टेन्स की थ्योरी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ही कहते हैं। चीन में जायेंगे और कम्युनिस्टों को गाली देंगे। क्या कहा, ऐन्टीकन्ट्री, ऐंटी-नेशनल, ऐंटी सोशल, ऐन्टी पीपुल। रशा में जाने की तैयारी हो रही है। वहां से क्या लायेंगे? ये सब बातें जो होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारा देश हमेशा हिपोक्राइट (शब्द-जाल रचने वाला) ही रहेगा? कभी तो हम हिपोक्रिसी को छोड़ें और तथ्य को पकड़ लें। हम लोग सदन में हैं, परिस्थिति पर विचार करेंगे और विचार करके कोई परिस्थिति निकालें जिसमें शिक्षा संस्था विकसित हो। गुप्ता जी को शायद जानकारी न हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा और मैं उनको पंच मानने के लिये तैयार हूं, फतेहपुर में इंटर कालेज सन् १२ से है, गुप्ता जी के हाथ में मैं पूरा पद निर्णायक का देने के लिये तैयार हूं, यह देख कर बतायें कि क्यों सरकार की ओर से ऐसा कुठाराघात हुआ? हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट के आर्डर को। रेकगनीशन छीन लिया गया दिसम्बर के महीने में। पावर थी सरकार के हाथ में तब छीन लिया। पावर रह गयी गवर्नर महोदय को नियुक्तियों को फ़ाइनल स्वरूप देने के लिये, तब वह ऐसा करेंगे। उनका माथा फिर जाय तो हम क्या करेंगे। मैं ज्यादा समय स्वयं नहीं लूंगा, घड़ी देख रहा हूं ताकि उपाध्यक्ष महोदय, को टोकने की आवश्यकता न महसूस हो। मगर मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मंत्री महोदय इस बिल को पायलेट किये होते तो मै कतई नहीं बोलता क्योंकि "पाहन पतित बाण नहि भेदत रोतो करत निषंग'। लेकिन अब मैं समझता हूं कि "रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान"। इसलिये मैं गुप्ता जी को यह कह देता हूं कि अभी यह उतने सख्त पत्थर नहीं हो पाये हैं। हमारे तर्क की रसरी गुप्ता जी के ऊपर निशान बना कर रहेगी। इसी विश्वास के समथ मैंने थोड़ा सा निवेदन किया।

(श्री झारखंडे राय के खड़े होने पर)

**श्री उपाध्यक्ष**—अब मैं समय नहीं दे सकता चूंकि दो दिन से वादानुवाद चल रहा है। बिज़नेस कमेटी ने जो समय दिया है, उससे बाहर नहीं जा सकता ।

**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी बहुत ही संक्षेप में भाषण करने के आदी हैं। मैं समझता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा वह नहीं बोलेंगे। झारखंडे राय जी पर और उनकी पार्टी पर हमले भी बहुत हुए हैं इसलिए उनको कुछ समय दे ही दिया जाय तो अच्छा है। गुप्ता जी अपने समय में से ही दे देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**—अब आधे घंटे का समय तो बाकी ही है। संशोधन के समय में झारखंडे राय जी बोल सकते हैं।

**श्री चन्दभानु गुप्त**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार इस विधेयक के सिल-सिले में जब मैंने इस विधेयक को इस सदन के विचारार्थ प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद प्रस्तुत किया था थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर चुका हूं और अपने विचार व्यक्त करते समय मैं सदन से इस बात की क्षमा याचना भी कर चुका हूं कि मेरा विश्वविद्यालय से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध ३४ वर्षों से रहा है और इस कारण से यह बहुत मुनासिब नहीं था कि मैं स्वयं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता। परन्तु मेरे साथी अभी दूसरे सदन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधेयक को, जैसा कि वह इस सदन से पारित हुआ है, विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं और इसलिये वह यहां उपस्थित नहीं है।

मैं जानता हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध एक संस्था से रहा हो वह उस संस्था की बुराइयों के प्रति न्याय नहीं कर सकता। उन्हें वह उस दृष्टि से देख नहीं सकता जिस दृष्टि

से उसे ऐसे व्यक्ति के नाते जिसका किसी चीज़ से सम्बन्ध नहीं है उसे देखना चाहिये। मुझ में आज इस बात की कमी है और उस कमी के रहते हुए मैंने सदन के सामने इस विधेयक के विचारार्थ उपस्थित करने के लिये धृष्टता की है। परन्तु जब मैंने यह धृष्टता की है, यह धृष्टता इस बात को ध्यान में रख कर की है कि जो आलोचनाएं इस विधेयक के सम्बन्ध में की जायंगी और जो विश्वविद्यालय के हित की होंगी, जो सुझाव इस विधेयक के सम्बन्ध में दिये जायंगे, मैं अवश्य उन व्यक्तियों में से एक हूंगा जो उन सुझावों के ऊपर जो श्विविद्यालय के हित में होंगे मैं उनसे सहमत हूंगा और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये उद्यत रहूंगा। कई सुझाव विभिन्न संशोधनों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और मेरा विश्वास है कि जब हम विभिन्न धाराओं के ऊपर विचार करेंगे, उन सुझावों के प्रति मैं अपना मत प्रगट करूंगा और सदन उन सुझावों को मंजूर करना चाहेगा तो उन सुझावों को मंजूर करने में सहयोगी भी बनूंगा और अपनी सम्मति भी दूंगा। इसलिये मैं बहुत से विवादग्रस्त बातों की तह में नहीं जाऊंगा। क्योंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिये विभिन्न धाराओं के ऊपर और विभिन्न बातों के ऊपर अपने विचार न प्रकट करूंगा।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पहले जैसा कि मैंने कहा मेरा संबंध विश्वविद्यालय से बहुत अधिक दिनों से रहा है। मुझे दुःख होता है जब उस विश्वविद्यालय के प्रति कुछ अनर्गल बातें इस सदन में लोग कहने की चेष्टा करते हैं और विश्वविद्यालय की ख्याति को कम करने का प्रयत्न करते हैं और विश्वविद्यालय के स्तर को नीचा करने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि मुझे श्री जोरावर वर्मा जी को सुनने का अवकाश नहीं मिल पाया, परन्तु जो कुछ उन्होंने इस सदन में कहा और उसकी समरी जो कुछ मैंने देखी उसको अध्ययन करके मुझे अचम्भा भी हुआ और दुःख भी हुआ। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इतनी दिलचस्पी रखते हों और विश्वविद्यालयों म नयी परम्पराओं की स्थापना करने की चेष्टा करते हों वे बुनियादी बातों को विश्वविद्यालय के प्रति कह कर क्या तमाम विश्वविद्यालय की ख्याति में बट्टा नहीं लगाते हैं जब कि उन्होंने इस सदन में खड़े होकर कहा कि इस विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होती हैं वह जाति बिरादरी की बुनियाद पर होती हैं और इस विश्वविद्यालय में बहुत से स्थानों पर जो नियुक्तियां हुई हैं वह ग़लत व्यक्तियों की हुई हैं। मुझे बहुत विनय के साथ इस सदन के सामने यह कहना पड़ता है कि उन्होंने यह जो बात कही वह बात ऐसी थी जो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों की और हमारी सेलेक्शन कमेटी और एक्जिक्यूटिव कौंसिल की ख्याति के ऊपर धब्बा लगने वाली है। यों तो मैं यह बात न कहूंगा कि इस ३४ वर्ष के इतिहास में विश्वविद्यालय में कभी कोई गलती नहीं हुई। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि २७–२८ वर्ष से मुझे भी विभिन्न सेलेक्शन कमेटीज़ का प्रतिनिधि बनने का इस विश्वविद्यालय में मौका मिला है और कभी भी विश्वविद्यालय में कोई भी सेलेक्शन कमेटी बैठी, उसने किसी व्यक्ति को चूंकि वह किसी जाति या बिरादरी का था इस चीज़ को ध्यान में रख कर किसी को नियुक्त करने की सिफारिश एग्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने नहीं की है।

मैं जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार की इत्तिला दी है वे उन व्यक्तियों द्वारा बतलाई गयी है उस सूचना को इस सदन के सामने रखते और दूसरे व्यक्ति जो बहुत अच्छे थे जिनकी बहुत अच्छी राय थी उसका विरोध किया गया उसको भी सामने रक्खा जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं हुई है मैं दावे के साथ कहता हूं और इसके लिये मैं विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जो उन सिलेक्शन कमेटीज में बैठते हैं और उन एक्सपर्ट को जो कि कार्यकारिणी की ओर से बुलाये जाते हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुईं वे शायद एक ही बात को सामने रख कर हुयीं कि कौन व्यक्ति सबसे अच्छा योग्य था और किसके पास सबसे अधिक योग्यतायें हैं। और कभी ऐसा करने में चूक हुई है और एक्जिक्यूटिव कौंसिल और सिलेक्शन कमेटी की रायों में भिन्नता देखने में आयी तो मौजूदा अधिनियम की तहत में जो अधिकार चांसलर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

महोदय को प्राप्त हैं उनके तहत चांसलर महोदय ने निर्णय दिया और निर्णय वही दिया है जो सेलेक्शन कमेटी का निर्णय रहा है। तो जब ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालय के तहत में रहती है तो यह आरोप लगाना कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियां इस प्रकार होती हैं यह बात सत्य से परे ही नहीं है बल्कि निराधार है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में, जैसा कि मैंने उस दिन इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बतलाया था, ऐसे अध्यापक रहते हैं जिन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में न केवल प्रदेश में नाम कमाया है बल्कि देश में नाम कमाया है। ऐसे आदमियों द्वारा नियुक्तियों के बारे में यह आरोप लगाना कि अमुक व्यक्ति इसलिये नियुक्त किया गया कि वह किसी जाति या बिरादरी विशेष का था, तो यह बात बिलकुल असत्य ही नहीं है पर ऐसी है जिसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को विश्वविद्यालय के प्रति कहने की धृष्टता न करनी चाहिये। मुझे दुख है कि जो विश्व विद्यालय के ऊंचे आदर्शों को उठाने की बात करते हैं, जो विश्वविद्यालय में एसोसियेटेड कालेजेज के अधिकार देने के लिये उद्यत नहीं हैं वे व्यक्ति इस सदन में खड़े हो कर कहते हैं कि विश्वविद्यालय में शेडयूल्ड कास्ट या उनके प्रतिनिधियों को कमेटी में बैठने का अख्तियार नहीं है? मैं सदन के द्वारा ऐसे व्यक्ति से पूंछना चाहता हूं क्या वे विश्वविद्यालय को भी ऐसा स्थान समझते हैं जहां जात बिरादरी की बुनियाद पर नियुक्तियां की जायंगी, जहां जात बिरादरी की बुनियाद पर विभिन्न कमेटियों में लोग रक्खे जायेंगे, वे क्या चाहते हैं कि अयोग्य आदमियों को प्रीफरेंस दिया जाय, जात बिरादरी के नाम पर लोगों को कमेटीज में स्थान दिया जाय और नियुक्तियां की जायं? विश्वविद्यालय प्रकाश और योग्यता का स्थान है और प्रकाश और योग्यता के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जो किसी खास बिरादरी के हैं या किसी समाज के अंग हैं इसलिये उसे वहां नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। मैं इन दो भावनाओं का सामंजस्य इस सदन में बैठकर नहीं कर सकता। एक भावना यह है कि विश्वविद्यालय में उच्चतम आदर्श हों, एक भावना यह है कि सबको बराबर की नजर से देखा जाय, दूसरी भावना यह है कि वहां हरिजन भाइयों की नियुक्तियां नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय में नियुक्तियां नहीं जैसा मैंने कहा योग्यता के आधार पर होती हैं और जो वहां पर जात बिरादरी के नाम पर नियुक्तियां कराने की चेष्टा करें तो वे विश्वविद्यालय को उसके उस स्तर से गिरा देंगे जिस स्तर पर हम उसे ले जाना चाहते हैं। इसलिये वे जो विश्वविद्यालय की आलोचना करते हैं, जो उसके हितैषी बनने की बात करते हैं उनका प्रथम कर्त्तव्य है कि वे स्वयं उन आदर्शों को मनवाने की चेष्टा करें जिन्हें वे विश्वविद्यालय में प्रसारित होते देखना चाहते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि उनकी आलोचना महज आलोचना के नाम पर होती है और उसके पीछे वह सार्थकता नहीं होती, व्यावहारिकता नहीं होती जो आलोचना करते। उक्त सदन के सामने गंभीर आवाज के साथ वे विचार करने के लिये प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं इसलिये वर्मा जी से यह कहना चाहता हूं कि हालांकि यह मेरी कमजोरी रही है लेकिन उसके लिये मेरे जीवन का सबसे पहला प्यार भी रहा है, प्रथम भी और आखिरी भी वही मेरा प्रेम है। यदि ऐसी वस्तु के लिये जिसे मैं प्यार करता हूं जिससे मेरा घनिष्ट सम्बन्ध है उसकी त्रुटियों के सम्बन्ध में निवेदन भी करना चाहता हूं और शायद उन त्रुटियों को मानने के लिये उद्यत नहीं होता हूं तो मैं भी इस भावना से प्रेरित हो कर मानने के लिये तैयार हूं क्योंकि मेरा उससे घनिष्ट सम्बन्ध रहा है परन्तु एक व्यक्ति के नाते जो विश्वविद्यालय में ऊंचे आदर्श से प्रेरित होकर कार्य करना चाहता है और उसको ऊंचे स्थान पर देखना चाहता है वह उचित ही है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय को उसी शक्ल में देखने की चेष्टा करे और हम उसी शक्ल में उसको बनाने की चेष्टा कर रहे हैं।

इस सदन में बहुत सी आलोचनायें आटोनोमी के विषय में की गयीं और बहुत सी आलोचनाएं विभिन्न अधिकारों के विषय में की गयीं कि जिसको सरकार लेना चाहती है और जिनके लिये कहा जाता है कि विश्वविद्यालय को वंचित किया जाने वाला है। मैं पहले वाइस-चांसलर के पद की नियुक्ति के विषय में कहना चाहता हूं जिसके लिये इस सदन में

बहुत से सुझाव दिये गये हैं। मौजूदा जो धारा इस सदन में विचारार्थ वाइस चांसलर की नियुक्ति के विषय में रखी गयी है और उसके विषय में जो विभिन्न मत यहां पर प्रकट किये गये हैं उनके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो धारा हमने वाइस चांसलर के सम्बन्ध में रखी है वह तो एक ही भावना से प्रेरित होकर रखी है और यह वह है कि विश्वविद्यालय स्वयं ही अपने व्यक्तियों की नियुक्ति करने की सिफारिश करे और चांसलर का उसमें कोई दखल न हो। हम चाहते भी नहीं हैं कि चांसलर का दखल वाइस चांसलर की नियुक्ति में हो। उस परम्परा को, जिसको विश्वविद्यालय ने अब तक बनाये रखा है उसी को इसमें रखने का प्रयत्न किया गया है कि एक मत से एक नाम वह चांसलर के पास भेज दे। कार्यकारिणी को अधिकार था कि वह जिस नाम को भेजें उस व्यक्ति को ही चांसलर महोदय स्वीकार कर दें यानी उसी व्यक्ति को वाइस चांसलर नियुक्त कर दे। इन ३४ वर्षों में जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने निर्णय किया उसी निर्णय को चांसलर ने स्वीकार किया और वही व्यक्ति चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। आज हम उसी चीज को कानून के रूप में रख रहे हैं। वही स्थिति ऐसी है जिसकी राधाकृष्णन कमीशन ने सिफारिश की है कि एक मत से एक्जिक्यूटिव कौंसिल की राय जानी चाहिये और उसके लिये ही चांसलर महोदय को अपनी स्वीकृति दे देनी चाहिये। तो हमने इस धारा में यह बात लिख दी है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल पहले ही इस बात की चेष्टा करे कि वह एक नाम चांसलर महोदय के पास भेजे। तो कहां हमने चांसलर महोदय को नियुक्ति के विषय में अधिकार दिया है और कहां उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है? वह एक्जिक्यूटिव एक ही दफा अपनी सिफारिश इस तरह से करे यह भी हमने उसको अधिकार नहीं दिया है। यदि पहिली दफा एक मत से निर्णय नहीं हो सका तो हमने फिर यह मौका दिया है कि वह १० दिन के बाद फिर बैठे और फिर एक मत से नाम भेजने की कोशिश करे और तब वह एक मत से एक नाम चांसलर महोदय के पास भेजने की चेष्टा करे। यदि वह दूसरी दफा भी मिलकर एक मत से निर्णय नहीं कर सके तो हमने यह सिफारिश की है कि तब वह तीन नाम चांसलर महोदय के पास भेजे। तो चांसलर महोदय उन तीन नामों को फिर से एक्जिक्यूटिव के पास वापस कर दें ताकि वह उस पर फिर से विचार करे और तब भी अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल एक मत से एक नाम भेज दे तो चांसलर महोदय उस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे और चांसलर महोदय उसको ही वाइस चांसलर नियुक्त कर देंगे। तो फिर समझ में नहीं आता कि हम कहां अपनी नीति को परिवर्तित कर रहे हैं और कहां हम किसी की नीयत पर हमला कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यह परम्मपरा जो विश्वविद्यालय के भीतर इन ३४ वर्षों के अन्दर स्थापित हुई, उसी परम्रा को कानून के रूप में हमने सामने रखने का प्रयत्न किया है। कार्यकारिणी को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह एक मत से एक नाम को चांसलर महोदय के पास भेज दे। क्या इस धारा से सरकार की नीति या उन व्यक्तियों की नीयत को कि इस तरह के विधेयक को अपने सामने पेश कर रहे हैं, जाहिर होती है? फिर यह आरोप क्यों कि सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की नीति को क्यों नहीं अपनाया है। मैं उन आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पद्धति क्या अधिक आटोनामी प्रदान करती है? यदि बाहर के तीन व्यक्ति एक्जिक्यूटिव के सामने किसी नाम की सिफारिश करें और एक्जिक्यूटिव उसको चांसलर के पास भेज दे तो क्या उससे विश्वविद्यालय की जो आटोनोमी है वह अधिक सुरक्षित होती है? तीन व्यक्ति जिनका विश्वविद्यालय से सम्बन्ध नहीं है वह उस व्यक्ति की सिफारिश करें और एक्जिक्यूटिव के द्वारा उस नाम को भेजा जाय तो क्या इसमें विश्वविद्यालय को ज्यादा आटोनोमी मिलती है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है? मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के ऊपर, कार्यकारिणी के ऊपर और उनकी उज्जत पर इससे बड़ा धक्का नहीं हो सकता कि उन्हें अपने वाइसचांसलर के नाम के सुझाव पर विचार करने का मौका ही न दिया जाय। जो धारा और सिफारिश वाइसचांसलर की नियुक्ति के बारे में रखी गयी है वह विश्वविद्यालय की आटोनामी की रक्षा करती है और उसकी कार्यकारिणी को अपने विषय में अपना निर्णय करने का अधिकार देती है। तो मदनमोहन जी का सुझाव कि दिल्ली की प्रणाली को हमें अपने बीच में जगह देनी चाहिये, उचित नहीं है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वाइस चांसलर की नियुक्ति का जहां तक प्रश्न है वह, अलावा राधाकृष्णन् कमीशन के, आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी सन्, ३८ और ४० में वही दिया था जो आज हम यहां रखना चाहते हैं। यह संशोधन अधिक उत्तम और विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा करने वाला है। उसके स्तर को ऊंचा करने वाला है बनिस्बत उस सुझाव के कि ३ बाहर के आदमी सुझाव दें।

यह भी सदन में कहा गया कि चांसलर महोदय के अधिकार इस बिल से बहुत बढ़ाये जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सिवाय पैसे के सम्बन्ध में जो थोड़े से अधिकार हैं और जो उस कज़ से सम्बन्ध रखता है जो विश्वविद्यालयों पर समय समय हो जाता है, और कौन सा अधिकार दिया गया है। चांसलर पहले भी हस्तक्षेप कर सकते थे इस मानी में कि यदि किसी नियुक्ति के बारे में सेलेक्शन कमेटी और एग्जीक्यूटिव कौन्सिल में मतभेद हो तो वह उनके पास भेजा जाता था और विशेषकर प्रोफेसर और रीडर की नियुक्ति के बारे में। यद्यपि ऐसा अवसर २७ साल में शायद १ या २ मर्तबा आया लेकिन जब ऐसी विभिन्नता हुयी तो जो सेलेक्शन कमेटी ने सिफारिश की थी वही चांसलर ने मंजूर की। तो ऐसे मामले रोजमर्रा उठने वाले नहीं हैं। आज भी, मौजूदा अधिनियम में भी, चांसलर महोदय को जहां तक सेलेक्शन कमेटी और एक्जिक्यूटिव कौन्सिल की राय में विभिन्नता का प्रश्न है उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस विधेयक में भी दो एक स्थानों पर जहां विभिन्नता हो सकती है वहां ऐसे फर्क के विषय में वह अपना मत प्रदान करेंगे और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे यदि यह सदन उसे पास कर देता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस विधेयक में उन विचारों का समावेश किया गया है जो तजुर्बे की बुनियाद पर कि किस तरह से विश्वविद्यालय चलते रहे हैं और क्या उनके हित में है, आधारित है।

यह भी कहा गया कि अध्यापकों के ऊपर डिसिपलनरी कमेटी बनाकर यह सरकार बहुत अधिकार वाइस चांसलर को देना चाहती है जो कि एकेडेमिक कौंसिल के होने चाहिये। मैं नहीं जानता कि डिसिप्लिन का विषय कैसे एकेडेमिक विषय बन सकता है। डिसिप्लिन का विषय एक्जिक्यूटिव का यानी प्रबन्ध का विषय होता है। जिन लोगों को शासन में हिस्सा लेने का मौका मिला है वे कभी भी यह राय नहीं दे सकते कि डिसिप्लिन का विषय एक एकेडेमिक विषय है। मैं यह भी ख्याल नहीं कर सकता कि इसको एकेडेमिक विषय मान लेने से शासन कार्य किस प्रकार से सुविधापूर्वक चल सकता है। एक व्यक्ति कोई गलती करता है तो उस व्यक्ति को सजा देने का अधिकार एक व्यक्ति को होना चाहिये या वोटों के ऊपर उसको छोड़ दिया जाय। एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसे थोड़ा बहुत अनुभव विश्व-विद्यालय का तथा शासन का भी रहा है, यह कह सकता हूं कि डिसिप्लिन के विषय मत के द्वारा तय नहीं किये जा सकते। यदि ऐसा अधिकार मतों को दे दिया जायगा तो डिसिप्लिन कभी मेंटेन नहीं किया जा सकता। यह अधिकार मौजूदा अधिनियम के मातहत भी वाइस चांसलर को ही प्राप्त है। इस अधिनियम में वाइस चांसलर के अधिकारों की कुछ भी वृद्धि नहीं की गयी है। हां, उसके हाथ मजबूत करने के लिये, उसको सहायता देने के लिये दूसरों से सुझाव लेने के लिये यह मौका दिया गया है कि वह दो जजों को सलाहकार बना ले और उनसे परामर्श करके अपने सुझाव एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने पेश कर दे। इसमें हमने कौन आफत और दिक्कत की बात पैदा कर दी जिसके द्वारा हम अध्यापकों को अधिकार छीनना चाहते हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विषय रोजाना नहीं उठते। वर्षों में एकाध मौका आता है और जब-जब ऐसे मौके आये हैं हमने हाई कोर्ट के जजेज से राय लेकर ही निर्णय दिया है। शायद १९३३ में ऐसा विषय आया था जब कि एक डिपार्टमेंट में, जिसके हेड बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, रीडर और लैक्चरर में झगड़ा हो गया। वह झगड़ा तय ही नहीं हो पाता था। वह मामला उस समय के ज ज शायद श्री रचपाल सिंह जी के सुपुर्द किया गया। एक्जीक्यूटिव ने उनको यह मामला इंक्वायरी करने के लिये दिया। यद्यपि उस मामले

की इंक्वायरी वाइस चांसलर भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने न करके जज के सुपुर्द उसको किया। जज ने जो बात रख दी उससे एक्जीक्यूटिव को निर्णय करने में और वाइस-चांसलर को अपना फैसला लेने में बड़ी मदद मिली और जो उस डिपार्टमेंट में हारमनी नहीं थी उसको भी उससे लाभ पहुंचा।

अभी थोड़े दिन हुए एक और बात एक टीचर के बारे में उठी और वह भी एक जज को सुपुर्द कर दिया गया, इस प्रकार से वाइस चांसलर को डिसिप्लिन मेनटेन करने में सहायता मिली। तो अगर वाइस चांसलर एक्जीक्यूटिव के सामने यह सुझाव रखना चाहता है कि मैं जज की सलाह लेना चाहता हूं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अव्यावहारिक है। अब अगर ऐसा न होकर यह डिसिप्लिन का मामला एकेडेमिक कौंसिल में जाता है, जिसमें १२५ सदस्य हैं तो उसमें किस प्रकार से वह डिसिप्लिन का मामला तय हो जायगा, मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें किस प्रकार से निर्णय किया जा सकता है। जो सदस्य ऐसा कहते हैं कि १२५ आदमी किसी व्यक्ति के गिल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका निर्णय अच्छा दे सकेंगे वे अवश्य ही ऐसी बातें करते हैं जो अनुभव से बहुत दूर हैं। जिस व्यक्ति को सजा मिले उसको आखिरी मौके तक बयान करने का मौका मिलना चाहिये। इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कुछ सुझाव उपस्थित किये गये हैं मैं उन सुझावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर लगाये गये दोष को डिफेंड करने के लिये पूरा मौका मिलना चाहिये, यह तो आम कानून का भी रिवाज है और जहां तक अध्यापकों, पंडितों और वैज्ञानिकों का सम्बन्ध है उन्हें तो इस प्रकार के सारे अधिकार मिलने ही चाहिये, मैं नहीं चाहता कि वे अपने अधिकारों से वंचित किये जायं। मैं चाहता हूं कि उन्हें जो अधिकार यूनिवर्सिटी द्वारा सजा देने, मुअत्तिल करने, नौकरी से हटाने आदि के लिये डिफेंड करने के मिले हुए हैं वह सुरक्षित रक्खें जाय। सरकार इसलिये जो मौजूदा विधेयक है और जिसके तहत में उस अधिकार को लेना चाहती थी, जैसा कि मैंने कहा पुनः विचार करने के लिये तैयार है और यदि उसके विषय में कोई सुझाव या संशोधन इस सदन में उपस्थित किया जायगा तो मैं उन व्यक्तियों में हूं जो उस सुझाव को स्वीकार करने के लिये उद्यत रहूंगा। जैसा मैंने कहा हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति या प्रोफेसर के ऊपर कोई कार्यवाही हो जाय और वह समझता है कि उसके प्रति ठीक कार्यवाही नहीं हुयी है तो उसको पूरा-पूरा अधिकार है कि अपनी रक्षा करने का अधिकार अपने बीच में रख सके। मैं चाहता हूं कि उसका वह अधिकार सुरक्षित रखा जावे और उसको अधिकार दिया जावे।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय मंत्री जी के लिये केवल एक मिनट रह गया है।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—मुझे दुख है कि समय मेरे लिये जितना रखा गया था उतने समय में जो तमाम बातें इस सदन में कही गयी हैं मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन कुछ मोटी-मोटी बातें जरूरी हैं और उन्हीं के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं।

**श्री राजनारायण**—अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी को थोड़ा और समय दे दिया जाय, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—अगर सर्वसम्मत्ति से यह निश्चय हो रहा है तो ठीक है लेकिन इधर जितना समय अधिक लगेगा उसे मैं थर्ड रीडिंग में काट लूंगा। आप भाषण जारी रखें लेकिन जितनी जल्दी समाप्त हो सके, अच्छा है।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—तो मैं यह कह रहा था कि जो अधिकारों से अध्यापकों के वंचित करने की बात सदन में कही गयी है, वह भी एक निर्मूल बात है। जो डिसिप्लिन की बात रखी गयी है, जो अधिकार वाइस चांसलर को मौजूदा अधिनियम के तहत में प्राप्त हैं उसी की पुष्टि करने के लिये और वाइस चांसलर को सहायता प्रदान करने के लिये डिसिप्लिन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कमेटी की योजना का सुझाव इस विधेयक में रखा गया है। उसके पीछे और कोई नियत नहीं है, उसके पीछे और कोई भावना नहीं है। यदि कोई और माने लगाने की चेष्टा की जाती है तो मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने विधेयक बनाया है, उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन का विषय, वोट का विषय विश्वविद्यालय के अन्दर न बनाया जावे। यदि यह वोट का विषय बन जायगा तो विश्वविद्यालय में अनुशासन नहीं रखा जा सकता। अनुभव यह बतलाता है कि जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय हमको देना हो, कोई निर्णय करना हो तो आज विश्वविद्यालय के अन्दर वाइस-चांसलर ही ऐसा व्यक्ति है जिसे अनुशासन रखने का अधिकार प्राप्त है और जैसा कि अभी तक रहा है कि यदि उसमें किसी व्यक्ति की सहायता लेने का प्रश्न उठता है तो हमें उसको उस अधिकार को बरतने का मौका देना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि मौजूदा सूरत में जिस तरह यह धारा रखी गयी है उसमें कुछ सुझाव सदन रखना चाहे तो मैं चाहूंगा कि उसमें भी कुछ निर्णय हो जावे और वह निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को, किसी हाई कोर्ट के जज को अपना साथी बनावें और इसके बारे में स्टेच्यूट में इस प्रकार प्रबन्ध कर दिया जाय कि वाइस-चांसलर व्यक्ति की नियुक्ति में सलाह लेने के बारे में बंध जावे तथा ऐसे व्यक्ति की जो राय हो उस पर भी विचार करने के लिये उद्यत हों और इस प्रकार प्रोफेसर व अध्यापक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे।

एक विषय एसोसियेटेड कालेजों का भी सदन में उपस्थित किया गया है और यह आलोचना की गयी है कि सरकार इस विधेयक के तहत में बहुत से एसोसियेटेड कालेज बनाने का अधिकार विश्वविद्यालय को देने जा रही है। मैं सदन के सामने यह अदब से कहना चाहता हूं कि आज के दिन जब कि शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होने जा रहा है और जब विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी के पढ़ने के साधन मुहय्या नहीं है और जब हम यह चाहते हैं कि टीचिंग विश्वविद्यालय में लड़कों की संख्या कम हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से अधिक विद्यार्थियों के पढ़ाने का प्रबन्ध किया जावे? विश्वविद्यालयों में अधिक विद्यार्थी दाखिल नहीं किये जायेंगे चूंकि हम विश्वविद्यालयों का एक स्तर पर रखना चाहते है। तो आज के युग में जब कि डेमोक्रेसी की मांग यह है कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित बनाया जावे ताकि वे डेमोक्रेसी के अधिकारों की रक्षा कर सकें, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये अधिक संस्थायें निर्मित करें? और उन्हें निर्मित करके अधिक विद्यार्थियों के लिखने-पढ़ने का प्रबन्ध करें। सरकार के साधन सीमित हैं और वह आज की मौजूदा हालत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने में असमर्थ है, और वह इस माने में कि जो है भी वह बिखरे हुए हैं और सीमित हैं और उनको देखते हुए जब हम प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही अधिक साधनों की आवश्यकता है। यदि सरकार के साधन सीमित हैं तो क्या इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज को टेप करने की कोशिश करें और आज केवल उसी हालत में हम अपने यहां उच्च शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं जब हम सब तरफ से सहायता लें। आज जो शिक्षा का विस्तार फैला हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को है जिन्होंने इस प्रदेश में शिक्षा को विस्तृत किया है। अगर हम केवल अपने विश्वविद्यालयों के ऊपर ही नजीर लगाये रहते तो शिक्षा का जितना विस्तार हुआ है वह कदापि सम्भव नहीं था, हमें उनका अनुगृहीत होना चाहिये, उन का ऋणी होना चाहिये कि जिन्होंने अपने पैसे से अपने परिश्रम से विभिन्न संस्थाओं को इस प्रदेश में स्थापित किया है और चलाया है। यदि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा पाने का अवसर प्रदान किया है तो हमारा भी फर्ज होना चाहिये कि हम उन को ऐसी सुविधायें दें ताकि वह अपने यहां अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिये। यदि हम इस प्रकार से ऊंचा स्तर करना चाहते हैं कि अपने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित कर दें और ऐसा नारा बुलन्द करते हैं तो मैं कहूंगा कि हम उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं

बर्तते हैं जो उनके प्रति हमें बर्तना चाहिये। आज कितने ही मध्यम श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो अपने लड़कों को विश्वविद्यालय में नहीं भेज पाते हैं और कितने ऐसे हैं कि जिनको वहां जगह नहीं मिलती है और बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास इतना धन नहीं है कि वह विश्वविद्यालय में अपने लड़कों को भेज सकें। यदि बढ़ती हुयी विद्यार्थियों की संख्या को देखकर और उन संस्थाओं को देखकर जो अच्छा काम कर रही हैं यदि हम मान्यता प्रदान करते हैं तो क्या अनुचित करते हैं? मैं तो कहूंगा कि वह मान्यता हमें देना ही चाहिये। यदि हम देखें तो इस विधेयक में वही चीज रखी गयी है जो लखनऊ युनिवर्सिटी में वर्षों पहले से प्रैक्टिस में चली आ रही थी। पुराने विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी वास्तव में यह तय नहीं हुआ था कि यह विश्वविद्यालय और कालेजों को मान्यता प्रदान करेगा लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आइसाबेला थोबर्न कालेज जो यहां स्थित है, वर्षों से मान्यता प्राप्त करता रहा है? यदि सरकार ने उस चीज को विधेयक में रख कर कानूनी रूप देने का प्रयत्न किया है और असोशियेटेड कालेजेज को यह अवसर दिया है तो यह तो एक वास्तविक चीज को ही सरकार ने रखा है और इससे तो विश्वविद्यालयों के स्कोप को बढ़ाने की बात जाहिर होती है। इलाहाबाद में भी इस प्रकार के कालेजेज हैं जैसे क्रिश्चियन कालेज और कायस्थ पाठशाला आदि जिन्होंने वहां के शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया है। पार्टीज ने और जातीयता की भावनाओं ने इन संस्थाओं में बहुत ही दूषित वातावरण पैदा कर दिया था कि उससे बहुत हानि पहुंचती है। इस प्रकार की संस्थाओं को प्रोत्साहन सरकार की ओर से न देना कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है, उसको विस्तृत किया है उनको मान्यता न देना मैं समझता हूं कि एक दूषित नीति होगी और संकुचित नीति होगी। यदि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाना है तो भले ही विश्वविद्यालयके स्तर में कुछ अन्तर आ जाय लेकिन हमें इन संस्थाओं को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ाना नहीं है। रूस में जो शिक्षा संस्थायें हैं वहां पर जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जानकारी का भी मौका मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे एक सम्मानित मित्र प्रोफेसर ऐय्यर अभी वहां से लौट कर आये हैं, उनसे वहां की शिक्षा प्रणाली के विषय में मैंने बातें कीं वहां के मेडिकल कालेज के विषय में बातचीत की तो उन्होंने मुझे बतलाया कि वहां के मेडिकल कालेज का स्तर ऊंचा नहीं है, अस्पतालों के पास ज्यादा साधन नहीं हैं और न वह बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान देते हैं, वह तो अपने यहां अधिक विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं और क्वान्टिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकलें। लेकिन हमारे साथी तो ये जितने हैं सब बहुत विद्वान हैं मुझसे बहुत अधिक तजुर्बा भी रखते हैं और बहुत से विषयों का अध्ययन भी मुझसे अधिक किया है लेकिन वे सिर्फ क्वालिटी के विषय में बातें करते हैं। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जो क्वालिटी चाहते हैं लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से भी हूं जो यह चाहते हैं कि क्वालिटी के साथ-साथ क्वान्टिटी भी बढ़े। इसलिये शिक्षा को विस्तृत करने के लिये, उसके स्तर को अधिक विस्तृत करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक संस्थायें निर्मित करें और उनके निर्माण करने में प्राइवेट चैरिटी से जितनी मदद मिल सकती है और जिस प्रकार से मिल सकती है उसके करने की चेष्टा करें। वर्मा जी ने यह एतराज उपस्थित किया है कि राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशें इस विधेयक में नहीं मानी गयी हैं। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन् कमीशन ने सिफारिश की है कि १०० से अधिक व्यक्तियों की कोर्ट नहीं होनी चाहिये। लेकिन वह सिफारिश व्यावहारिक नहीं है और मैं समझता हूं कि अधिक मात्रा में शिक्षा को बढ़ाने के लिये यदि उससे सहायता नहीं मिलती है तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह नहीं मानने के लिये तैयार हैं कि जो किताब में लिखा रहता है उसी के लकीर के फकीर बन कर चलें। अगर हम समझते हैं कि अपने प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्राइवेट चैरिटी से मदद मिलती है और यदि कुछ व्यक्तियों की संख्या उसके कारण कोर्ट में बढ़ानी पड़ती है तो हमें उसके लिये ग्रज नहीं करना चाहिये। व्यावहारिक नीति को हमें अपनाना होगा। महज आलोचना करने से शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत नहीं कर सकते और न शिक्षा क्षेत्र में वह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे जिसके विस्तृत करने के लिये हम इतने लालायित है और परेशान हो रहे हैं।

**श्री राजनारायण**—रूस से आपने क्या अनुभव किया।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—रूस से मैंने यह अनुभव किया कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये महज क्वालिटी की तरफ ही आवाज न लगायें बल्कि क्वान्टिटी को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिये यदि अपर्याप्त मात्रा में ही सही, जो भी साधन उपलब्ध हों, उनका पूरा-पूरा फायदा उठायें। हम इस विधेयक की तह में लम्बे आदर्श की बात नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि व्यावहारिक ढंग से प्रयत्न किया जाय और प्रत्येक नागरिक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाय और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने का यही साधन है। राधाकृष्णन् कमीशन ने तो यह भी सिफारिश की है कि ३,०००, ४,००० विद्यार्थियों से अधिक विश्वविद्यालय में न पढ़ें लेकिन आज जो स्थिति है उसमें यदि प्रत्येक नागरिक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम अपने विश्वविद्यालयों की संख्या को इस तरह से लिमिट कर दें तो फिर हम उन बच्चों को इन एसोशियेटेड कालेजेज द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं। क्वालिटी की बात तो बाद में होगी लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि हम सबको पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का मौका दें। एसोशियेटेड कालेजेज से शिक्षा का स्तर गिरेगा यह बात कही गयी है। उनका स्तर अच्छा हो जायगा। क्योंकि जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय उनकी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले रही है। कोई एसोशियेटेड कालेज अपने यहां अध्यापक नियुक्त करेगा तो विश्वविद्यालय कोर्ट को अपनी सिफारिश देगा और जब उसकी मंजूरी हो जायगी तब एसोशियेटेड कालेज में वह अध्यापक रखा जायगा। तो जहां तक स्तर को कंट्रोल करने का विषय है इस विधेयक में उसके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया है। यहां, यह सत्य है कि प्रारम्भिक अवस्था में एसोशियेटेड कालेजेज इतना ऊंचा स्टैंडर्ड, अपना नहीं सकेंगे और न उनके पास इतने रुपये हो सकते हैं लेकिन उन लोगों से जो थोड़ा बहुत रुपया अपनी गाढ़ी कमाई का इन कामों में लगाने को उद्यत हैं जब तक हमने अपने प्रदेश में ऐसी योजना नहीं तैयार कर ली है जिसकी तहत में राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करले तब तक हमारा कर्तव्य है कि उन लोगों से जितनी भी सहायता मिले ली जाय और ऐसी संस्थाओं से पूरा-पूरा फायदा उठाया जाय। देश में शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये यही उत्तम साधन है और इसको करने की हमें चेष्टा करनी चाहिये।

**श्री राजनारायण**—'क्वालिटी चेंजेज इन्टू क्वान्टिटी, ऐंड क्वान्टिटी चेंजेज इन्टू क्वालिटी।' यह फिलासिफी रशा मानता है, आपके क्या विचार हैं इस सम्बन्ध में?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—श्री मदन मोहन जी ने आलोचना करते हुये यह कहा था कि अध्यापकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कोर्ट में जो ६ व्यक्ति चुने जायेंगे उसमें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हां, यह सत्य है कि मौजूदा विधेयक में जो मौजूदा धारा है उसकी तहत में किया गया है और वह इसलिये किया गया है कि राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी प्रत्येक ने यह सिफारिश की है कि अध्यापकों को चुनाव के झमेले में नहीं पड़ना चाहिये। प्रत्येक ने यह सिफारिश की थी कि अध्यापकों को चुनाव के झमेले में नहीं पड़ना चाहिये और उनको अधिक समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में, अनुसंधान करने में, और जो उनके जीवन का आदर्श है उसकी पूर्ति में लगाना चाहिये और इसी विचार का समावेश करते हुये और मूथम कमेटी की सिफारिशें मानते हुये इस विधेयक में यह बात रखी गयी थी। लेकिन यदि सदन चाहता है कि नहीं उन्हें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिये तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उन्हें अधिकार दीजिये चुनाव में आने का.....

**श्री राजनारायण**—क्या आप का शिक्षा विभाग उसी प्रकार चल रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं? मैं अभी एक चुनाव से आ रहा हूं। हर जगह आप की तरफ से जाकर डिप्टी मिनिस्टर्स कहते हैं कि किसी को अधिकार नहीं है यह कहने का कि किसको चुना जायगा।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--मुश्किल यह है कि राजनारायण जी को हर जगह धुंधली-धुंधली चीज दिखायी देती है। किस विषय पर हम बात कर रहे हैं और वह कहां की चीज इसमें भिड़ा रहे है तो मैं उसी नुक्तेनजर से इस चीज पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि जब मैं विश्वविद्यालय के मुताल्लिक दिलचस्पी रखता हूं, विश्वविद्यालय को बढ़ाने या उसका स्तर ऊंचा करने की चेष्टा करता हूं तो राजनीति को जेब में रख कर कुछ करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनके नेता श्री आचार्य नरेन्द्र देव मेरे सम्मानित मित्र हैं और उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने मेरे विचारों को बनने में सहायता प्रदान की है। वह भी इसी प्रकार के व्यक्तियों में से हैं जो इस प्रकार के विचारों की स्थापना करने में उत्सुकता प्रदर्शित करते रहते हैं। यदि माननीय राजनारायण जी इसको मानने के लिये तैयार नहीं है और वह इसको न समझ सकें कि ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है तो मैं उनको समझाने में असमर्थ हूं और उनके साथियों को भी समझाने में असमर्थ हूं जो हमेशा धुंधली-धुंधली चीज ही देखने की चेष्टा करते हैं। आज मौका है परंपरायें बनाने का। डेमोक्रेसी को यदि हम जीवित रखना चाहते हैं और ऊंचा करना चाहते हैं तो वह काम इन परंपराओं की स्थापना के द्वारा ही हो सकता है जिनके आधार पर डेमोक्रेसी बढ़ती है, फूलती है और फलती है। हम चाहे सदन में बैठें या बाहर रहें क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं होना चाहिये कि हम यह सोचें कि हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिये। आखिर कल के नागरिकों को बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है, हमारे बाद के आने वाले नागरिक ही इस शासन का संचालन करेंगे। जो परंपरायें हम आज बनायेंगे कल उनका अनुसरण होगा और अगर हम वहां बैठते हैं तो यहां बैठ कर हम जो कह गये हैं, यदि हमें मौका मिला तो उन्हें हम उन्हीं परम्पराओं पर चल कर सच्चा कर दिखाने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राजनारायण जी और उनके दूसरे साथी जो इस सिलसिले में अपने विचार प्रकट करते हैं उन्हें बुनियादी बातों को ध्यान में रखकर उन पर विचार करना चाहिये और उन परम्पराओं को बनाने की चेष्टा करना चाहिये जिनका अनुसरण कर हमारे आने वाले नागरिक अपना सिर गर्व से ऊंचा उठा सकें। मैं जानता हूं कि कमियां हैं और उनका निराकरण करना आवश्यकीय है। इस सिलसिले में मैं सब से पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो उन कमियों को, उन खामियों को दूर करने को उत्सुक हूं लेकिन आज के लड़कों को, आज के विद्यार्थियों को अपनी राजनीति का सामान बनाकर उनको कठपुतली बनाने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि कल के नागरिक इन कुर्सियों पर बैठकर देश का अच्छी तरह से शासन चलायें कि जिसमें उन पद्धतियों को और उन परम्पराओं को पनपने का मौका मिले जिसमें डमोक्रेसी पनपती और फूलती-फलती है तो उसके लिये मैं नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि जितने सुझाव यहां आये हैं और विचार करने के लिये यहां प्रस्तुत किये गये हैं उनमें अधिकांश उन कमेटियों की सिफारिशों के बिल्कुल विरुद्ध हैं जिनकी बिना पर हमें यह संशोधन विधेयक यहां लाना पड़ता है। एक बात यह भी कही गयी है कि मूथम कमेटी यहां बनायी नहीं गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के विधेयक को तब्दील करने की क्या बात है? क्यों तब्दील किया जा रहा है? मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूं कि यह विषय १९३८ में उठा था। १९३८ में एक प्रस्ताव इस सदन में पास हुआ था कि जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालयों के जो कानून हैं, विश्वविद्यालयों के संचालन की जो व्यवस्था है उसके लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करे और कमेटी नियुक्त कर के फिर एक नया कानून बनाने का प्रयास करे। उस प्रस्ताव के बाद सरकार ने एक कमेटी एप्वाइंट की थी। एक के सभापति आचार्य नरेन्द्र देव थे और दूसरी कमेटी के आचार्य जुगुलकिशोर थे। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में सिफारिश की थी और आचार्य जुगुल किशोर कमेटी ने आगरा विश्वविद्यालय के विषय में सिफारिश की थी और इसलिये लखनऊ विश्वविद्यालय में जो संशोधन हो रहा है, वह तो बहुत कुछ उस कमेटी के ऊपर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है जो कि आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने सन् १९३८ में की थी, यद्यपि उसमें बहुत सा परिवर्तन किया गया है और वह समय की मांग के हिसाब से, और अनुभव के हिसाब से जो कि विश्व-विद्यालय ने स्वयं प्राप्त किया है, जो कि अध्यापकों ने प्राप्त किये हैं, उन सब विचारों का इसमे समावेश किया गया है। मैं, और अधिक समय सदन का न लेते हुये, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और सदन के द्वारा उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनको तो नहीं दिलाना चाहता हूं जिन्होंने कि राजनीतिक पेशा बना लिया है और विश्वविद्यालय को कठ-पुतली बनाकर अपनी राजनीति चलाने का जिन्होंने पेशा कर लिया है, उन विद्यार्थियों को, पंडितों को, जो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पढ़ रहे हैं और उन अध्यापकों को जो शिक्षा के प्रसार के लिये, प्रकाश की वृद्धि के लिये अपना जीवन वहां बिता रहे हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं और इस बिल के तहत में यह कह देना चाहता हूं कि यह सरकार कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहती जो अपने अध्यापकों और गुरु-जनों का आदर होना चाहिये, वह उनसे छिनावे।

(तालियां)

यह सरकार उन गुरुजनों के प्रति, आखिर हममें से जो इन बेंचों पर बेठे हैं और उन बेंचों पर बैठे हैं, उन गुरुजनों की बदौलत हैं जिनके पैरों के नीचे बैठकर हमने शिक्षा प्राप्त की है और आज क्या यह जुर्रत कर सकते हैं कि वे अध्यापक जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमें चरित्र निर्माण करने में सहायता दी, हम उनके अधिकार छीने। लेकिन ऐसे व्यक्तियों क लिये इस सरकार के पास न तो कोई सहानुभूति है, न श्रद्धा है जो विश्वविद्यालय के अन्दर रह कर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल राजनीति चलाना चाहते हैं, अपनी खुदगर्जी के लिये वह विद्यार्थियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो कि किन्हीं राजनीतिक पार्टियों में पड़ कर विश्वविद्यालय के पवित्र वातावरण को खत्म करना चाहते हैं, हमें ऐसे विद्यार्थियों से और ऐसे अध्यापकों से कभी कोई सहानुभूति नहीं है।

(तालियां)

और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन कोई सहानुभूति नहीं प्रदान करेगा। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी बहुत थोड़े हैं, अध्यापक थोड़े है, जो कि विश्वविद्यालय के जरूरी कामों के पूर्ण करने में समय न देते हों। यह प्रबन्ध उन थोड़े से आदमियों के लिये किया गया है जो कि विश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। जहां तक लखनऊ विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है ९५, ९६, ९८ फीसदी अध्यापक वे हैं जो अपना समय शिक्षा में देते हैं, किताबों में देते हैं और अनुसंधान की योजनाओं में देते हैं, जो कि उनकी जिम्मे-दारी है और जिन्हें पूरा करने के लिये वह विश्वविद्यालय की तहत में रहते हैं। मैं उनको नमस्कार करते हुये, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी के अधिकारों को छीनने वाला नहीं है बल्कि जो तजुर्बे की बुनियाद पर हमने हासिल किये हैं, इन संस्थाओं ने हासिल किये हैं और जिन्हें हम इस सदन में पेश करेंगे, विचार और राय लेकर पास करेंगे, उनको एक अधिनियम के रूप में परिणित करना चाहते हैं। मैं सदन के सदस्यों का बड़ा अनुगृहीत हूं कि जो चन्द शब्द मने विश्व-विद्यालय और इस विधेयक के विषय में कहे, उन्हें सुनने का मौका प्रदान किया।

(तालियां)

**श्री राज नारायण**---शिक्षा मंत्री जी को आप ने नमस्कार नहीं किया है।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, एक पर्सनल ऐक्सप्ले-नेशन मुझे देना था।

**श्री अध्यक्ष**---उन्होंने आप के बारे में कुछ कहा था?

**श्री जोरावर वर्मा**—जी हां, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि कल न तो श्रीमन् ही यहां थे और न माननीय गुप्ता जी।

**श्री अध्यक्ष**—कल तो आप भी नहीं आये थे।

(तालियां)

**श्री जोरावर वर्मा**—श्रीमन्, मेरा तात्पर्य शुक्रवार से था जिन सूचनाओं के आधार पर, जो उन्होंने कहा वह ठीक है, उनके लिये शोभनीय है। लेकिन मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा वह सोलहो आने, सेंट परसेंट सत्य है .....

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—बिल्कुल असत्य।

**श्री अध्यक्ष**—यह आप का पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ।

**श्री जोरावर वर्मा**—क्योंकि उन्होंने जाति-पांति के बारे में कहा तो मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा है सही कहा और यदि सदन यह अधिकार प्राप्त करे और इसकी जांच करे कि मैंने सत्य कहा या गुप्ता जी ने सत्य कहा तो मैं उसके लिये तैयार हूं। पिछले चार-पांच सालों में वहां जो एप्वाइंटमेंट्स हुए हैं, उनको देख लिया जाय, यदि मेरी बात असत्य निकले तो सदन जो चाहे सजा दे सकता है.....

**श्री अध्यक्ष**—यह तो आप उनके भाषण का जवाब दे रहे हैं। यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ।

अब मैं पहले जोरावर वर्मा जी का संशोधन ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ इस सदन द्वारा नियुक्त एक प्रवर समिति के समक्ष, जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी, विचारार्थ भेजा जाय, जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ३

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २ का संशोधन।

३—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (*a*) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर खंड (*aa*) और (*aaa*) रख दिये जायं :—

"(*aa*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

"(*aaa*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorised to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

---

नोट—विधेयक के खंड २ को प्रवर समिति ने निकाल दिया।

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*bb*) और (*bbb*) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"(*bb*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs, of an institution recognised by the University."

"(*bbb*) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a Hall."

(३) खंड (*e*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ee*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ee*) 'State Government' means the Government of the State of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ff*) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

(*ff*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University or a Constituent College for taking a course of study for a degree, diploma, or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

(५) खंड (*g*) में शब्द (any of its Colleges or Halls) के के स्थान पर शब्द "any Associated College, Constituent College or Hall." रख दिये जायं—

खंड (h) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

'Teacher of the University' means a person appointed and paid by the University for imparting instruction or conducting research in the University or a Constituent College maintained by the University."

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास खंड ३ के बारे में शाब्दिक संशोधन श्री नौरंग लाल जी के अभी-अभी आये हैं। वह यहां मौजूद नहीं हैं। लेकिन तब मैं इसको ले लूंगा जब किसी को आपत्ति न हो। यह इस प्रकार है—

खंड ३ के उपखंड (*aa*) की तीसरी पंक्ति में शब्द "impart" के स्थान पर शब्द "provide" रख दिया जाय और एक दूसरा यह है कि "impart" के बाद शब्द "all" हटा दिया जाय। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आपको यह स्वीकार है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "impart all" के स्थान पर शब्द "provide" से काम चल जायगा। तो मैं दोनों को एक साथ रखे देता हूं। लेकिन पहले आप मूव कर दीजिये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (*aa*) की तीसरी पंक्ति में शब्द "impart all" के स्थान पर शब्द "provide" रख दिया जाय। यह बिलकुल शाब्दिक संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (*aa*) की तीसरी पंक्ति में शब्द "impart all" के स्थान पर शब्द "provide" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, एक मेरा भी संशोधन था ।

श्री अध्यक्ष—वह मुझे तो मिला नहीं, जरा मैं देख लूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा संशोधन था कि खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय, यह संशोधन है आपका । तो आप पेश कीजिये । लेकिन किसी को आपत्ति तो नहीं है ।

डाक्टर सीताराम—हमारे पास कापी उसकी नहीं आयी ।

श्री अध्यक्ष—छोटा सा संशोधन है कि खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय । नोट कर लीजिये । कापी बाद में मिल जायगी ।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि मैंने भी संशोधन लिखकर दिया था सैटरडे को, वह इसमें नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—यह कब दिया था ?

श्री जोरावर वर्मा—यह सैटरडे को साढ़े चार बजे दिया था ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं उसे मांगे लेता हूं । तब तक आप (श्री नारायणदत्त तिवारी से) उपस्थित करेंगे ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय ।

श्रीमन्, इसमें एसोसियेटेड कालिज और कांस्टीट्यूएंट कालिज की परिभाषाएं दी गयी हैं । मैं चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का टीचिंग और यूनिटरी करेक्टर सुरक्षित रहे और इसमें किसी प्रकार के कांस्टीट्यूएंट कालिज को शामिल न किया जाय । मेरे संशोधन को स्वीकार करने से ऐसी कोई सम्भावना लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में नहीं रहेगी ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो विचार प्रगट किया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा पद्धति की व्यावहारिकता को देखते हुए सरकार को ऐसा निश्चय करना पड़ेगा । लोग यह चाहते हैं । आज चूंकि देश में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और सभी विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता, इसलिये इस बात की आवश्यकता महसूस हुयी कि हम नये डिग्री कालेजेज बना दें और एसोसियेटेड कालेजेज के रूप में उनको यूनिवर्सिटीज से संबंधित करें । श्रीमन्, हमारा यह कभी मंशा नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को न बढ़ायें या इन गरीब मध्यम वर्ग के लड़कों को, विद्यार्थियों को, उच्च शिक्षा न प्राप्त हो सके, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल से निकलें । आपको यह याद होगा कि हमने पहले भी इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था । आज भी माननीय गुप्ता जी को सुनने के बाद इस बात की पुनः आवश्यकता प्रतीत हो गयी है कि हम अपने निवेदन को पुनः दोहरा दें । हमारा तो कहना मात्र यह है कि हमने विश्वविद्यालय का एक पैटर्न निश्चित किया है । आज से २४ साल पहले ही नहीं, बल्कि आज से ३४ साल पहले जबकि लखनऊ यनिवर्सिटी की स्थापना हुयी सैडलर कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आइंदा जो विश्वविद्यालय खुलें वह एफिलिएटिंग करैक्टर के न हों, वह यनिटरी, टीचिंग और रेजीडेंश्यल करैक्टर के हों । सर हारकोर्ट बटलर की सरकार ने उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

समय यही निश्चय किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटिंग करैक्टर रखा जाय और वह सन् १९२६ में जाकर समाप्त हुआ, लेकिन लखनऊ की न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में यही फैसला किया गया कि लखनऊ की जो न्यु यूनिवर्सिटी बन रही है ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन कि मदद से, वह सम्पूर्ण रूप से टीचिंग, रेजीडेंश्यल और यूनिटरी रहेगी, इसका अर्थ यह है की यूनी केकालिजिएट सिस्टम के अनुसार डिपार्टमेंट कालिज का रूप अख्तियार करेंगे और फैकल्टीज के रूप में टीचिंग एक निश्चित समय के अन्दर होगा, जो यूनिवर्सिटी कैम्प है उसके अन्दर होगा और जो ट्यूटोरियल कालेजेज हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज के संबंधित होंगे उनमें ट्यूटरियल और सप्लीमेंटरी इंसट्रक्शन्स के द्वारा पढ़ाई होगी और जो विद्यार्थी होंगे वे एक निश्चित समय के अन्दर एक निश्चित आवास में रहेंगे । यह रेजीडेंशियल का अर्थ था । तो इस यूनी-कालिजिएट पद्धति के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी । श्रीमन्, आप देखेंगे कि एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी उस समय आगरा यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी । वह सन् १९३६ में बनी, तब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काम कर रही थी । उस समय यह निश्चय किया गया था कि जो कालेज एफीलियेट होना चाहेंगे उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एफी-लियेट किया जायगा । लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं करेगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी केवल एक स्टैंडर्ड की यूनीटरी टीचिंग और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी होगी । आज ३४ साल उस निश्चय को होते आये हैं । इसलिये उसका एक प्रकार और आधार रहना चाहिये । उच्च स्थानों पर आकर हम रिसर्च क्यों करते हैं ? कुछ योग्यतायें और मान्यताओं के अनुसार हम यह कहते हैं कि हम वहां पर खास तौर से एक्सपर्ट टीचिंग देंगे क्योंकि शिक्षा में इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि कुछ विश्वविद्यालयों में विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाय । इसका अर्थ यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा सब लोगों को प्राप्त नहीं होती है तो उसका ऊंचा स्तर न रखा जाय । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा जो शिक्षा का स्तर ऊंचा बना हुआ है उसको गिराना चाहिये । कोई प्रस्ताव करे कि यू०पी० गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है । यदि कहे कि बम्बई और यू० पी० का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है और पार्ट सी स्टेट्स का बहुत गिरा हुआ है इसलिये यू०पी० का एडमनिस्ट्रेशन गिरकर पार्ट 'सी' स्टेट्स की तरह हो जाय या ऐसी गवर्नमेंट की तरह हो जाय कि जो हमारी नकल करती थी अब हम उनकी नकल करना शुरू कर दें । जो यूनिवर्सिटी अपने शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर रही है जिसका एक निश्चित चित्र बन चुका है उसे विकृत करके और गिराकर हम एफीलियेटेड करैक्टर दे दें तो यह हमारे लिये अपेक्षित बात नहीं है ।

अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि नये कालेज बन रहे हैं इनका एफीलियेशन कैसे हो तो उनका एफीलियेशन आगरा यूनिवर्सिटी से हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—आप जरा बैठ जाइये । माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं । (श्री जोरावर वर्मा से) आपके संशोधन देर से आये थे, आउट आफ टाइम थे । कल के एजेंडे में आ जायेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन पेश किया जा रहा है इसी विषय में मेरा संशोधन था ।

श्री अध्यक्ष—वह तो कल आ जायगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ;
२० दिसम्बर, १९५४ ।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर ।)

## सूची

विशेषज्ञ द्वारा जो कार्य किया गया उसका विवरण:--

(१) मैदानी तथा पहाड़ी फलों की पैदावार की विस्तृत सर्वे (जांच-पड़ताल) ।

(२) उपरोक्त जांच-पड़ताल के आधार पर राज्य सरकार को फलों की पैदाव तथा इसके उद्योगीकरण के लिये परामर्श देना ।

(३) इस परामर्श के फल स्वरूप यूटिलाइजेशन डाइरेक्टेर की स्थापना जिसका कार्य पर्वतीय क्षेत्रों में तो फलोत्पादन तथा फल संरक्षण उद्योग को संगठित रूप से सम्बद्ध करना तथा मैदानी क्षेत्रों में फल-संरक्षण उद्योग का पुनर्संगठन करना है ।

(४) फ्रूट प्रिजर्वेशन तथा कैनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ तथा कम्यूनिटी कैनिंग सेंटर, रामगढ़ के कार्यों का पुनर्संगठन तथा व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के आशय से इन संस्थाओं को केवल अन्वेषण कार्य के लिये संगठित करना ।

(५) जन-साधारण में फल-संरक्षण सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार तथा जनसाधारण को अपने इच्छानुसार फल, साग-सब्जी आदि को भविष्य के उपयोग के लिये कम्युनिटी कैनिंग योजना के लिये प्रदान करना तथा तत्सम्बन्धी व्यापक शिक्षा के लिये मोबाइल संरक्षण शिक्षा दलों का विस्तृत आयोजन तथा संगठन (ये दल कम्युनिटी कैनिंग का कार्य भी साथ-साथ करते हैं ।)

(६) रामगढ़ (नैनीताल) क्षेत्र में जहां विस्तृत क्षेत्र में फलों की खेती की जाती है फलों की बरबादी को रोकने तथा इस प्रकार नष्ट होने वाले फलों से पल्प पीपों में भरकर मैदान में स्थित फल-संरक्षण उद्योग व्यवसायियों की मांग की पूर्ति करने तथा फलों का रस निकालकर साइडर तैयार करने और इस प्रकार के फलों के अवशेष द्वारा जानवरों के खाने लायक खली तैयार करने के उद्देश्य से आधुनिक ढंग के यंत्रों सहित एक फैक्टरी स्थापित की है । अगले फलों की फसल में यह फैक्टरी विशेषज्ञ की देख रेख में अपना कार्य चालू कर देगी ।

(७) इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों को संगठित फल-संरक्षण व्यवसाय के अन्तर्गत लाने के लिये काकोरी, मलिहाबाद, माल तथा रहीमाबाद के क्षेत्रों में, जहां आम अधिक होता है, उक्त फैक्टरी स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है। इन स्थानों में आम पैदा करने वालों की सहकारी समितियों का भी आयोजन किया गया है, इसी प्रकार की एक सहकारी संस्था रामगढ़ (नैनीताल) के सेब के फलों के उत्पादन कार्य में लगे व्यवसायियों की भी स्थापित की गयी है ।

(८) फल संरक्षण विज्ञान सम्बन्धी खोजों को अधिक व्यापक तथा उपादेय बनाने की दृष्टि से फ्रूट प्रिजर्वेशन तथा कैनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ तथा रामगढ़ की संस्था के पुनर्संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि इस विशेषज्ञ का अब तक का कार्य-फल उत्पादन तथा फल-संरक्षण व्यवसाय को वैज्ञानिक ढंग से संगठित कर भविष्य के लिये उचित आधार उपस्थित करना है ।

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर आगे पृष्ठ २० पर।)

*Copy of Government of India Planning Commission letter No. PC(III) 13/61/54, dated September 18, 1954 to all the State Government.*

### Basic Policy of Road Transport Development under the Plan

As the State Governments are aware, the nationalisation of road transport was not accorded high priority in the First Five Year Plan, since it was considered that the bulk of the resources of State Governments should be devoted to other pruposes, e.g. the development of agricultural production, irrigation and power and roads. In the Planning Commission's circular letter on unemployment No. PC (VI)L/48-53, dated July 30, 1953, the attention of the State Governments was drawn *inter alia* to this basic policy-regarding road transport development under the Plan and the State Governments were requested to review their present licensing policies which in several cases were understood to be severlely hampering the growth of private road transport.

2. The Commission are concerned to note that most State Governments have continued to follow restrictive licensing policies. Some State Governments have also sent up new and ambitious schemes for extension of their nationalised services for which financial assistance has been sought from the Central Government. Instances have also come to the notice of the Planning Commission, where the State Governments have spent from their own resources large funds on nationalisation programmes not included in the Plan, thus diverting funds from other more urgent schemes which were provided for in the Plan.

3. It is necessary to emphasise that in the present context of deficit financing, a special responsibility devolves on the Central and the State Governments not to divert funds to schemes outside the Plan more particularly to schemes for which, with proper encouragement, considerable investment would be forthcoming from the private sector. It is obvious that the continuance of restrictive licensing policies in road transport undermines the confidence of private operators who are thus discouraged from expanding their business. Given a reasonable assurance of security of tenure, they would be prepared to make appreciable investments. There is much less justification for following these restrictive policies in the field of goods services where most State Governments cannot envisage nationalisation in the near future owing to the need for funds in other fields.

4. The Planning Commission have recently reviewed the entire policy regarding road transport development under the Plan and in consultation with the Central Ministry of Transport, have reached the following decisions regarding the principles to be followed during the next few years:

*Goods Services*—(i) Schemes for nationalisation of road freight services will not be considered for inclusion in the Plan until 1961, i.e. the end of the Second Five Year Plan.

(ii) Permits should be granted freely for periods of not less than three years in accordance with the provisions of the Motor Vechicles Act, 1939; and

(iii) A special incentive should be given to viable units by granting them permits for a maximum period of five years under the provisions of the Motor Vehicles Act.

*Passenger Services*—(i) State Governments desiring to natitonalise road passenger services should prepare phased programmes for consideration by the Planning Commission for inclusion in the Plan, defining clearly the areas of proposed nationalisation uptil 1960-61, i.e. the end of the Second Five Year Plan and these will be considered provided (ii) and (iii) below are accepted by the State Governments.

(ii) In the areas that would be left outside the approved nationalised schemes, permits should be granted freely for periods of not less than 3 years in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939.

(iii) Within the areas which are included in the approved nationalisation schemes, permits should be granted for the longest period permissible under the expansion schedule, but within the maximum limit set by the Motor Vehicles Act.

(iv) Where Government participation is contemplated, the setting up of a tripartite organization in which State Governments, Railways and Private operators will participate, should be favoured.

(v) In areas to be left entirely to Private operators, special encouragement should be given to the formation of viable units.

5. It is possible that problems may arise in respect of road transport in large cities and hilly areas which will require special treatment. The Planning Commission will be prepared to consider such schemes on their merits.

6. I am to request that the State Governments will review their nationalisation schemes with a view to preparing phased programmes on the lines indicated above, for consideration of the Planning Commission for inclusion in the Second Five Year Plan. It has to be emphasised that to ensure financial and operational stability and to conserve funds for schemes given priority under the Plan, the State Governments would have to pursue the policy of nationalising road transport with due caution and in gradual stages.

I am further to request the State Governments to give urgent consideration to the revision of their licensing policies in accordance with paragraph 4 above.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० २५३ एल० ए०—१९५४—८००।